सत्यमेव जयते

डब्लू.डी.आर.ए
भांडागारण विकास एवं विनियामक प्राधिकरण

वार्षिक रिपोर्ट
2018-19

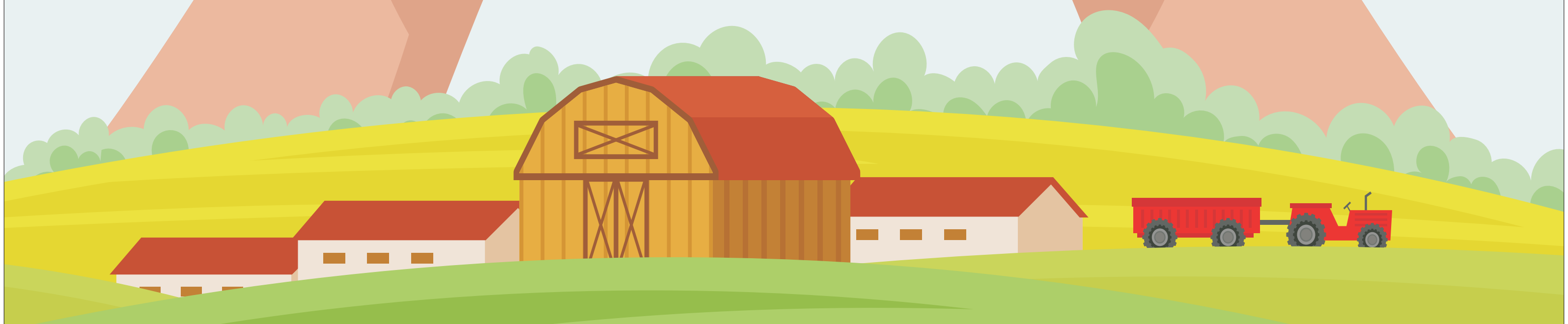

भांडागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण
भारत सरकार

प्राधिकरण के साथ पंजकृत भांडागारों में उत्पाद रखने के लाभों को रेखांकित करने के लिए प्राधिकरण द्वारा तैयार किया गया पोस्टर

सत्यमेव जयते

डब्लू.डी.आर.ए
भांडागारण विकास एवं विनियामक प्राधिकरण

भांडागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण

भारत सरकार

वार्षिक रिपोर्ट
2018-19

चौथी मंजिल, एनसीयूआई भवन, 3, सीरी इंस्टीट्युश्नल एरिया,
अगस्त क्रान्ति मार्ग, हौज खास, नई दिल्ली –110016

डब्लू.डी.आर.ए
भांडागारण विकास एवं विनियामक प्राधिकरण

विषय सूची

अध्याय	विवरण	पृष्ठ संख्या
I	संक्षिप्त विवरण	1
	1.1 प्राधिकरण की स्थापना और निगमन	1
	1.2 प्राधिकरण का गठन	1
	1.3 संगठन	1
	1.4 लक्ष्य, दूरदृष्टि और उद्देश्य	1
	1.5 परक्राम्य भांडागार रसीद जारी करने वाले भांडागारों के पंजीकरण की आवश्यकता	2
	1.6 प्राधिकरण की शक्तियाँ और कार्य	2
	1.7 भांडागारण (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 2007 के बनने से पूर्व देश में परक्राम्य भांडागार रसीद प्रणाली की स्थिति	3
	1.8 परक्राम्य भांडागार रसीद	3
	1.9 परक्राम्य भांडागार रसीदों के लाभ	3
	1.10 इलेक्ट्रोनिक परक्राम्य भंडारण रसीद (इ–एन.डब्लू.आर)	4
	1.11 इलेक्ट्रोनिक परक्राम्य भांडागार रसीदों की प्रमुख विशिष्टताएँ	4
	1.12 इ–एन.डब्लू.आर प्रणाली के लाभ	4
	1.13 भांडागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण की रूपान्तरण योजना	5
	1.14 रूपान्तरण योजना के अधीन शुरू की गई गतिविधियाँ	5
	1.14.1 2018–19 से पूर्व रूपान्तरण योजना के अधीन पूरी की गई गतिविधियाँ	5
	1.14.2 2018–19 के दौरान रूपान्तरण योजना के अन्तर्गत शुरू की गई अन्य महत्वपूर्ण गतिविधियाँ	6
	1.14.3 प्राधिकरण की आई.टी.इको प्रणाली	6
	1.14.4 2018–19 में आई टी प्लेटफार्म पर नई गतिविधियाँ	6
	1.15 प्राधिकरण की बैठक	8
	1.16 भांडागारण परामर्शदात्री समिति (डब्लू.ए.सी)	8
	1.17 प्राधिकरण की वैबसाइट	8
	1.18 विज्ञापन एवं प्रचार	9
	1.19 प्रशिक्षण, आउटरीच तथा जागरूकता कार्यक्रम	9
II	2 कृषि विपणन एवं भांडागारण से संबंधित नीति तथा कार्यक्रमों की समीक्षा	10
	2.1 खाद्यान्नों का उत्पादन	10
	2.2 अन्य प्रमुख कृषि फसलों का उत्पादन	11
	2.3 कुछ महत्वपूर्ण कृषि उत्पादों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य	12
	2.4 केन्द्रीय पूल के लिए भारतीय खाद्य निगम द्वारा खाद्यान्नों की खरीद	14

	2.5	गत तीन वर्षों में गेंहूँ तथा चावल की खरीद	14
	2.6	दालों तथा तिलहनों की खरीद	14
	2.6.1	मूल्य समर्थन योजना (पी.एस.एस)	15
	2.6.2	मूल्य न्यूनता भुगतान योजना (पी.डी.पी.एस)	16
	2.6.3	निजी खरीद तथा स्टॉकिस्ट योजना (पी.पी.एस.एस)	17
	2.7	भारत में भांडागारण क्षमता की वर्तमान स्थिति	17
	2.8	भंडारण क्षमता में वृद्धि	18
	2.8.1	कृषि विपणन अवसंरचना	18
	2.8.2	निजी उद्यमी गारंटी योजना, 2008	20
	2.9	सहकारिता क्षेत्र में भांडागारण क्षमता	20
	2.10	राष्ट्रीय कृषि बाजार (ई–एन.ए.एम)	20
	2.11	मॉडल राज्य/संघ राज्य क्षेत्र कृषि उत्पाद तथा पशुधन विपणन (प्रोत्साहन एवं सुगमता) अधिनियम, 2017	21
	2.12	फसल कटाई के बाद फसल ऋृणो पर ब्याज सहायता योजना	22
	2.13	प्राथमिकता क्षेत्र ऋृण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्य निर्देश	22
	2.14	इलेक्ट्रोनिक भांडागार रसीद प्रणाली के संबंध में बैंकों का अभिन्यास	23
III	3	भांडागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण की कार्य प्रणाली की समीक्षा	24
	3.1.1	प्राधिकरण द्वारा हाल में की गई पहल	24
	3.1.2	पुराने तथा नए पंजीकरण नियमों के मध्य मुख्य अंतर	24
	3.1.3	आवेदन शुल्क अपेक्षाएँ	25
	3.1.4	पंजीकरण के लिए न्यूनतम नेटवर्थ अपेक्षा	26
	3.1.5	पाँच वर्ष से कम अवधि के लिए भांडागारों का पंजीकरण	26
	3.1.6	प्रतिभूति जमा के लिए अधिसूचना	26
	3.1.7	प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों/किसान उत्पादक संगठनों के स्वामित्व वाले भांडागारों के लिए विशेष छूट	27
	3.2	भांडागरों के पंजीकरण के लिए ऑनलाइन आवेदन का क्रियान्वयन	28
	3.2.1	आवेदन के साथ प्रस्तुत किये जाने वाले दस्तावेज	29
	3.2.2	2018–19 के दौरान भांडगार पंजीकरण के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रणाली में सुधार	29
	3.3	इलेक्ट्रोनिक परक्राम्य भांडागार रसीदों के संबंध में अधिसूचना	30
	3.4	कागज आधारित भांडागार रसीद/ स्टॉक रसीद की तुलना में ई–परक्राम्य भांडागार रसीद के लाभ	32
	3.5	पंजीकृत भांडागारों द्वारा अनिवार्य रूप से इ–एन.डब्लू.आर. जारी किया जाना	34
	3.6	भांडागारों का पंजीकरण	34

डब्लू.डी.आर.ए
भांडागारण विकास एवं विनियामक प्राधिकरण

	3.7	तमिलनाडु में प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों के भांडागारों के पंजीकरण की प्रगति	37
	3.8	पंजीकरण को बढ़ावा देने के लिए चलाई गई गतिविधियाँ	37
	3.9	भांडागारों के पंजीकरण का ऑनलाइन नवीकरण	41
	3.10	भांडागारों की निगरानी तथा मॉनीटरिंग	42
	3.11	निरीक्षण एजेंसियों के पैनल तथा भांडागरों के निरीक्षण के लिए दिशा–निर्देश	42
	3.12	निरीक्षण एजेंसियों का पैनल बनाना	43
	3.13	पैनल में रखी गई एजेंसियों की सूची	43
	3.14	निरीक्षण एजेंसियों को किया जाने वाला भुगतान	44
	3.15	वर्ष 2018–19 में शामिल किये गये निरीक्षण अधिकारी	44
	3.16	भांडागारों का स्टॉक निरीक्षण	45
	3.17	डब्लू.डी.आर.ए. के साथ रिपोजिटरीज का पंजीकरण	46
	3.18	भांडागारण क्षेत्र में क्षमता निर्माण कार्यक्रम	46
	3.18.1	भांडागारण (विकास और विनियमन) अधिनियम 2007 के संबंध में किसानों के लिए प्रशिक्षण एवं जागरूकता कार्यक्रम	46
	3.18.2	भांडागार प्रबंधकों का प्रशिक्षण	49
	3.19	नई ऑनलाइन पंजीकरण प्रकिया तथा भांडागारों के विनियमन सहित प्राधिकरण द्वारा इ–एन.डब्लू.आर परितंत्र पर आउटरीच कार्यक्रमों का आयोजन	51
IV	4	भांडागारण विकास एवं विनियामक प्राधिकरण के वित्तीय कार्य–निष्पादन सहित संगठनात्मक मामले	54
	4.1	भांडागारण विकास एवं विनियामक प्राधिकरण के संगठनात्मक मामले	54
	4.2	प्राधिकरण में सतर्कता संबंधी कार्य	55
	4.3	प्राधिकरण में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, का क्रियान्वयन	55
	4.4	राजभाषा क्रियान्वयन	55
	4.5	स्वच्छता पखवाड़े का आयोजन	56
	4.6	मुख्य मंत्री केरल के आपदा राहत कोष में योगदान	60
	4.7	प्राधिकरण के कार्मिको के लिए प्रशिक्षण	60
	4.8	वर्ष 2018–19 के लिए प्राधिकरण के लेखापरीक्षित लेखे	60
		अनुलग्नक–I वर्ष 2017–18 के लिए डब्लू.डी.आर.ए. के लेखों का विवरण	62
		अनुलग्नक–II भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की अलग रिपोर्ट	96
		अनुलग्नक–III 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की अलग रिपोर्ट पर भांडागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण के उत्तर/टिप्पणियाँ	100

अध्यक्ष का वक्तव्य

मुझे भांडागारण विकास एवं विनियामक प्राधिकरण (डब्ल्यू.डी.आर.ए.) की 2018–19 की वार्षिक रिपोर्ट संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखने के लिए भेजने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इस रिपोर्ट में भांडागारण (विकास एवं विनियामक) प्राधिकरण की वार्षिक रिपोर्ट और विवरणियां नियम, 2010 के उपबंधों के अधीन केन्द्र सरकार को भेजने के लिए अपेक्षित आवश्यक सूचना शामिल है। रिपोर्ट में प्राधिकरण द्वारा समीक्षाधीन वर्ष में चलाई गई गतिविधियों तथा विभिन्न विनियामक मुद्दों पर की गई पहल भी शामिल की गई हैं।

जैसा कि रिपोर्ट से देखा जा सकता है, वर्ष 2018–19 में प्राधिकरण द्वारा समय–समय पर कार्यशालाओं, जागरूकता तथा आउटरीच कार्यक्रमों, तमिलनाडु राज्य में प्राथमिक कृषि सहकारिता समितियों के लिए शिविरों के आयोजन तथा अन्य पहलों के फलस्वरूप तमिलनाडु राज्य में प्राथमिक कृषि सहकारिता समितियों के 97 भांडागारों सहित कुल 47.97 लाख मी.टन क्षमता के 607 भांडागार पंजीकृत किए गए जबकि वर्ष 2017–18 में पंजीकृत किए गए भांडागारों की संख्या 261 थी। वर्ष 2018–19 में पंजीकृत किए गए भांडागारों की संख्या प्राधिकरण की स्थापना से लेकर अब तक की सबसे अधिक संख्या है। इसके अलावा प्राधिकरण द्वारा पंजीकृत रेपोजिटरीज द्वारा कार्य शुरू किए जाने एवं तत्पश्चात विभिन्न भांडागारों पर इ–एन.डब्लू.आर प्रणाली शुरू किऐ जाने के फलस्वरूप 31 मार्च, 2019 तक 77,332 इलेक्ट्रोनिक परक्राम्य भांडागार रसीदें जारी की गई।

इस रिपोर्ट में वित्तीय वर्ष 2018–19 के वार्षिक लेखों के लेखापरीक्षित विवरण और भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट भी शामिल है।

(डॉ. बी. बी. पटनायक)
अध्यक्ष

नई दिल्ली
दिनांकः 29 अगस्त, 2019

अध्याय – I

संक्षिप्त विवरण

1. प्राधिकरण की स्थापना और निगमन

भारत सरकार द्वारा भांडागारण (विकास और विनियमन) अधिनियम, 2007 की धारा 24 के अधीन (जिसे आगे अधिनियम कहा गया है) 26 अक्टूबर, 2010 को भांडागारण विकास एवं विनियामक प्राधिकरण (डब्लू डी आर ए) (जिसे आगे प्राधिकरण कहा गया है) की स्थापना की गई। यह प्राधिकरण अधिनियम को क्रियान्वित करने तथा उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इसे दिए गए कार्यों को करने के लिए अधिकृत है । प्राधिकरण का मुख्यालय नई दिल्ली में है। वर्तमान में, इसका किसी अन्य स्थान पर कोई कार्यालय नहीं है। तथापि अधिनियम की धारा 24 में यह भी प्रावधान है कि प्राधिकरण, केन्द्र सरकार के पूर्व अनुमोदन से भारत में अन्य स्थानों पर कार्यालय स्थापित कर सकता है।

1.1. प्राधिकरण का गठन

अधिनियम की धारा 25 के अनुसार प्राधिकरण में केन्द्र सरकार द्वारा नियुक्त एक अध्यक्ष तथा दो पूर्णकालिक सदस्य हैं। अधिनियम की धारा 26 में यह प्रावधान है कि अध्यक्ष एवं प्रत्येक सदस्य अपने पद ग्रहण करने की तारीख से, पांच वर्ष से अनधिक अवधि तक पद धारण करेगा तथा पुनर्नियुक्ति का पात्र होगा लेकिन कोई व्यक्ति पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने के पश्चात् ऐसे अध्यक्ष या अन्य सदस्य के रूप में पद धारण नहीं करेगा। अध्यक्ष एवं सदस्य, केन्द्र सरकार के पूर्व अनुमोदन के बिना, जिस तारीख से वे अपने पद पर नही रहेंगे, उससे दो वर्ष के लिए भंडारण क्षेत्र की किसी संस्था में रोजगार स्वीकार करने के लिए प्रतिबंधित होंगे ।

श्री जी.सी. चतुर्वेदी द्वारा पैंसठ वर्ष आयु प्राप्त करने के फलस्वरूप 16.01.2018 को अध्यक्ष का पद रिक्त हो गया। डॉ0 बी.बी. पटनायक, सदस्य को 01 फरवरी, 2018 से अध्यक्ष के पद का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया।

वर्ष 2018–19 के दौरान अध्यक्ष और सदस्यों की सूची नीचे दी गई है:

नाम	कार्य–अवधि
डॉ. बी. बी. पटनायक, अध्यक्ष (प्रभारी) एवं सदस्य	12.09.2016 से सदस्य, 01–02–2018 से अध्यक्ष का अतिरिक्त प्रभार
श्री पी. श्रीनिवाससदस्य	10–01–2017

1.3 संगठन

प्राधिकरण में 31.03.2019 को स्वीकृत स्टाफ तथा कार्यरत स्टाफ की संख्या रिर्पोट के अध्याय–IV में दी गई है।

1.4 लक्ष्य, दूरदृष्टि और उद्देश्य

प्राधिकरण का लक्ष्य देश में पंजीकृत भांडागारों के नेटवर्क के माध्यम से कृषि उत्पादों सहित सभी वस्तुओं के लिए परक्राम्य भांडागार रसीद (एन डब्लू आर) प्रणाली स्थापित करना, परक्राम्य भांडागार रसीद को व्यापार के प्रमुख साधन के रूप में विकसित करना तथा रसीद के विरूद्ध ऋृण प्राप्त करने की प्रक्रिया को सरल तथा सुविधाजनक बनाना, बैंको को अपने ऋृण पोर्टफोलियो की गुणवत्ता में सुधार का अवसर प्रदान करना तथा पजीकृत भांडागारों में जमा की गई वस्तुओ के विरूद्ध ऋृण देने में बैंको की रूचि में वृद्धि करना है। परक्राम्य भांडागार रसीद (एन.डब्लू.आर) प्रणाली का उद्देश्य पंजीकृत भांडागारों द्वारा जारी परक्राम्य भांडागार रसीदों पर जमाकर्ताओं तथा बैंको का न्यासीय विश्वास बढ़ाना, ग्रामीण क्षेत्रों में नकदी में वृद्धि

करना, वस्तुओं के वैज्ञानिक भंडारण को बढ़ावा देना, वित्त पोषण की लागत कम करना, छोटी एवं कुशल आपूर्ति श्रंखलाओं को बढ़ावा देना, ग्रेडिंग और क्वालिटी के लिए प्रतिफलों में वृद्धि करना और उत्पादों के लिए बेहतर मूल्य जोखिम प्रबन्धन सुनिश्चित करना है। यह उम्मीद है कि इससे किसानों को उच्च प्रतिलाभ तथा उपभोक्ताओं को बेहतर सेवाएँ प्राप्त होंगी। प्राधिकरण के साथ पंजीकृत भांडागारों द्वारा जारी परक्राम्य भांडागार रसीदों के माध्यम से बैंकों/गैर बैकिंग वित्तीय संस्थाओं से किसानों को गिरवी वित्त पोषण में सहायता मिलेगी तथा वे अपने उत्पादों की मजबूरन बिक्री करने से बच सकेंगें।

रसीदधारक द्वारा परक्राम्य भांडागार रसीदें/इलेक्ट्रोनिक परक्राम्य भांडागार रसीदें व्यापार तथा पृष्ठांकन के लिए प्रयोग की जा सकती हैं। परक्राम्य भांडागार रसीद अन्य कई हितधारकों जैसे बैंकों, वित्तीय संस्थाओं, बीमा कम्पनियों, व्यापार, कोमोडिटी एक्सचेंजों तथा उपभोक्ताओं के लिए लाभकारी हो सकती हैं।

यह अधिनियम परक्राम्य भांडागार रसीद जारी करने वाले भांडागारों के लिए आवश्यक प्रशासनिक आधार तथा वैधानिक समर्थन भी प्रदान करता है।

अधिनियम के 25 अक्तूबर, 2010 को अस्तित्व में आने पर देश में परक्राम्य भांडागार रसीद प्रणाली शुरू हुई। अधिनियम के प्रमुख उद्देश्य इस प्रकार हैः

(i) अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने के लिए भांडागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण (डब्लू डी आर ए) की स्थापना करना।

(ii) कृषि एवं बागवानी वस्तुओं सहित सभी वस्तुओं के लिए परक्राम्य भांडागार रसीद प्रणाली शुरू करना।

(iii) परक्राम्य भांडागार रसीद जारी करने वाले भांडागारों का पंजीकरण करना।

(iv) परक्राम्य भांडागार रसीद जारी करने वाले भांडागारों के विनियमन के लिए आवश्यक प्रशासनिक आधार और वैधानिक समर्थन प्रदान करना।

(v) भांडागार रसीद को परक्राम्य बनाने में आने वाली बाधाओं को दूर करना और जमाकर्ताओं तथा बैंकों का न्यासी विश्वास बढ़ाने के लिए कानूनी समर्थन प्रदान करना।

(vi) भांडागारपालों के कुप्रबन्धन तथा धोखाधड़ी अथवा जमाकर्ताओं के दिवालियेपन को रोकना।

(vii) परक्राम्य भांडागार रसीद को व्यापार के प्रमुख साधन के रूप में विकसित करने सहित इसके विरूद्ध ऋृण पोर्टफोलियो की गुणवत्ता में सुधार तथा पंजीकृत भांडागार में जमा की गई वस्तुओं के विरूद्ध ऋृण देने में रूचि में वृद्धि करना है।

1.5 परक्राम्य भांडागार रसीद जारी करने वाले भांडागारों के पंजीकरण की आवश्यकता

अधिनियम की धारा 3 में प्रावधान किया गया है कि कोई व्यक्ति जो भांडागारण का कारोबार करता है तथा परक्राम्य भांडागार रसीद जारी करना चाहता है, उसे प्राधिकरण से अपना भांडागार पंजीकृत कराना होगा। तथापि जो भांडागार परक्राम्य रसीद जारी नहीं करना चाहते, उन्हें भांडागार पंजीकृत करवाने की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार वे भांडागार जो परक्राम्य भांडागार रसीद जारी करने के इच्छुक नहीं हैं, उनके लिए भांडागारों को प्राधिकरण के पास पंजीकरण कराना अनिवार्य नहीं बल्कि वैकल्पिक है।

1.6 प्राधिकरण की शक्तियाँ और कार्य

(i) भांडागारपालों के लिए निर्धारित अपेक्षाएँ पूरी करने वाले आवेदकों को भांडागारों के संबंध में पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी करना या पंजीकरण का नवीकरण करना, उपांतरित करना, वापस लेना, निलंबित करना या रद्द करना।

(ii) भांडागारपालों के कर्त्तव्यों तथा उत्तरदायित्वों को विनिर्दिष्ट करना।

(iii) भांडागारपालों तथा भांडागारण व्यवसाय में लगे कर्मचारियों के लिए अर्हताएँ, आचार संहिता और व्यावहारिक प्रशिक्षण विनिर्दिष्ट करना।

(iv) भांडागार में जमा माल को गिरवी रखने, प्रभारों के सृजन और उसके प्रवर्तन की प्रक्रिया विनियमित करना।

(v) माल के श्रेणीकरण के लिए प्रमाणकर्ता एजेंसियों के अनुमोदन हेतु मानक निर्धारित करने के लिए विनियम बनाना।

(vi) इस अधिनियम के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए शुल्कों और अन्य दर अवधारित करना और उनका उदग्रहण।

(vii) भाण्डागारों, प्रत्यायन एजेंसियों और भांडागारण के कारोबार से संबंद्ध अन्य संगठनों से सूचना मांगना उनका निरीक्षण करना, जांच और अन्वेषण करना जिसके अंतर्गत उनकी संपरीक्षा भी शामिल है।

(viii) उन दरों, लाभों, निबंधन एवं शर्तो को विनियमित करना जो भांडागारण कारोबार के संबंध में भांडागारपालों द्वारा प्रतिस्थापित की जाएं।

(ix) विनियमों द्वारा वह प्ररूप और रीति विनिर्दिष्ट करना जिनके अन्तर्गत लेखाबहियाँ रखी जाएंगी और भांडागारपालों द्वारा लेखा विवरण दिए जाएंगे।

(x) मध्यस्थों का पैनल रखना और भांडागारों और भांडागार रसीदधारकों के बीच विवादों में ऐसे पैनल से मध्यस्थों को नामनिर्दिष्ट करना।

(xi) ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करना तथा ऐसे अन्य कार्य करना जो विहित किए जाएं।

1.7 भांडागारण (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 2007 के बनने से पूर्व देश में परक्राम्य भांडागार रसीद प्रणाली की स्थिति

भांडागारण (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 2007 से पहले सार्वजनिक भांडागार केन्द्रीय भंडारण निगम/राज्य भंडारण निगमों के भांडागारों द्वारा जारी भांडागार रसीदों के लिए जमाकर्ताओं तथा बैंकों के पास न्यासी ट्रस्ट नहीं था। परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 में भी परक्राम्य भांडागार रसीद का एक लिखत के रूप में कोई उल्लेख नहीं था। भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 में केवल इतना संदर्भ उपलब्ध था कि सामान के अमानतदार के रूप में भांडागारपाल का दायित्व है। भांडागारपाल द्वारा छल कपट अथवा कुप्रबंधन अथवा जमाकर्ता के दिवालियेपन की स्थिति में ऋृण की वसूली न होने का भय था। उपलब्ध कानूनी उपचार अपर्याप्त तथा समय लेने वाले थे। इसके अतिरिक्त परक्राम्य भांडागार रसीद का प्ररूप एक समान नहीं था। अतः परक्राम्य भांडागार रसीदों की परक्राम्यता में अड़चनें होने के कारण किसानों तथा सामान के जमाकर्ताओं के सामने काफी कठिनाइयाँ थी।

1.8 परक्राम्य भांडागार रसीद

अधिनियम की धारा 11 में परक्राम्य भांडागार रसीद का व्यापक ढांचा दिया गया है। अधिनियम की धारा 12 में भांडागार रसीद की परक्राम्यता का प्रावधान उपलब्ध है। परक्राम्य भांडागार रसीद के प्रपत्र को इंडियन बैंक एसोसिएशन (आई.बी.ए) के परामर्श से प्राधिकरण द्वारा अंतिम रूप दिया गया है। परक्राम्य भांडागार रसीदों की पुस्तिकाओं का मुद्रण भारतीय प्रतिभूति मुद्रण और टकसाल निगम द्वारा किया गया है और ये प्राधिकरण द्वारा पंजीकृत भांडागारों को जारी की गई हैं। भौतिक परक्राम्य भांडागार रसीद की अद्वितीय विशेषताएँ जैसे उनकी प्रति तैयार नहीं कर सकना, अन्तहीन पाठ, शुद्ध रेखा स्वरूप, इन्द्रधनुषी रंगों के साथ स्वच्छ मुद्रण इत्यादि हैं।

1.9 परक्राम्य भांडागार रसीदों के लाभ

परक्राम्य भांडागार रसीदों से निम्नलिखित लाभ प्राप्त होने की उम्मीद की जाती हैः–

(i) ग्रामीण क्षेत्रों में नकदी में वृद्धि

(ii) वस्तुओं का वैज्ञानिक भंडारण, जिसके फलस्वरूप फसल कटाई के बाद होने वाली हानियों में कमी

(iii) वित्तपोषण की लागत में कमी
(iv) लघु तथा अपेक्षाकृत कुशल आपूर्ति श्रंखलाएँ
(v) मानकीकरण और गुणवत्ता के लिए अधिक प्रतिफल
(vi) बेहतर मूल्य जोखिम प्रबंधन
(vii) किसानों को अपेक्षाकृत अधिक लाभ और उपभोक्ताओं को बेहतर सेवाएं (गुणवत्ता वाला सामान)

1.10 इलेक्ट्रोनिक परक्राम्य भंडारण रसीदें (इ–एन.डब्लू.आर)

अधिनियम की धारा 11 के अनुसार भांडागार रसीद लिखित में अथवा इलेक्ट्रोनिक रूप में हो सकती है। इसके अतिरिक्त इस अधिनियम की धारा 2 के अनुसार भांडागार रसीद को भांडागारपाल अथवा उसके विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि (रेपोजिटरी सहित जो भी नाम दिया गया हो) द्वारा भंडारित माल के लिए, जिसका मालिकाना हक भांडागारपाल के पास नहीं है, लिखित में अथवा इल्रक्ट्रोनिक प्रारूप में प्राप्ति के रूप में परिभाषित किया गया है। केन्द्र सरकार के पूर्व अनुमोदन तथा भांडागारण परामर्शदायी समिति (वेअरहाउसिंग एडवाइजरी कमेंटी) की सलाह से प्राधिकरण द्वारा इलेक्ट्रोनिक परक्राम्य भांडागार रसीदों के संबंध में 29 जून, 2017 को डब्लू.डी.आर.ए. (इलेक्ट्रोनिक नेगोशिएबल वेअरहाउस रसीद) विनियम, 2017 जारी किए गए। इस विनियमों के अन्तर्गत जमा माल के विरूद्ध रेपोजिटरी प्रणाली के माध्यम से पंजीकृत भांडागारों द्वारा इलेक्ट्रोनिक भांडागार रसीद जारी की जाती है।

प्राधिकरण ने 26 सितम्बर, 2017 को इलेक्ट्रोनिक परक्राम्य भांडागार रसीद प्रक्रिया का शुभारम्भ किया। परक्राम्य इलेक्ट्रोनिक रसीदें रेपोजिटरी प्रणाली द्वारा पंजीकृत भाण्डागारों द्वारा जारी की जाती हैं। प्राधिकरण ने यह भी अधिसूचित किया है कि 1 अगस्त, 2019 से सभी पंजीकृत भांडागार केवल इलेक्ट्रोनिक प्रारूप में परक्राम्य भांडागार रसीद जारी करेंगे।

1.11 इलेक्ट्रोनिक परक्राम्य भांडागार रसीदों की प्रमुख विशिष्टताएँ

(i) इ–एन.डब्लू.आर केवल इलेक्ट्रोनिक प्रारूप में उपलब्ध है।
(ii) इ–एन.डब्लू.आर का एकमात्र स्रोत रेपोजिटरी प्रणाली है जहाँ से इ–एन.डब्लू.आर जारी की जाती है।
(iii) रेपोजिटरी प्रणाली द्वारा गोपनीयता, सत्यनिष्ठा तथा इ–एन.डब्लू.आर में उपलब्ध सूचना रेपोजिटरी प्रणाली द्वारा प्रदान की जाती है।
(iv) सभी इ–एन.डब्लू.आर की वैधता की एक समय सीमा है जिसके बाद वे समाप्त हो जाती हैं।
(v) कुछ विशिष्ट परिस्थितियों में जैसे ऋृण न चुकाना, समाप्ति, डिलीवरी न लेना तथा भांडागार में माल में क्षति तथा उसके खराब होने की स्थिति में इ–एन.डब्लू.आर की नीलामी की जा सकती है।
(vi) सभी इ–एन.डब्लू.आर का मार्केट अथवा कमोडिटी डिराइवेटिव एक्सचेजों के माध्यम से व्यापार किया जा सकता है।
(vii) इ–एन.डब्लू.आर को सम्पूर्ण अथवा भाग में हस्तांरित किया जा सकता है।

1.12 इ–एन.डब्लू.आर प्रणाली के लाभ

इ–एन.डब्लू.आर प्रणाली के लाभ इस प्रकार हैंः–

(i) भांडागार रसीद में धोखाधड़ी/खोने/छेड़छाड से बचाव।
(ii) भांडागार रसीद के विरूद्ध एक से अधिक वित्तपोषण से बचाव।
(iii) मॉनीटरिंग लागत में कमी तथा बाजार भागीदारों में विश्वसनीयता का बढ़ना।
(iv) बाजार भागीदारों तक सुगम पहुँच, जिसके फलस्वरूप वे आनलाइन पोर्टल पर अपनी भांडागार रसीद को देख सकते हैं एवं तदनुसार प्रबंधन कर सकते हैं।
(v) सामान के भौतिक रूप में संचलन के बिना अधिक संख्या में हस्तांतरण, जिससे वित्तपोषण हेतु सुगम पहुँच।
(vi) अंशतः बिक्री/गिरवी/वापसी के लिए परक्राम्य रसीद के विखंडन की सुविधा।

1.13 भांडागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण की रूपान्तरण योजना।

देश के सार्वजनिक भांडागारण के इको सिस्टम के सामने निम्नलिखित चुनौतियाँ है;–

(i) भांडागारण क्षेत्र अधिक असंगठित तथा छितरा हुआ है।

(ii) भांडागारों का पंजीकरण स्वैच्छिक है। अतः पंजीकृत भांडागारों की संख्या में वृद्धि की संभावना सीमित है।

(iii) अधिनियम के अधीन विनियामक ढांचा अपर्याप्त है।

(iv) पहले पंजीकरण प्रणाली तथा भांडागार रसीद जारी करना कागज आधारित था।

(v) पंजीकृत भांडागारों की मॉनीटरिंग तथा पर्यवेक्षण प्रणाली अपर्याप्त थी। उपर्युक्त चुनौतियों का सामना करने तथा भांडागारण क्षेत्र में जान डालने के लिए डब्लू.डी.आर.ए. ने खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग, आर्थिक कार्य विभाग, भारत सरकार तथा राष्ट्रीय लोक वित्त एवं नीति संस्थान (एन.आई.पी.एफ.पी) के सहयोग से सार्वजनिक भांडागारण के इको सिस्टम को सशक्त बनाने तथा परक्राम्य भांडागार रसीद के बदले किसानों को कटाई बाद ऋण उपलब्ध कराने की सुविधा को और अधिक बेहतर बनाने के लिए रूपान्तरण योजना शुरू की थी।

रूपान्तरण योजना का प्रमुख बिन्दु परक्राम्य भांडागार रसीदों के उपयोगकर्ताओं एवं पंजीकृत भांडागारों को निम्नलिखित के माध्यम से बेहतर सेवाएं उपलब्ध कराना हैः–

(क) भांडागारण क्षेत्र के संबंध में सूचनाएँ प्राप्त करने के लिए बाजार सर्वेक्षण तथा अध्ययन;

(ख) नियमों तथा विनियमों का पुनर्निधारण;

(ग) सशक्त भांडागार निरीक्षण प्रणाली तथा पर्यवेक्षण रूपरेखा विनिर्मित करना;

(घ) भांडागारों के पंजीकरण तथा निगरानी सहित डब्लू.डी.आर.ए. के आंतरिक कार्यालय के ऑटोमेशन में सूचना प्रौद्योगिकी का प्रयोग।

1.14 रूपान्तरण योजना के अधीन शुरू की गई गतिविधियाँ

रूपान्तरण योजना के अधीन निम्नलिखित मुख्य गतिविधियाँ आयोजित की गईः–

i) भारत में भांडागारण क्षेत्र के लिए गुणात्मक सर्वेक्षण की योजना बनाकर तीन वार्षिक मात्रात्मक सर्वेक्षण;

ii) प्रक्रियाओं के सरलीकरण, भांडागारों के सशक्त निरीक्षण तथा शिकायतों एवं विवादों के निपटान एवं भांडागारों के पंजीकरण के लिए नियमों/विनियमों को पुनः तैयार/विनिर्माण करना;

iii) रूपान्तरण योजना के क्रियान्वयन के लिए प्राथमिक सलाहकार की नियुक्ति;

iv) इलेक्ट्रोनिक परक्राम्य भांडागार रसीदों के सृजन एवं प्रबंधन के लिए आई.टी आधारित प्रणाली स्थापित करने हेतु रेपोजिटरों का पंजीकरण;

v) डब्लू.डी.आर.ए. पोर्टल के लिए आई.टी. इको सिस्टम, ऑन लाइन कारोबार प्रकियाएं, पर्यवेक्षण एवं निगरानी प्रणाली आंतरिक आंटोमेशन हेतु सिस्टम इंटीग्रेटर की नियुक्ति;

1.14.1 2018–19 से पूर्व रूपान्तरण योजना के अधीन पूरी की गई गतिविधियाँ

(क) गुणात्मक सर्वेक्षण–प्राधिकरण ने एन.आई.पी.एफ.पी के माध्यम से अप्रैल–जून 2015 के दौरान 9 राज्यों के 11 जिलों तथा तत्पश्चात् सर्वेक्षण एजेंसी अर्थात् मैसर्स टी.एन.एस, इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से अगस्त 2015 से मार्च, 2016, जून, 2016 से अक्तूबर, 2016 तथा मार्च, 2017 से जुलाई, 2017 के दौरान तीन वार्षिक मात्रात्मक सर्वेक्षण आयोजित किए। इन सर्वेक्षणों का उद्देश्य देश के विभिन्न भागों में भांडागार कारोबार कैसे चल रहा है, यह जानने–समझने, भांडागार रसीद वित्त बाजार की गहराई में जाकर इसके जोखिम को जानने तथा उद्योग के संबंध में आधारभूत संरचना, मालिकाना हक के प्रयोग, वस्तु वित्तपोषण, भांडागारपालों, जमाकर्ताओं तथा उधारदाताओं के हितों को जानना था।

(ख) इलेक्ट्रोनिक परक्राम्य भांडागार रसीद (इ–एन.डब्लू.आर) का शुभारम्भ प्राधिकरण ने 26 सितम्बर, 2017 को इलेक्ट्रोनिक परक्राम्य भांडागार रसीद का शुभारम्भ किया। ये रसीदें रेपोजिटरी प्रणाली पर पंजीकृत भांडागारों द्वारा जारी की जाती हैं।

रेपोजिटरी लिमिटेड (सी.सी.आर.एल) तथा, मैसर्स नेशनल इ–रेपोजिटरी (एन.ई.आर.एल.) इ–एन.डब्लू. आर के प्रबंधन तथा सृजन के लिए उत्तरदायी हैं तथा इ–एन. प्राधिकरण के साथ पंजीकृत दो रेपोजिटरी अर्थात् मैसर्स सी.डी.एस.एल. कमाडिटी डब्लू.आर की गोपनीयता, सत्यनिष्ठा तथा इससे संबंधित सूचना की उपलब्धता सुनिश्चित करती हैं ताकि रसीदधारक के अनुरोध पर रसीद के हस्तांतरण, गिरवी तथा वापस करने जैसी सुविधाएँ उपलब्ध कराई जा सकें। रेपोजिटरीज ने 26 सितम्बर, 2017 से कार्य करना आरम्भ किया था। रेपोजिटरी प्रणाली के उपयोगकर्ताओं को रेपोजिटरी सेवाएँ प्रदान करने के लिए पंजीकृत भांडागार ऑनबोर्ड हैं।

1.14.2 2018–19 के दौरान रूपान्तरण योजना के अन्तर्गत शुरू की गई अन्य महत्वपूर्ण गतिविधियाँ

(क) प्राधिकरण द्वारा नियमित किए गए रेपोजिटरी अर्थात् मैसर्स सी.सी.आर.एल तथा मैसर्स एन.ई.आर. एल. ने ड्राइवेटिव कॉट्रेक्ट सैटलमेंटस् के लिए अपनी क्लियरिंग कॉरपोरेशन द्वारा इ–एन.डब्लू.आर के प्रयोग के लिए कोमोडिटी ड्राइवेटिव एक्सचेजों अर्थात एन.सी.डी.ई.एक्स, एम.सी.एक्स, आई.सी.इ.एक्स, बी.ए.ई आदि के साथ आवश्यक इंटरफेस विकसित किया है। इंटरफेस तथा कमोडिटी ड्राइवेटिव एक्सचेंज की क्लिअरिंग कॉरपोरेशन कॉट्रेक्ट सैटलमेंट के लिए इ–एन.डब्लू.आर का प्रयोग कर रहे हैं।

इ–एन.डब्लू.आर के लिए भारत सरकार के इ–नैम (इलक्ट्रोनिक नेशनल एग्री मार्केट) प्लेटफार्म पर व्यापार की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु इंटरफेस विकसित किया जा रहा है।

1.14.3 प्राधिकरण की आई.टी.इको प्रणाली

प्राधिकरण की सूचना प्रौद्योगिकी इको प्रणाली में ई–पोर्टल, ऑनलाइन भांडागार पंजीकरण एवं निरीक्षण, पर्यवेक्षण एवं निगरानी प्रणाली, शिकायत निवारण प्रणाली, वेअरहाउस मैनेजमेंट प्रणाली (डब्लू.एम.एस) एवं विवाद निपटान प्रणाली, आंतरिक ऑटोमेशन इत्यादि शामिल हैं। प्राधिकरण ने मैसर्स सी.एम.एस सिस्टम इंटिग्रेटर के रूप में नियुक्त किया है।

मैसर्स सी.एम.एस ने डब्लू.डी.आर.ए. पोर्टल ऑनलाइन वेअरहाउस वापस करने/निरस्तीकरण रजिस्ट्रेशन नवीकरण माड्यूल तथा ऑनलाइन वेअरहाउस निरीक्षण माड्यूल, पंजीकरण माड्यूल विकसित किया है। ऑनलाइन वेअरहाउस रजिस्ट्रेशन तथा निरीक्षण सहित डब्लू.डी.आर.ए. पोर्टल का शुभारम्भ 26.09.2017 को किया गया था। ऑनलाइन वेअरहाउस रजिस्ट्रेशन तथा निरीक्षण माड्यूल ने 01.11.2017 से पूरी तरह कार्य करना शुरू किया।

1.14.4 2018–19 में आई टी प्लेटफार्म पर नई गतिविधियाँ

रिपोर्ट वर्ष के दौरान आई टी प्लेटफार्म पर निम्नलिखित गतिविधियाँ शुरू की गई:–

(क) ई आर पी लेखाकरण प्रणाली की शुरूआत (ओ.डी.ओ.ओ)

(i) **लेखाकरण:**– प्राधिकरण के लेखों के ऑटोमेंशन के लिए लेखाकरण सॉफ्टवेअर क्रियान्वित किया गया। इससे पूर्व लेखाकरण टैली में किया जा रहा था।

(ii) **वेतन–पंजी:**– प्रत्येक कर्मचारी की वेतन पर्ची बनाने के प्रबंधन हेतु प्रावधान किया गया है।

(iii) **सम्पदा इनवेंटरी प्रबंधन:**– यह माड्यूल, प्राधिकरण की सम्पदा का प्रबंधन करता है। यह सम्पदा पर मूल्यहास को ट्रैक करता है तथा मल्यहास अनुसार लेखाकरण प्रविष्टियाँ तैयार करता है।

(ख) इ–कार्यालय की शुरूआत

(i) **इ–फाइल:**– इस माड्यूल संबंधित रिकार्ड से संबंधित है, जिसमें आवतियाँ, टिप्पण, मसौदे, संदर्भ एवं लिंक फाइल शामिल है। इसके द्वारा प्राधिकरण में दिन–प्रतिदिन का कार्य भौतिक फाइलों के बजाय ऑटोमेडिट तरीके से डिजिटल रूप में किया जाता है।

(ii) **इ–अवकाश**, यह इ–अवकाश प्रबंधन प्रणाली है, जिसके द्वारा अवकाश–आवेदनों तथा अनुमोदन प्रक्रिया का ऑटोमेटिड निपटान किया जाता है।

(iii) **इ–प्राप्तियाँः–** इस माड्यूल द्वारा प्राधिकरण किसी दस्तावेज की हार्ड कॉपी प्राप्त करता है तथा इलेक्ट्रोनिक प्रोसेसिंग के लिए इसका इ–फाइल पर निपटान किया जाता है।

(ग) पोर्टल में सुधार/परिशोधन

(i) **भांडागार का अभ्यर्पणः–** डब्लू.डी.आर.ए. पोर्टल पर यह ऐसी प्रक्रिया है जिसे भांडागारपाल अपने अभ्यर्पण के लिए आवेदन देने हेतु प्रयोग कर सकता है।

(ii) **भांडागारों का निरस्तीकरणः–** डब्लू.डी.आर.ए. के पोर्टल पर उपलब्ध यह प्रक्रिया भांडागारपाल द्वारा भांडागार के पंजीकरण के निरस्तीकरण हेतु प्रयोग की जा सकती है।

(iii) **भांडागारों का नवीकरणः–** डब्लू.डी.आर.ए. पोर्टल पर उपलब्ध इस प्रक्रिया द्वारा भांडागारपाल, भांडागार के नवीकरण आवेदन शुरू कर सकता है।

(iv) **प्रतिभूति जमा की समाप्ति के लिए एस.एम.एस. ईमेल इंटीग्रेशनः–** यह ऐसी प्रक्रिया है जिसे भांडागार की प्रतिभूति जमा के समाप्त हो जाने की स्थिति में एस.एम. एस/ईमेल द्वारा उपयोगकर्ता को स्वतः अलर्ट आना शुरू हो जाता है।

(v) **बीमा समाप्ति के लिए एस.एम.एस/ईमेल अलर्टः–** भांडागारपाल की बीमा समाप्ति पर ऑटोमेटिक एस.एम.एस/ईमेल भेजने के लिए एस.एम.एस/ईमेल को सिस्टम में कॉन्फिगर किया गया है।

(vi) **प्रभावी नियंत्रण समाप्ति के लिए एस.एम.एस/ईमेल इंटिग्रेशनः–** जिन भांडागारों का पट्टा/अनुबंध समाप्त होने जा रहा है, उन्हें ऑटोमेटिक एस.एम.एस/इ–मेल भेजने के लिए सिस्टम में एस.एम.एस/ईमेल को कॉन्फिगर किया गया है।

(vii) **पंजीकरण–नवीकरण के लिए लचीली समयावधि की सुविधाः–** यह सुविधा आंतरिक उपयोगकर्ताओं को प्रदान की गई है, जिसे भांडागार के पंजीकरण की अवधि में किसी परिवर्तन के लिए प्रयोग कर सकते हैं।

(viii) **प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा एसोसिएट प्राधिकृत को जोड़ना/परिशोधित करनाः–** प्राधिकृत प्रतिनिधि के लिए यह ऐसी सुविधा है जिसके द्वारा वह भांडागारपालों के प्राधिकृत एसोसिएट को जोड़ सकता हैं अथवा परिशोधित कर सकता है।

(ix) **ईमेल आधारिक समर्थक टिकट मैनेजमेंट का क्रियान्वयनः–** यह सुविधा उपयोगकर्ताओं को प्राप्त है जिसे ई–मेल द्वारा ऑटोमेटिक सर्पोट टिकट के लिए प्रयोग किया जा सकता है।

(घ) एम.आई.एस रिपोर्टः– यह सुविधा डब्लू.डी.आर.ए. के लिए मॉनीटरिंग हेतु भांडागार पंजीकरण के संबंध में विभिन्न रिर्पोट को उपलब्ध कराती है। रिपोर्टों को तीन शीर्षो अर्थात् सारांश रिपोर्ट, विस्तृत रिपोर्ट तथा अलर्ट के रूप में विभाजित किया गया है।

(ड.) आई टी हैल्प डैस्क की स्थापनाः– भांडागारों के पंजीकरण अथवा तकनीकी मुद्दे में किसी समस्या के समाधान के लिए भांडागारों/भंडागारपालों को आवश्यक तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए आई.टी. हैल्प डेस्क की स्थापना की गई है।

(च) ई–लर्निग प्लेटफार्मः– यह सुविधा प्रयोगकर्ताओं को तकनीकी जानकारी प्राप्त करने में सहायता के लिए उपलब्ध कराई

गई है। यह सीखने तथा क्षमता बढ़ाने के लिए प्रयोग की जा सकती है। इस प्लेटफार्म का प्रयोग करते हुए उपयोगकर्ता भांडागारण तथा डब्लू.डी.आर.ए. द्वारा प्रकाशित अन्य संबंधित मामलों के संबंध में जानकारी प्राप्त कर सकते है;

(छ) डब्लू डी आर ए शिकायत निपटान प्रणालीः– यह वेब तकनीक आधरित ऑनलाइन प्लेटफार्म है जिसके द्वारा पीड़ित उपयोगकर्ता किसी भी स्थान से किसी भी समय (24x7) आधार पर अपनी शिकायत प्रस्तुत कर सकते हैं। शिकायत प्राप्त होने पर डब्लू.डी.आर.ए. छानबीन करता है तथा शिकायत दूर करने के लिए तुरंत कार्रवाई की जाती है। सिस्टम से प्राप्त एक विशिष्ट पंजीकरण संख्या द्वारा शिकायतों को ट्रैक किया जा सकता है।

(ज) रेपोजिटरों के साथ डब्लू.डी.आर.ए. पोर्टल का इंटीग्रेशनः– ए.पी.आई का प्रयोग करते हुए डब्लू.डी.आर.ए. तथा रेपोजिटरों के मध्य डैटा के आदान प्रदान के लिए दोनो रेपोजिटरों के साथ डब्लू.डी. आर.ए. पोर्टल का इंटीग्रेशन किया गया है। डब्लू.डी.आर.ए. ने भांडागारों की डिटेल भेजने के लिए ए.पी. आई प्रकाशित की है।

उपर्युक्त के अलावा प्राधिकरण ने रेपोजिटरी तथा इ–नैम के इंटीग्रेशन की प्रक्रिया शुरू की है ताकि इ–एन.डब्लू.आर के अधीन पंजीकृत भांडागारों में पड़े सामान का ई–नैम (इलेक्ट्रोनिक राष्ट्रीय कृषि बाजार) प्लेटफार्म पर व्यापार किया जा सके।

1.15 प्राधिकरण की बैठक

रिपोर्ट वर्ष में प्राधिकरण की 13 जून, 2018, 12 सितम्बर, 2018, 14 दिसम्बर, 2018 तथा 7 मार्च, 2019 को चार बैठकें हुई, जिसमें प्राधिकरण, रेपोजिटरी, आई.टी. क्रियान्वयन, वित्त तथा मानव संबंधी मामलों की कार्य सूची पर विचार कर अनुमोदित किया गया।

1.16. भांडागारण परामर्शदात्री समिति (डब्लू.ए.सी)

वर्ष 2018–19 में भांडागारण परामर्शदात्री समिति की 22 मई, 2018 तथा 07 दिसम्बर 2018 को दो बैठकें हुई। 22 मई, 2018 को हुई बैठक में डब्लू.ए.सी ने अधिकारियों तथा अन्य कर्मचारियों के वेतनमानों का सातवें वेतन आयोग के अनुसार भांडागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण (अधिकारियों एवं अन्य कर्मचारियों की सेवा शर्ते) विनियम, 2016 में संशोधन तथा भांडागारण (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 2007 संशोधनों के अन्य प्रस्ताव पर विचार किया।

07 दिसम्बर, 2018 को हुई बैठक में डब्लू.ए.सी ने डब्लू.डी.आर.ए. में नए स्वीकृत पदों के लिए भर्ती नियमों सहित भांडागारण विकास एवं विनियामक प्राधिकरण (अधिकारियों एवं अन्य कर्मचारियों की सेवा शर्ते) के संशोधनों के प्रस्ताव पर विचार किया।

1.17 प्राधिकरण की वैबसाइट

प्राधिकरण के गठन, कार्यों तथा गतिविधियों संबंध में समस्त सूचनाएँ इसकी वैबसाइटः **www.wdra.gov.in** पर उपलब्ध हैं। नियमों तथा विनियमों के संबंध में विभिन्न अधिसूचनाएँ, परिपत्र, दिशा निर्देश, रिक्तियों का विज्ञापन, निविदाएँ आदि नियमित रूप से वैबसाइट पर अपलोड की जाती है। पंजीकरण से संबंधित सूचनाएँ भी वैबसाइट पर उपलब्ध कराई जाती हैं। प्राधिकरण ने अपना वैबसाइट हिंदी में भी विकसित किया है।

1.18 विज्ञापन एवं प्रचार।

वैज्ञानिक भांडागारण तथा परक्राम्य भांडागार रसीद/इलेक्ट्रोनिक परक्राम्य भांडागार रसीदों के बारे में किसानों तथा अन्य हितधारकों में जागरूक्ता उत्पन्न करने तथा माननीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री द्वारा 26 सितम्बर, 2017 को प्राधिकरण के इ–पोर्टल तथा इ–एन.डब्लू.आर के शुभारम्भ के साथ प्राधिकरण ने **''सुरक्षित भंडारण–समृद्ध किसान''** शीर्षक से 6 मिनट की एक विडियो फिल्म भी बनाई, जिसमें सार्वजनिक भांडागारों तथा परक्राम्य भांडागार रसीदों/इलेक्ट्रोनिक परक्राम्य भांडागार रसीदों के लाभों को रेखांकित किया गया है। यह विडियो फिल्म माननीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री द्वारा 26 सितम्बर, 2017 को इलेक्ट्रोनिक परक्राम्य भांडागार रसीद प्रणाली के शुभारम्भ के लिए आयोजित कार्यक्रम में रिलीज की गई। इसे व्यापक रूप में देखे जाने के लिए यू–ट्यूब **https://youtu.be/pAjjnWvz34E** तथा प्राधिकरण के वैबसाइट पर अपलोड किया गया है। फिल्म को प्रमुख क्षेत्रीय भाषाओं में डब किया गया है तथा विभिन्न जागरूकता तथा प्रशिक्षण कार्यक्रमों में इसका व्यापक प्रयोग किया जाता है।

इस दिशा में अपने प्रयासों को जारी रखते हुए प्राधिकरण द्वारा **''डब्लू.डी.आर.ए. का प्रयास–किसानों का आर्थिक विकास''** शीर्षक से 60 सैकेण्ड का विडियो स्पोट 1–27 जनवरी, 2019 तक सप्ताह में चार दिन, दिन में तीन बार प्रसारित किया गया। यह **https://www.youtube.com/watch2v=zyoak.glqxo** पर अपलोड किया गया है। यह प्राधिकरण के पोर्टल पर भी अपलोड है। विडियो स्पोट को विभिन्न प्रमुख क्षेत्रीय भाषाओं में डब किया गया है तथा विभिन्न जागरूकता तथा प्रशिक्षण कार्यक्रमों में दिखाया जाता है। प्राधिकरण द्वारा भांडागारण (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 2007 के महत्वपूर्ण प्रावधानों, नए भांडागारण (विकास एवं विनियमन) भांडागार पंजीकरण नियम, 2017 में पंजीकरण की अपेक्षाओं एवं अधिसूचित वस्तुओं आदि का ब्यौरा देते हुए हिंदी तथा अंग्रेजी में विवरण–पुस्तिकायें तैयार की गई हैं। विवरण पुस्तिकायें भांडागारपालों/डब्लू.एस.पी जैसे लक्ष्य समूहों में वितरित की जाती हैं ताकि उन्हें पंजीकरण की नई प्रणाली–इ–एन.डब्लू.आर प्रणाली के बारे में जानकरी प्राप्त करने में सहायता मिल सके। जागरूकता कार्यक्रमों के दौरान किसानों में वितरित करने के लिए हिंदी में पैम्फलेट भी तैयार किए गए हैं।

1.19 प्रशिक्षण, आउटरीच तथा जागरूकता कार्यक्रम

प्राधिकरण प्रशिक्षण, जागरूकता तथा आउटरीच के उद्देश्य से विभिन्न हितधारकों के लिए कार्यक्रम आयोजित करता है। इनमें किसान जागरूकता कार्यक्रम (एफ.ए.पी) भांडागारपाल प्रशिक्षण कार्यक्रम एवं विभिन्न हितधारकों जैसे बैंकर्स, व्यापारी, कमोडिटी एक्सचेंज, राज्य सरकारों के विभाग आदि के लिए आउटरीच कार्यक्रम शामिल हैं। इस प्रकार आयोजित किए गए कार्यक्रमों का विवरण अध्याय–III में दिया गया है।

अध्याय– II

2. कृषि विपणन एवं भांडागारण से संबंधित नीति तथा कार्यक्रमों की समीक्षा

देश में कृषि–जलवायु की भारी विभिन्नताओं के कारण भारत के किसान भिन्न–भिन्न प्रकार की फसलें उगाते हैं। कृषि उत्पादन तकनीकों में परिर्वतन, परिवहन–साधनों में सुधार तथा भंडारण की अच्छी सुविधाएँ एवं विपणन ढ़ांचे में बेहतरी के कारण कृषि अब एक वाणिज्यिक गतिविधि हो गई है। तथापि इस प्रकार के परिवर्तनों से इस क्षेत्र में काफी बिचौलिए भी आ गए हैं जिसके फलस्वरूप किसानों को उनके उत्पादों के लाभकारी मूल्य नहीं मिल रहे हैं। दूसरी ओर वस्तुओं के मूल्य साल–दर–साल बढ़ते रहे हैं। किसान यह अच्छी तरह समझ चुके हैं कि उत्पादन बढ़ने के साथ–साथ उनके उत्पादों के लिए अच्छा बाजार होना भी आवश्यक है।

कृषि उत्पाद के लिए एक कुशल विपणन प्रणाली से उम्मीद की जाती है

i. प्राथमिक उत्पादक को उसके उत्पाद का लाभकारी मूल्य मिलने की व्यवस्था हो;

ii. किसानों के उत्पादों का रख–रखाव सही लागत पर हो तथा उस मंडी के लिए, जहाँ वे अपने उत्पाद बेचना चाहते हैं, परिवहन की सुविधा हो:

iii. उपभोक्ता द्वारा दिए जा रहे मूल्य के बढ़ने के साथ–साथ उसमें किसान का हिस्सा भी बढ़ना चाहिए;

iv. गुणवत्ता में समझौता किए बिना उपभोक्ताओं को उचित मूल्य पर कृषि उत्पाद उपलब्ध हो।

कृषि विपणन, फसल कटाई के बाद शुरू होने वाली कोई अलग गतिविधि नहीं है जैसा कि प्राय; समझा जाता है। यह एक ऐसी गतिविधि है जो बेचने योग्य कृषि उत्पाद के उगाने से शुरू हो जाती है तथा इसमें विपणन प्रणाली के सभी पहलू जैसे फसल एकत्रित करना, श्रेणीकरण, संग्रह, परिवहन तथा वितरण शामिल हैं। सम्पूर्ण विपणन नेटवर्क में भांडागारण का एक महत्वपूर्ण स्थान है। कृषि विपणन प्रणाली में सुधार के लिए सरकार द्वारा बनाई गई नीतियों में ऊपर वर्णित सभी पहलूओं पर ध्यान दिया जाता रहा है।

2.1 खाद्यान्नों का उत्पादन

उत्तरवर्ती सरकारों द्वारा उठाए गए कदमों/पहलों के कारण स्वतंत्रता–प्राप्ति के पश्चात् देश में खाद्यानों के उत्पादन में उल्लेखनीय प्रगति हुई है जैसा कि नीचे दिए गए आंकड़ों से स्पष्ट है:–

तालिकाः 2.1

वर्ष	खाद्यान्नों का उत्पादन मिलियन मी. टन
1951-52	50.82
1961-62	82.71
1971-72	105.17
1981-82	133.30
1991-92	168.38
2001-02	212.85
2011-12	259.29
2015-16	251.57
2016-17	275.11
2017-18	285.02
2018-19*	283.37

* 03.06.2019 को तीसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार
स्रोतः वेबसाईट आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय कृषि और सहकारिता विभाग कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार

तालिका 2.2 मुख्य खाद्यान्न फसलों का उत्पादन

फसल/समूह	उत्पादन (मिलियन टन में)	
	2017-18	2018-19*
चावल	112.76	115.63
गेहूँ	99.87	101.20
न्यूट्री/मोटे अनाज	46.97	43.33
दालें	22.42	23.22
कुल	**285.02**	**283.37**

* 03.06.2019 को तीसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार
स्रोतः वेबसाईट आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय कृषि और सहकारिता विभाग कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार

2.2 अन्य प्रमुख कृषि फसलों का उत्पादन

वर्ष 2017–18 के अंतिम अनुमानों के अनुसार कपास का उत्पादन 32.80 मिलियन गांठे (प्रत्येक गांठ का वजन 170 कि.ग्रा) तथा गन्ने का उत्पादन 379.90 मिलियन टन था। तीसरे अग्रिम अनुमानों के अनुसार वर्ष 2018–19 में कपास तथा गन्ने का उत्पादन क्रमशः 27.59 मिलियन गांठे तथा 400.37 मिलियन टन रहने का अनुमान है। तिलहनों का उत्पादन, जिसमें मूंगफली, सरसों तथा सोयाबीन शामिल है, 31.46 मिलियन टन था जो वर्ष 2016–17 के 31.28 मिलियन उत्पादन से थोड़ा अधिक है। तीसरे अग्रिम अनुमानों के अनुसार वर्ष 2018–19 में तिलहनों का उत्पादन 31.42 मिलियन टन रहेगा।
(स्रोतः आर्थिक एवं सांख्यिाकी निदेशालय, कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग, भारत सरकार)

2.3 कुछ महत्वपूर्ण कृषि उत्पादों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य

कृषि मूल्यों में भारी गिरावट रोकने तथा किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य के रूप में बाजार में हस्तक्षेप करती है। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की सिफारिशों पर कुछ फसलों की बुवाई मौसम के आरम्भ में भारत सरकार द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्यों की घोषणा की जाती है। न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करने के मुख्य उद्देश्य किसानों का मजबूरन अपनी फसल बेचने से बचाव करने सहित सार्वजनिक वितरण के लिए खाद्यान्नों की खरीद है। अधिक उत्पादन तथा बाजार में कृषि उत्पाद के बहुत अधिक आने से बाजार में कृषि उत्पाद का मूल्य न्यूनतम समर्थन मूल्य से गिर जाने की स्थिति में सरकारी एजेंसियाँ निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किसानों के उत्पाद की पूरी मात्रा खरीद लेती है।

भारत सरकार द्वारा वर्ष 2018–19 के लिए रबी फसलों के समर्थन मूल्यों (विपणन वर्ष 2019–20) की घोषणा की जा चुकी है। वर्ष 2017–18 की तुलना में वर्ष 2018–19 के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्यों में काफी वृद्धि की गई है। इसका उद्देश्य किसानों को उत्पादन लागत से ऊपर 50% प्रतिलाभ सुनिश्चित करना है जो इस दिशा में सरकार की प्रतिबद्धता के अनुसार है। विभिन्न फसल मौसमों में अलग–अलग फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य इस प्रकार हैः–

तालिकाः 2.3 (रू प्रति क्विंटल)

क्र. स.	वस्तु	प्रजाति	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	(#)2017–18 से 2018–19 में एमएसपी वृद्धि
	खरीफ फसले							
1	धान	साधारण	1360	1410	1470	1550	1750	200(12.9)
		ग्रेड 'ए'	1400	1450	1510	1590	1770	180(1 1.3)
2	ज्वार	हाईब्रिड	1530	1570	1625	1700	2430	730(42.9)
		मलडंडी	1550	1590	1650	1725	2450	725(42.3)
3	बाजरा		1250	1275	1330	1425	1950	525(36.9)
4	मक्का		1310	1325	1365	1425	1700	275(19.3)
5	रागी		1550	1650	1725	1900	2897	997(52.5)
6	अरहर (तूर)		4350	4625^	5050^^	5450^	5675	225(4.1)
7	मूंग		4600	4850^	5225^^	5575^	6975	1400(25.1)
8	उड़द		4350	4625^	5000^^	5400^	5600	200(3.7)
9	कपास	मीडियम स्टेपल	3750	3800	3860	4020	5150	1130 (28.1)
		लांग स्टेपल	4050	4100	4160	4320	5450	1130(26.2)
10	मूंगफली छिलके सहित		4000	4030	4220*	4450^	4890	440(9.9)
11	सूरजमुखी सीड		3750	3800	3950*	4100*	5388	1288(31.4)
12	सोयाबीन		2560	2600	2775*	3050^	3399]	349(11.5)
13	तिल		4600	4700	5000^	5300*	6249	949(17.9)
14	नाइजेर सीड		3600	3650	3825*	4050*	5877	1827(45.1)
	रबी फसलें							
15	गेहूँ		1450	1525	1625	1735	1840	105(6.1)
16	जौ		1150	1225	1325	1410	1440	30(2.1)
17	चना		3175	3500**	4000^	4400@	4620	220(5.0)
18	मसूर (लेनटिल)		3075	3400**	3950@	4250*	4475	225(5:3)
19	रैप्सीड		3100	3350	3700*	4000*	4200	200(5.0)
20	सूरजमुखी		3050	3300	3700*	4100*	4945	845(20.6)
21	तोरिया		3020	3290	3560	3900*		
	अन्य फसलें							
22	खोपरा नारियल की गरी (कैलेण्डर वर्ष)	मीलिंग	5250	5550	5950	6500	7511	1011(15.6)
		Ball	5500	5830	6240	6785	7750	965(14.2)
23	डी– अस्क नारियल (कैलेण्डर वर्ष)		1425	1500	1600	1760	2030	270(15.3)
24	पटसन		2400	2700	3200	3500	3700	200(5.7)
25	गन्ना		220.00	230.00	230.00	255	275	20(7.8)

कोष्टक में दिए गए आंकडे प्रतिशत वृद्धि दर्शाते है
$ उचित एवं लाभकारी मूल्य
* 100/– रू प्रति क्विंटल दिखाते है बोनस सहित
** 75 रू प्रति क्विंटल बोनस सहित
^ 200/–रू प्रति क्विंटल बोनस सहित
^^ 425/– रू प्रति क्विंटल बोनस सहित
@ 150/–रू प्रति क्विंटल बोनस सहित
(स्रोतः कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग, भारत सरकार की वैबसाइट)

2.4 केन्द्रीय पूल के लिए भारतीय खाद्य निगम द्वारा खाद्यान्नों की खरीद

खाद्यान्नों की खरीद (चावल, गेंहूँ तथा मोटे अनाज) संबंधित विपणन मौसम के लिए भारत सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम मूल्य पर भारतीय खाद्य निगम तथा राज्य एजेंसियों द्वारा की जाती है। किसानों तथा उपभोक्ताओं के हितों को सुरक्षित रखने के लिए खरीफ विपणन तथा रबी विपणन मौसम शुरू होने से पहले खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग, भारत सरकार द्वारा खाद्यान्नों के एक समान स्पेसिफिकेशन (एफ.ए.क्यू मानक) निर्मित एवं सभी केन्द्रीय तथा राज्य खरीद एजेंसियों को समय–पूर्व अधिसूचित किए जाते हैं। केन्द्रीय पूल के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य पर एक समान स्पेसिफिकेशन वाले खाद्यान्न स्टॉक की खरीद की जाती है। वर्तमान में 23 वस्तुओं के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित किए जाते हैं लेकिन मुख्यतः गेंहूँ तथा चावल एवं दालों के लिए प्रभावी मूल्य समर्थन उपलब्ध है। उपभोक्ताओं को गुणवत्ता वाले खाद्यान्नों की आपूर्ति सुनिश्चित करने तथा लंबी अवधि के भंडारण से होने वाली हानियों को न्यूनतम स्तर पर रखने के लिए सरकार ने गेंहूँ तथा धान/चावल की खरीद को अधिकतम स्तर पर रखने के लिए एवं पुराने स्टॉक के समापन की नीति अपनायी है ताकि भारतीय खाद्य निगम के पास 2 वर्ष से अधिक जारी किया जा सकने वाला किसी स्टॉक को उसे आगे न ले जाना पड़े।

2.5 गत तीन वर्षों में गेंहूँ तथा चावल की खरीद

तालिकाः 2.4 प्रमुख खाद्यान्न फसल की खरीद

आंकड़े लाख मी. टन में

फसल/समूह	2016-17	2017-18	2018-19
गेंहूँ	229.62	308.24	357.92
चावल	381.06	381.85	374.50*
कूल	**610.68**	**689.49**	**732.42**

*29 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार

स्रोतः उपभोक्ता मामले, खाध एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय खाघ एवं सार्वजनिक वितरण विभाग

2.6 दालों तथा तिलहनों की खरीद

कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग भारत सरकार का सहकारिता प्रभाग कुछ संशोधनों सहित पूर्व के मूल्य समर्थन स्कीम (पी.एस.एस) को शामिल करते हुए मूल्य न्यूनता पेमेंट स्कीम (पी.डी.पी.एस) तथा पॉयलट ऑफ प्राइवेट प्रोक्यूरमेंट तथा स्टॉकिस्ट स्कीम (पी.पी.एस.एस) नाम से कई स्कीम चला रहा है जिन सब को मिलाकर **"प्रधान मंत्री अन्नदाता एवं संरक्षण अभियान"** का नाम दिया गया है। इस पूरी स्कीम से राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को किसी एक की खरीद के लिए पूरे राज्य के लिए विशेष रूप से तिलहनों के लिए पी.एस.एस तथा पी.डी.एस से कोई एक स्कीम चुनने का विकल्प है। दालें तथा खोपरा की खरीद पी.एस.एस के अधीन की जाती है। इसके अतिरिक्त राज्यों द्वारा निजी खरीद तथा स्टॉकिस्ट स्कीम (पी.पी.एस) को जिले प्राइवेट स्टॉकिस्ट को शामिल करते हुए चुनिंदा ए.पी.एम.सी में चलाई जा सकती है।

2.6.1 मूल्य समर्थन योजना (पी.एस.एस)

यह योजना संबंधित राज्य सरकार के अनुरोध पर क्रियान्वित की गई है, जो खरीद की जाने वाली दालों, तिलहनों एवं खोपरा पर मंडी कर की छूट देने के लिए सहमत हो जाती है तथा पटसन के बोरो, राज्य एजेंसियों की कार्यशील पूंजी, पी.एस.एस परिचालनों के लिए निरंतर निधि के सृजन आदि केन्द्रीय नोडल एजेंसियों को सहयोग प्रदान करती हैं, जैसा कि इस योजना के दिशा निर्देशों में उल्लिखित है। इन वस्तुओं की खरीद पूर्व–पंजीकृत किसानों से निर्धारित अवधि के अंदर तथा न्यूनतम समर्थन मूल्य से मूल्य कम हो जाने की स्थिति में सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य पर राज्य एजेंसियों के माध्यम से केन्द्रीय एजेंसियों के मानकों के अनुसार निर्धारित उचित गुणवत्ता के आधार पर की जाती है। मूल्य समर्थन योजना के दिशा–निर्देशों के अनुसार केन्द्र सरकार द्वारा की जाने वाली खरीद मौसम विशेष में वस्तु के वास्तविक उत्पादन के 25% तक सीमित होगी यदि राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकार 25% से ऊपर खरीद करना चाहती है तो व्यय एवं लागत पर स्वंय की एजेंसियों के माध्यम से कर सकती है। यदि राज्य सरकार केन्द्रीय नोडल एजेंसियों के माध्यम से 25% से ऊपर तथा 40% तक खरीद करना चाहती है तो, राज्य सरकार को उसे अपनी सार्वजनिक वितरण प्रणाली तथा अन्य कल्याण योजनाओं के लिए अपनी लागत पर प्रयोग करना होगा। वर्ष 2018–19 में पी.एस.एस के अन्तर्गत दालों की खरीद नीचे तालिका में की गई हैः–

तालिकाः 2.5

पी.एस.एस के अधीन न्यूनतम समर्थन मूल्य पर दालों, तिलहनों तथा खोपरा की खरीद का विविरण (20.05.2019 को) (मात्रा मी. टन में)						
श्रेणी / वस्तु	2014-15	2015-16 #	2016-17 #	2017-18 #	2018-19 **	कूल
दालें						
चना	-	-	-	2769430.16	597529.69	3366959.85
मसूर	-	-	-	246943.85	38459.49	285403.34
मूंग	-	-	121902.70	299182.35	317009.36	738094.41
तूर	-	-	195993.68	873758.62	290692.55	1360444.85
उड़द	-	-	15747.65	363593.88	487206.14	866547.67
उप–योग	-	-	333644.03	4552908.86	1730897.23	6617450.12
तिलहन						
मूंगफली	-	-	211678.93	1051582.68	717384.17	1980645.78
सरसो	-	-	36940.18	873661	793242.58	1703843.76
नाइजर सीड	-	-	-	-	15.90	15.90
तिल	-	-	3419.81	-	-	3419.81
सोयाबीन	-	-	162.19	72282.10	19807.12	92251.41
सूरजमुखी	4241.68	4949.31	6539.09	2745.43	750.0	19225.51
उप–योग	4241.68	4949.31	258740.20	2000271.21	1531199.77	3799402.17
खोपरा						
बॉल खोपरा	-	-	1836.86	-	-	1836.86
मीलिग खोपरा	-	-	4488.94	-	-	4488.94
			6325.80			6325.80

#दालों की खरीद मूल्य स्थिरीकरण के अधीन की गई जा डी.ओ.सी.ए द्वारा प्रचालित की गई। वह इसमें शामिल नही है।
**खरीद की प्रगति

स्रोतः सहकारिता प्रभाग, कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्यान विभाग, भारत सरकार से प्राप्त सूचना

2.6.2 मूल्य न्यूनता भुगतान योजना (पी.डी.पी.एस)

यह योजना न्यूनतम समर्थन मूल्य तथा पूर्व–पंजीकृत किसानों को एक निश्चित अवधि में अधिसूचित मार्केट यार्ड में पारदर्शी नीलामी प्रक्रिया के माध्यम से उचित औसत क्वालिटी (एफ.ए.क्यू) के तिलहनों के मूल्य के अन्तर को पाटने के लिए है। सभी भुगतान सीधे किसानों के खातों में किए जायेंगे। योजना में कोई भौतिक खरीद शामिल नहीं है। पी.डी.पी.एस के अन्तर्गत न्यूनतम समर्थन मूल्य तथा बिक्री / मोडल मूल्य अर्थात् मूल्य न्यूनतम में से एस.एस.पी का 25% जो किसान प्राप्त करेगा (2%

प्रशासनिक लागत सहित) केन्द्र सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। केन्द्र सरकार की सहायता, उत्पादन के 25% तक दी जाएगी। यदि कोई राज्य 25% से अधिक मात्रा कवर करना चाहती है, तो उसके लिए राज्य सरकारों को अपने संसाधनों से निधि जुटानी होगी। इस योजना के अधीन खरीफ सीजन 2018–19 में सोयाबीन की 16,82,700 मी.टन मात्रा मध्य प्रदेश द्वारा कवर की गई है।

2.6.3 निजी खरीद तथा स्टॉकिस्ट योजना (पी.पी.एस.एस)

तिलहनों की खरीद के लिए राज्य निजी खरीद तथा स्टॉकिस्ट योजना के लिए तिलहनों की खरीद हेतु भारत सरकार को प्रस्ताव भेज सकते हैं। इस प्रकार की खरीद पूर्व पंजीकृत किसानों से जिले/चुनिंदा ए.पी.एम.एस से चुनिंदा स्टॉकिस्टों को शामिल करते हुए की जाएगी। निजी स्टॉकिस्ट का पैनल राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश की सरकार द्वारा वर्तमान दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाएगा। निजी स्टॉकिस्ट को उस वस्तु विशेष को राज्य में पी.डी.पी.एस/पी.एस.एस के अन्तर्गत अधिसूचित खरीद अवधि में बेचने की अनुमति नहीं होगी। भंडारण एवं परिवहन तथा निपटान सहित सभी प्रकार के रख–रखाव की जिम्मेदारी पूरी तरह स्टॉकिस्ट की होगी। अधिकतम सेवा प्रभार वर्ष एवं उपज के लिए अधिसूचित एम.एस.पी के 15% तक होगा। इस प्रकार के निजी स्टॉकिस्ट जिले कृषि उत्पाद प्रबंधन समितियाँ से निर्धारित उचित औसत लागत क्वालिटी मानकों के अनुसार चुनिंदा तिलहनों की 25% खरीद कर सकेगा।

2.7 भारत में भांडागारण क्षमता की वर्तमान स्थिति

देश में केन्द्रीयकृत डैटा बेस के अभाव में संगठित क्षेत्र में भांडागारण क्षमता का अनुमान लगाना कठिन है। तथापि विभिन्न स्रोतों से प्राप्त सेकेण्डरी डैटा के अनुसार सार्वजनिक एजेंसियों, सहकारी समितियों तथा निजी क्षेत्र द्वारा चलाए जा रहे संगठित भांडागारों की वर्तमान क्षमता **162.71, मिलियन** टन है।

जैसा कि नीचे दिए गए विवरण से देखा जा सकता है भांडागारण क्षमता का प्रमुख भाग सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों जैसे भारतीय खाद्य निगम (एफ.सी.आई) केन्द्रीय भंडारण निगम (सी.डब्लू.सी) राज्य भंडारण निगमों (एस.डब्लू.सी) राज्य विपणन संघों, राज्य आपूर्ति निगमों आदि द्वारा नियंत्रित किया जा रहा है।

तालिकाः 2.6

क्र.सं.	संगठन/क्षेत्र का नाम	भांडागारण क्षमता
1.	भारतीय खाद्य निगम (कैप तथा सी.डब्लू.सी, एस.डब्लू.सी, राज्य एजेंसियों तथा प्राइवेट से ली गई क्षमता को छोड़कर)	12.73
2.	केन्द्रीय भंडारण निगम (सी.डब्लू.सी)	10.10
3.	राज्य भंडारण निगम (कैप स्टोरेज को छोड़कर)	24.08
4	अन्य राज्य एजेंसियाँ (कैप स्टोरेज को छोड़कर)	11.66
5.	सहकारी क्षेत्र	16.51
6.	निजी क्षेत्र	77.68
	कुल	**162.71**

स्रोतः सी.डब्लू.सी, एफ.सी.आई, खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग भारत सरकार की वेबसाइट एन.सी.डी.सी, कृषि विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय, भारत सरकार से प्राप्त सूचना।

2.8 भंडारण क्षमता में वृद्धि

सरप्लस क्षेत्रों में भंडारण स्थान की कमी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने संवर्द्धक नीतियों सहित भांडागारों के निर्माण सब्सिडी देने सहित कई पहल की हैं। यहाँ कुछ पहलों का विवरण दिया गया है।

2.8.1 कृषि विपणन अवसंरचना

भंडारण सहित कृषि विपणन अवसंरचना के सृजन को प्रोत्साहन देने के लिए कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय पूंजी निवेश सब्सिडी स्कीम पर कर रहा है। यह कृषि विपणन एकीकृत योजना (आइ.एस.ए.एम) की उप योजना है। यह उपयोजना दो चालू योजनाओं अर्थात 01. अप्रैल, 2001 से क्रियान्वित की जा रही ग्रामीण भंडारण योजना (जी.वी.आइ) तथा कृषि, सहकारिता तथा किसान कल्याण विभाग, कृषि तथा किसान मंत्रालय की 20 अक्तूबर, 2004 से क्रियान्वित की जा रही, कृषि विपणन अवसंरचना के विकास/सशक्तिकरण, श्रेणीकरण, मानकीकरण योजना को सम्मिलित करते हुए बनाई गई है। आई.एस.एम की कृषि विपणन अवसंरचना (ए.एम.आई) उप–योजना के नए दिशा–निर्देशों के अनुसार यह 22.10.2018 से 31.03.2020 तक 14 वें वित्त आयोग की अवधि तक चलेगी।

इस योजना के मुख्य उद्देश्य (i) कृषि तथा अन्य सहायक उत्पाद जैसे बागबानी, पशुधन, मुर्गी पालन, मछली पालन, बाँस, लघु वनोत्पाद आदि जो किसानों की आय बढ़ाने का साधन होगा। (ii) कृषि तथा सहायक उत्पाद के विपणन के लिए वैकल्पिक तथा प्रतिस्पर्द्धात्मक चैनलों का विकास (iii) कृषि उत्पाद, प्रसंस्कारित उत्पाद तथा कृषि वस्तुओ आदि के लिए वैज्ञानिक भंडारण को बढ़ावा ताकि फसल कटाई के बाद होने वाली हानियाँ कम हो सकें तथा किसानों तथा अन्य को वित्त पोषण तथा बाजार– पहुँच की सुविधा प्राप्त हो सके (iv) ग्रामीण हाट को ग्रेन कृषि बाजार का दर्जा प्राप्त होने में सहायता मिल सके जिससे किसान–उपभोक्ता बाजार लिंकेज बढ़ेगा (v) कृषि उत्पादों के श्रेणीकरण मानकीकरण तथा गुणवत्ता प्रमाणीकरण के लिए आधारभूत सुविधाएँ उपलब्ध हो सकेंगी तथा जिससे (क) किसानों को उनके उत्पाद के अच्छा मूल्य प्राप्त होगा तथा गुणवत्ता वाले उत्पादों को उगाने के प्रति उत्साहित होंगे (ख) गिरवी वित्त पोषण बढ़ेगा तथा इ–एन.डब्लू.आर के व्यापार को बल मिलेगा।

ए.एम.आई योजना उत्तरवर्ती देय किस्त योजना है जिसकी सब्सिडी दर 25% से 33.33 तक भिन्न–भिन्न है तथा लाभार्थियों की श्रेणी पर आधारित है। सब्सिडी पूँजी लागत मानक के अनुसार परियोजना की लागत पर दी जाती है।

कृषि विपणन के लिए एकीकृत योजना (आई.एस.ए.एम) की उप–योजना, कृषि विपणन अवसंरचना योजना (पूर्व में ग्रामीण गोदाम योजना) के अन्तर्गत 31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार राज्यवार सृजित भंडारण क्षमता इस प्रकार हैः–

तालिका: 2.7

क्र. संख्या	राज्य	नाबार्ड द्वारा स्वीकृत		एन.सी.डी.सी. द्वारा स्वीकृत (नई)		एन.सी.डी.सी. द्वारा स्वीकृत (नवीकरण)		कुल (स्वीकृत)	
		परियोजनाओं की संख्या	क्षमता (मी.टन.)	परियोजनाओं की संख्या	क्षमता (मी.टन.)	परियोजनाओं की संख्या	क्षमता (मी.टन.)	परियोजनाओं की संख्या	क्षमता (मी.टन.)
1	आंध्रप्रदेश	1314	5406401	16	1600	8	800	1338	5408801
2	अरूणाचल प्रदेश	1	945	0	0	0	0	1	945
3	असम	324	986519	1	650	0	0	325	987169
4	बिहार	296	426781	680	72161	24	4800	1000	503742
5	छत्तीसगढ़	517	1685195	77	258350	0	0	594	1943545
6	गोवा	1	299	0	0	0	0	1	299
7	गुजरात	11540	4114560	104	338230	19	19600	11663	4472390
8	हरियाणा	581	5521154	778	705699	658	330517	2017	6557370
9	हिमाचल प्रदेश	42	22486	45	5000	0	0	87	27486
10	जम्मू एवं कश्मीर	14	83027	0	0	0	0	14	83027
11	झारखंड	26	157316	0	0	0	0	26	157316
12	कर्नाटक	4270	3575264	235	211922	3	415	4508	3787601
13	केरल	40	55806	166	34705	0	0	206	90511
14	मध्य प्रदेश	2814	10155208	699	364683	315	105970	3828	10625861
15	महाराष्ट्र	3497	6262489	39	289922	45	118300	3581	6670711
16	मेघालय	9	20262	7	750	0	0	16	21012
17	मिजोरम	1	302	0	0	0	0	1	302
18	नागालैण्ड	1	814	0	0	0	0	1	814
19	ओडिशा	687	998180	0	0	4	11000	691	1009180
20	पंजाब	1533	6355146	3	1000	209	385696	1745	6741842
21	राजस्थान	1244	2644623	100	63250	127	12700	1471	2720573
22	तमिलनाडु	308	1277582	180	47330	639	82490	1127	1407402
23	तेलंगाना	757	4620243	3	4980	0	0	760	4625223
24	त्रिपुरा	5	28764	0	0	0	0	5	28764
25	उत्तर प्रदेश	542	3927221	31	164580	546	1230768	1119	5322569
26	उत्तराखंड	250	728419	33	25250	4	18600	287	772269
27	पश्चिम बंगाल	2485	1574673	54	5550	13	1300	2552	1581523
	कुल	**33099**	**60629679**	**3251**	**2595612**	**2614**	**2322956**	**38964**	**65548247**

(स्रोतः सहयोग विभाग, कृषि विभाग, सहयोग और किसान कल्याण, भारत सरकार से प्राप्त जानकारी)

2.8.2 निजी उद्यमी गारंटी योजना, 2008

सरकार ने सरकारी/निजी भागीदारी (पी.पी.पी) के अन्तर्गत भांडागारण गोदामों के निर्माण हेतु निजी उद्यमी गारंटी योजना, निजी उद्यमियों/केन्द्रीय भंडारण निगम/राज्य भंडारण निगमों के माध्यम से शुरू की थी। इस योजना के अधीन भंडारण क्षमता का निर्धारण सम्पूर्ण खरीद, क्षेत्र की उपभोग आवश्यकताओं तथा विद्यमान भंडारण क्षमता के आधार पर किया जाना था। भारतीय खाद्य निगम निजी निवेशको को 10 साल की गारंटी तथा केन्द्रीय भंडारण निगम/राज्य भंडारण निगमों/राज्य एजेंसियों को 9 साल की गारंटी देती है।

राज्य स्तरीय समितियों (एस.एल.सी) से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर योजना के दिशा निर्देशों के अनुसार 22 राज्यों में विभिन्न स्थानों पर निजी उद्यमी गारंटी गोदामों के निर्माण के लिए भारतीय खाद्य निगम की उच्च स्तरीय समिति द्वारा 165.46 लाख मी. टन अनुमोदित की गई थी। इस क्षमता में से 141.32 लाख मेट्रिक टन क्षमता पहले ही पूरी की जा चुकी है तथा 31.03.2019 को 6.46 मेट्रिक टन क्षमता निर्माण के विभिन्न स्तरों के अधीन है।

2.9 सहकारिता क्षेत्र में भांडागारण क्षमता

ग्रामीण क्षेत्र में कम क्षमता वाले सहकारिता भांडागारों की काफी संख्या है। इन भांडागारों में छोटे किसानों द्वारा अपने उत्पाद भंडारित कराने की अधिक संभावना के मदद् नजर डब्लू.डी.आर.ए. सहकारी भांडागारों को प्राधिकरण के साथ पंजीकरण कराने तथा किसानों को एन.डब्लू.आर जारी करने को बढ़ावा दे रहा है। 31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार सहकारिता क्षेत्र में 67931 भांडागार हैं जिनकी कुल क्षमता 16.51 मिलियन टन है। इन में से राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एन.सी.डी.सी) की सहायता से वर्ष 2018–19 में 1666 मी.टन क्षमता के 7 भांडागार और जोड़े गए।

2.10 राष्ट्रीय कृषि बाजार (ई–एन.ए.एम)

कृषि विपणन क्षेत्र में सुधारों का सूत्रपात करने, देश में कृषि वस्तुओं के ऑनलाइन विपणन को बढ़ावा देने तथा किसानों को अधिकतम लाभ पहुँचाने के उद्देश्य से सरकार ने 1 जुलाई, 2015 को राष्ट्रीय कृषि बाजार (एन.ए.एम) योजना अनुमोदित की थी। एन.ए.एम. की पायलट योजना 8 राज्यों की 21 मंडियों में 14 अप्रैल, 2016 को प्रारम्भ की गई। इस योजना के अधीन ऑनलाइन ट्रेडिंग विकसित करने हेतु गेट एंट्री सहित मंडियों की पूरी कार्य प्रणाली का डीजिटाइजेशन, लॉट मैनेजमेंट, बोली लगाना, ई बिक्री करार, ई भुगतान एवं विषम सूचना को हटाने, लेन–देन प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ाने तथा देश में बाजारों की पंहुच बढ़ाने के लिए 585 नियमित बाजारो में वैब आधारित प्लेटफॉर्म शुरू किया गया है। इसके अतिरिक्त ई–एन.ए.एम में ट्रेडिंग के लिए वस्तुओं की बिक्री को सरल बनाने के लिए 124 कृषि वस्तुओं के लिए सामान्य व्यापार पैरामीटर बनाए गए हैं। 31 मार्च, 2019 तक 1.57 करोड़ किसान, 1.22 लाख व्यापारी तथा 68463 कमिशन एजेंट इ–नैम पर पंजीकृत किए जा चुके थे तथा 66237 करोड़ मूल्य 2.46 करोड़ मी.टन कृषि उत्पाद का व्यापार किया जा चुका था। इसके अतिरिक्त इको सिस्टम को और अधिक विस्तार देने के लिए इ–नैम पर 16 राज्यों से 713 किसान उत्पादक संगठन पंजीकृत किए जा चुके हैं। विक्रेताओं एवं क्रेताओं की सुविधा के लिए गूगल मैप पर इ–नैम किसान उत्पादक संगठनों/किसान उत्पादक अभियान को लाभन्वित करने के लिए भांडागारण आधरित व्यापार माड्यूल विकसित करने की योजना बना रहा है।

तालिकाः 2.1

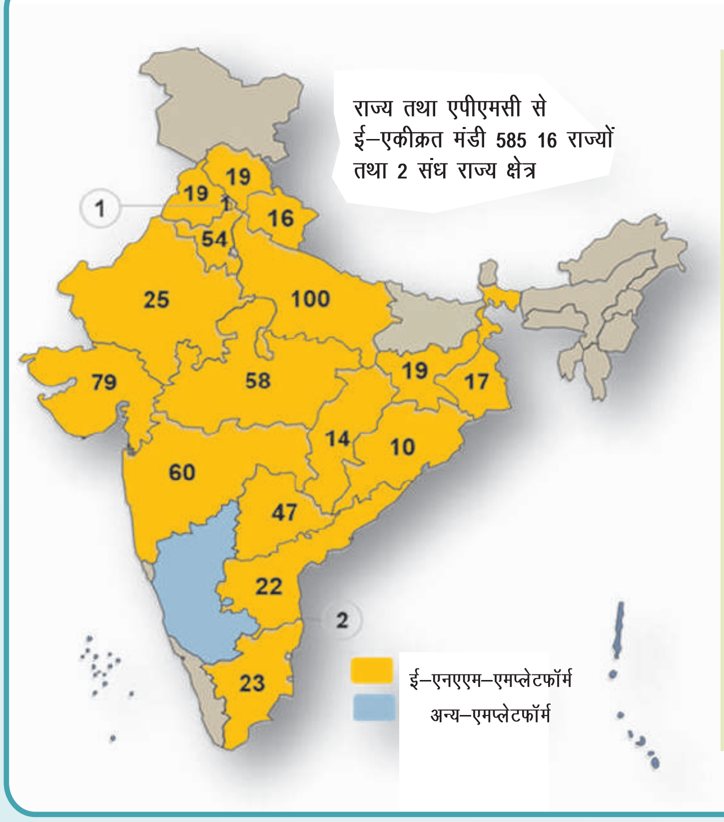

राज्य	नियमित बाजार
आंध्रप्रदेश	22
चंढ़ीगड	1
छत्तीसगढ़	14
गुजरात	79
हरियाणा	54
हिमाचल प्रदेश	19
झारखंड	19
मध्य प्रदेश	58
महाराष्ट्र	60
उड़ीसा	10
पुडुचेरी	2
पंजाब	19
राजस्थान	25
तमिलनाडु	23
तेलंगाना	47
उत्तर प्रदेश	100
उत्तराखंड	16
पश्चिम बंगाल	17
कुल	585

(स्रोतः सहयोग विभाग, कृषि विभाग, सहयोग और किसान कल्याण, भारत सरकार से प्राप्त जानकारी)

प्राधिकरण इ–एन.ए.एम के साथ इ.एन.डब्लू.आर प्रणाली के एकीकरण के लिए कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग के साथ मिलकर काम कर रहा है। पंजीकृत भांडागार को मार्केट सब–यार्ड घोषित किया गया है अतः इ–नैम अपने प्लेटफार्म पर स्टॉक की बिक्री कर सकता है ।

2.11 राज्य/संघ राज्य क्षेत्र कृषि उत्पाद तथा पशुधन विपणन (संवक्षण एवं सुगमता) मॉडल अधिनियम, 2017

किसानों को विपणन की बेहतर सुविधाएँ उपलब्ध कराने के उद्देश्य से भारत सरकार ने राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा अपनाने हेतु अप्रैल, 2017 में एक नया कृषि उत्पाद एवं पशुधन विपणन (संवर्द्धन एवं सुगमता) अधिनियम, 2017 परिचालित किया। मॉडल अधिनमय में वैकल्पिक विपणन चैनल जैसे निजी बाजार, सीधा विपणन, किसान मंडी, विशेष वस्तु बाजार का प्रावधान है ताकि किसानों को अपने उत्पाद प्रतिस्द्धर्धात्मक एवं लाभकारी मूल्यों पर बेचने की सुविधा मिल सके।

इसके अतिरिक्त कम होते जा रहे संसाधनों के भरपूर प्रयोग तथा बाजार में मूल्यों की अनिश्चितता को देखते हुए भारत सरकार ने राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए "मॉडल राज्य/संघ राज्य क्षेत्र कृषि उत्पाद एवं पशुधन कांट्रेक्ट फार्मिंग एवं सेवाएँ (संवर्द्धन एवं सुगमता) अधिनियम, 2018 को मई, 2018 में परिचालित किया। उपर्युक्त मॉडल कांट्रेक्ट फार्मिंग अधिनियम उत्पादन पूर्व से फसल कटाई से लेकर कृषि उत्पाद तथा पशुधन के लिए सर्विस कांट्रेक्ट से लेकर पूरी मूल्य तथा आपूर्ति श्रृंखला को कवर करता है।

मॉडल अधिनियम का अध्याय II खण्ड 12 में भांडागार/साइलो/कोल्ड स्टोरेज तथा अन्य इस प्रकार के ढांचे अथवा स्थान को मार्किट सब–यार्ड के रूप में घोषित किया गया है। इस प्रकार का प्रावधान किए जाने से डब्लू.डी.आर.ए. के पंजीकृत भांडागार इ–एन.डब्लू.आर के अनुसार जमा सामान के प्रभावी व्यापार के लिए एक हब के रूप में कार्य करने लगेंगे।

2.12 फसल कटाई के बाद फसल ऋृणो पर ब्याज सहायता योजना

भारत सरकार द्वारा छोटे सीमांत किसानों को 3 लाख रू तक लघु अवधि फसल ऋृण पर 7% वार्षिक ब्याज दर पर ब्याज–सहायता योजना खरीफ मौसम 2006–2007 से चलाई जा रही है। इस योजना के अधीन ऋृण देने वाली संस्थाओं जैसे सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, निजी क्षेत्र के वाणिज्यिक बैंकों (ग्रामीण तथा अर्ध–ग्रामीण शाखाओं द्वारा) अपने संसाधनों से दिए गए ऋृण पर 2% वार्षिक दर से ब्याज सहायता प्रदान कर रही है। यह योजना सार्वजनिक क्षेत्र तथा निजी क्षेत्र के बैंको (भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रतिपूर्ति) तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक सहकारिताएँ (नाबार्ड द्वारा प्रतिपूर्ति) के माध्यम से चलाई जा रही है। इसके अतिरिक्त फसल ऋृण पर देय तारीख तथा उससे पहले तुरन्त ऋृण चुकाने पर 3% की ऋण सहायता दी जाती है। इस प्रकार ऐसे किसानों के लिए प्रभावी ब्याज दर केवल 4% रह जाती है। किसानों द्वारा अपने उत्पादों की मजबूरन बिक्री न करनी पड़े तथा वे उत्पाद को भांडागार में स्टोर करने के लिए उत्साहित महसूस करें, इसके लिए वर्ष 2010–11 से एन.डब्लू.आर / इ–एन.डब्लू.आर के विरूद्ध प्राधिकरण के पास पंजीकृत भांडागार स्टोर किए उत्पादों पर आगे छह महीने तक किसान क्रेडिट कार्ड रखने वाले छोटे एवं सीमांत किसानों को भी फसल ऋण पर ब्याज सहायता का लाभ दिया गया है।

भारत सरकार ने 11 फरवरी, 2019 को वर्ष 2018–19 तथा 2019–20 के लिए भी ब्याज सहायता स्कीम जारी रखने को अनुमोदन प्रदान कर दिया है जो 14 वें वित्त आयोग की अवधि की समाप्ति के साथ चलेगी। इसके अतिरिक्त वर्ष 2018–19 से आई.एस.एस को डी.बी.टी मोड पर "वस्तु रूप में" / सेवा आधार पर रखा गया है तथा 2018–19 में प्रोसेस किए गए लधु अवधि के फसल ऋणों को आई.एस.एस पोर्टल / डी.बी.टी प्लेटफार्म पर लाया जाएगा।

2.13 प्राथमिकता क्षेत्र ऋण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्य निर्देश

भारत के रिजर्व बैंक के मुख्य निदेश (ऋण हेतु प्राथमिकता क्षेत्र अध्याय III- लक्ष्य एवं वर्गीकरण) 2016 में यह प्रावधान किया गया है कि भांडागार रसीद के विरूद्ध कृषि उत्पाद के गिरवी / बंधक रख कर ऋण दिया जा सकता है।

क) स्वंय सहायता समूह तथा संयुक्त दायित्व समूह सहित अकेले किसान को कृषि उत्पाद को गिरवी / बंधक रख कर (भांडागार रसीद सहित) 12 मास की अवधि के लिए 50.00 लाख रू तक ऋण दिया जा सकता है।

ख) व्यवसायी, किसान एफ.पी.ओ / किसानों की कम्पनियों, भागीदारी फर्म तथा किसानों के को–आपरेशन जो प्रत्यक्ष रूप से कृषि तथा अन्य सहायक गतिविधियों में संलग्न है; कृषि उत्पाद (भांडागार रसीद सहित) गिरवी / बंधक रखने द्वारा 12 मास की अवधि के लिए 50.00 लाख रू तक ऋण प्रदान किया जा सकता है।

बैंको से सम्पर्क स्थापित करने के पश्चात् पता चला है कि वे केवल भांडागार रसीद को ही स्वीकार करते आ रहे हैं। उन्होंने इसके लिए यह आधार बनाया है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने ऋण के लिए प्राथमिकता क्षेत्र के मुख्य निर्देश द्वारा इस दस्तावेज को गिरवी / बंधक रखने के लिए पात्र दस्तावेजों में शामिल किया है।

बैंकों ने यह फीडबैक भी दिया है कि ऋण के लिए प्राथमिकता क्षेत्र के मुख्य निर्देश में भारत सरकार द्वारा अधिनियमित भांडागारण (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 2007 से पूर्व भांडागार रसीदों को शामिल किया जा चुका था। दूसरी ओर अधिनियम में परक्राम्य भांडागार रसीदों को गिरवी वित्त पोषण के लिए मुख्य दस्तावेज का दर्जा दिया गया है। चूंकि अधिनियम में भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देश शामिल नहीं किए गए इसलिए बैंक गिरवी वित्त पोषण के लिए भांडागार रसीदों को ध्यान में ले रहे हैं।

प्राधिकरण ने भारतीय रिजर्व बैंक के वित्तीय समावेश विभाग ने पहले ही अनुरोध किया है कि ''भांडागार रसीद'' शब्दों के स्थान पर ''परक्राम्य भांडागार रसीद'' अंकित किया जाए क्योंकि भांडागारण (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 2007 में ''परक्राम्य भांडागार रसीद'' का उल्लेख है। प्राधिकरण ने महाप्रबंधक, आर बी आई, कार्यकारी निदेशक आर बी आई, अपर सचिव, वित्तीय सेवाएँ विभाग तथा इंडियन बैंकर्स एसोसिएशन के साथ कई बार बात की, इ–एन.डब्लू.आर तथा रेपोजिटरी प्रणाली के संबंध में विस्तृत प्रस्तुति दी गई, ऋणदाताओं/रसीदधारकों की वित्तीय सुरक्षा के संबंध में बताया गया तथा अनुरोध किया गया कि ''भांडागार रसीदों'' के स्थान पर ''परक्राम्य भांडागार रसीदे/इलेक्ट्रोनिक भांडागार रसीदें'' शब्द लिखे जाए। डब्लू.डी.आर.ए. तथा बैंकों के प्रतिनिधियों के बीच कई बार बातचीत हुई। यद्यपि इस मुद्दे पर सकारात्मक कार्रवाई के लिए आश्वासन दिए गए हैं लेकिन परिणाम की अभी प्रतीक्षा है।

2.14 इलेक्ट्रोनिक भांडागार रसीद प्रणाली के संबंध में बैंकों का अभिन्यास

इंडियन बैंक एसोसिएशन के अलावा डब्लू.डी.आर.ए. तथा बैंकों के प्रतिनिधियों के बीच एन.डब्लू.आर/इ–एन.डब्लू.आर के विरूद्ध गिरवी वित्त पोषण की प्रासंगिकता तथा आवश्यकता पर कई बार बातचीत हुई है। बैंको अर्थात् यस बैंक, एच.डी.एफ.सी बैंक/आई.सी.आई.सी.आई बैंक, इलाहाबाद बैंक तथा भारतीय स्टेट बैंक के अधिकारियों ने डब्लू.डी.आर.ए. कार्यालय का दौरा किया। प्राधिकरण द्वारा बैंक अधिकारियों के समक्ष एन.डब्लू.आर जारी करने वाले भांडागारों के पंजीकरण तथा विनियमन तथा विशेषकर गिरवी प्रबंधन सहित रेपोजिटरीज द्वारा इ–एन.डब्लू.आर की सुरक्षा विशिष्टताओं तथा इसकी पारदर्शिता हस्तांतरण प्रक्रिया के बारे में पूरी तरह सहमत होने के पश्चात् इनमें से कुछ बैंको ने रेपोजिटरी के साथ ऑन–बोर्डिग प्रक्रिया पहले से ही शुरू करने सहित इ–एन.डब्लू.आर को गिरवी–वित्तपोषण के लिए स्वीकार करना शुरू कर दिया है।

अध्याय – III

3.1 भांडागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण की कार्य प्रणाली की समीक्षा

3.1.1 प्राधिकरण द्वारा हाल में की गई पहल

भांडागारों के पंजीकरण तथा विनियमन की प्रक्रिया को सरल बनाने, पंजीकृत भांडागारों द्वारा जारी की गई इलेक्ट्रोनिक परक्राम्य भांडागार रसीदों की विश्वसनीयता एवं स्वीकार्यता बढ़ाने तथा उद्योग द्वारा आगे बढ़ कर स्वेच्छा से अपने भांडागारो को प्राधिकरण के साथ पंजीकृत कराने के लिए एक उत्साहवर्द्धक वातावरण द्वारा सृजित करने के लिए वर्ष 2017–18 में प्राधिकरण द्वारा कई पहल की गई है। इन पहलों में नए पंजीकरण नियम, इलेक्ट्रोनिक परक्राम्य भांडागार रसीद विनियम, प्रतिभूति जमा अधिसूचना, संबंधित प्रक्रियाओं का डिजीटाइजेशन, पंजीकृत भांडागारों के लिए सशक्त निगरानी प्रणाली एवं पंजीकृत भांडागारों में प्रमुख लेन–देन कार्यो की ऑनलाइन मॉनीटरिंग तथा अधिक से अधिक पारदर्शिता के लिए बैंकों को परक्राम्य भांडागार रसीदों से जोड़ना शामिल है।

3.1.2 पुराने तथा नए पंजीकरण नियमों के मध्य मुख्य अंतर

प्रारम्भ में भांडागारण (विकास एवं विनियमन) भांडागार पंजीकरण नियम, 2010 के अनुसार पंजीकृत किए जा रहे थे। तथापि पुराने नियमों के अन्तर्गत पंजीकरण प्रक्रिया में आने वाली अड़चनों को समाप्त करने तथा पंजीकरण प्रक्रिया में गति लाने के लिए भारत सरकार ने 23 फरवरी, 2017 को भांडागारण (विकास एवं विनियमन) भांडागार पंजीकरण नियम, 2017 अधिसूचित किए। पुराने पंजीकरण नियम, 2010 की तुलना में नए पंजीकरण नियमों में प्रमुख सुधार नीचे तालिका में दिए गए हैं।

तालिकाः 3.1

क्र. स	भांडागारण (विकास एवं विनियमन) भांडागार पंजीकरण नियम, 2010	भांडागारण (विकास एवं विनियमन) भांडागार पंजीकरण नियम, 2017
1	पंजीकरण से पूर्व किसी प्रत्ययन एजेंसी द्वारा प्रत्यायन आवश्यक था।	पंजीकरण से पूर्व किसी प्रत्ययन की आवश्यकता नहीं है। डब्लू.डी.आर.ए. द्वारा पंजीकरण के लिए आवेदन प्राप्त होने के पश्चात् पंजीकरण से पूर्व पात्र आवेदक भांडागार का भौतिक निरीक्षण किया जाना होता है।
2	एक आवेदक आवश्यक रूप से एक भांडागार कवर करेगा।	एक आवेदक का आवेदन एक अथवा एक से अधिक भांडागारों के लिए हो सकता है।
3	पंजीकरण अवधि 3 वर्ष के लिए थी।	पंजीकरण अवधि 5 वर्ष के लिए है।
4	भांडागार की क्षमता पर ध्यान दिए बिना केवल नेटवर्थ का सकारात्मक होना आवश्यक था।	अब भांडागार की क्षमता के अनुसार नेटवर्थ विनिर्दिष्ट की गई है।
5	पंजीकरण शुल्क के बराबर प्रतिभूति जमा प्रस्तुत करनी होती थी।	परक्राम्य भांडागाररसीदों के कुल मूल्य के अनुसार अधिक उपयुक्त एवं गत्यात्मक प्रतिभूति जमा का प्रावधान है।
6	मानक प्रचालन प्रक्रिया (एस.ओ.पी) तथा 'अपने जमाकर्ता को जाने' (के.वाई.डी) का प्रावधान नहीं था।	नए नियमों में के.वाई.डी तथा एस.ओ.पी को पूरी तरह परिभाषित किया गया है।
7	रेपोजिटरी के माध्यम से इलेक्ट्रोनिक परक्राम्य भांडागार रसीद के लिए प्रावधान नहीं था।	अब यह प्रावधान है।

3.1.3. आवेदन शुल्क अपेक्षाएँ।

नए नियम के अनुसार भांडागार के पंजीकरण अथवा नवीकरण के लिए आवेदन–शुल्क (अप्रतिदेय) इस प्रकार हैः

तालिकाः 3.2

पंजीकरण इकाई	शुल्क (अप्रतिदेय)
प्रत्येक भांडागार जिसकी क्षमता 10,000 टन या कम है।	रू, 20,000/–
प्रत्येक भांडागार जिसकी क्षमता 10,000 टन से अधिक लेकिन 25,000 टन से कम या समान है।	रू 25,000/–
प्रत्येक भांडागार जिसकी क्षमता 25,000 टन से अधिक है।	रू 30,000/–

3.1.4. पंजीकरण के लिए न्यूनतम नेटवर्थ अपेक्षा

भांडागारण (विकास एवं विनियमन), भांडागार पंजीकरण नियम, 2017 की सातवीं अनूसूची के अधीन नियम 18 में डब्लू.डी.आर.ए. के साथ भांडागारों के पंजीकरण के लिए न्यूनतम नेटवर्थ अपेक्षाओं का प्रावधान है। आवेदक संस्था की वित्तीय स्थिति की सही तस्वीर का पता लगाने के लिए नेटवर्थ को भांडागार(भांडागारों) की क्षमता के साथ जोड़ा गया है। तथापि छोटे भांडागारपालों तथा उनके संघों से प्राप्त अभ्यावेदनों में यह सूचित किया गया था कि वे निर्धारित नेटवर्थ अपेक्षा पूरी करने में असमर्थ हैं। उनके अभ्यावेदनों की यथार्थता पर विचार करते हुए पंजीकरण नियमों को संशोधित करने के लिए अपेक्षित नेटवर्थ सीमाओं को भांडागारण (विकास एवं विनियमन) भांडागार पंजीकरण (संशोधन) नियम, 2018, 20 मार्च, 2018, को अधिसूचित किए गए। विवरण इस प्रकार है :—

तालिकाः 3.3

पहले निर्धारित नेटवर्थ		संशोधित नेटवर्थ अपेक्षा	
भण्डारण क्षमता (मी. टन)	शुद्ध नेटवर्थ (करोड़ रू में)	भण्डारण क्षमता (मी.टन में)	शुद्ध नेटवर्थ (करोड़ रू में)
1,000 से कम	0.5	1,000 से कम	0.1
1,001 - 5000	2.5	1,001 - 3000	0.25
		3,001 - 5,000	0.50
5,001 - 10000	5	5,001 - 7,000	1.00
		7,001 - 10,000	2
10,001 - 25000	10	10,001 - 15,000	5
		15,001 - 25,000	10
25,001 - 75,000	20	25,001 - 75,000	20
75,001 – 1,50,000	30	75,001 – 1,50,000	30
1,50,001 – 5,00,000	50	1,50,001 – 5,00,000	50
5,00,001 और ऊपर	100	5,00,001 और ऊपर	100

3.1.5. पाँच वर्ष से कम अवधि के लिए भांडागारों का पंजीकरण

पंजीकरण नियम, 2017 में भांडागारों की पंजीकरण अवधि पाँच वर्ष तथा 6 महीने ऊपर तक प्रतिभूति जमा रखने का प्रावधान है। व्यवसाय—अपेक्षाओं तथा प्रतिभूति जमा की बाधाओं को देखते हुए आवेदकों के अनुरोध पर भांडागारों के पाँच वर्ष से कम अवधि के लिए ऑनलाइन पंजीकरण तथा तदनुसार प्रतिभूति जमा हेतु 6 सितम्बर, 2018 से प्रावधान किया गया है।

3.1.6 प्रतिभूति जमा के लिए अधिसूचना

पंजीकृत भांडागारों द्वारा जारी परक्राम्य भांडागार रसीदों की वित्तीय सुरक्षा तथा बैंकों में गिरवी रखने अथवा मालिकाना दस्तावेज के रूप में व्यापार करने एवं आवेदक/भांडागारपाल की सुविधा के लिए भांडागारों के पंजीकरण हेतु प्रतिभूति जमा को पंजीकरण नियमों के अनुसार भारत के राजपत्र में जारी 6 जुलाई, 2017 की अधिसूचना द्वारा अधिसूचित किया गया। तथापि प्रतिभूति जमा को और अधिक गत्यात्मक तथा प्रभावी बनाने के लिए प्रतिभूति जमा की बारम्बारता तथा बैंक गारंटी/एवं सावधि जमा में 31 जनवरी, 2019 को अधिसूचना द्वारा इसे पुनः संशोधित किया गया। नई अधिसूचना के अनुसार प्रतिभूति जमा इस प्रकार हैः—

(क) प्रतिभूति जमा का मूल्य नीचे दी गई तालिका में उल्लिखित कॉलम क, ख, ग की कुल राशि होगी यहाँ भांडागारपाल से सभी पंजीकृत भांडागारों हेतु पिछली तिमाही में जारी कुल परक्राम्य भांडागार रसीदों का उच्चतम मूल्य 'टी' के रूप संदर्भित किया गया है।

तालिकाः 3.4

स्लैब	क	ख	ग
टी' 25 करोड़ रूपए से कम अथवा 25 करोड़ रू के बराबर	0	'टी' का 3 प्रतिशत	1 लाख रूपए प्रति भांडागार
टी' 25 करोड़ रूपए से अधिक और 250 करोड़ रूपए तक है	75 लाख रूपए	25 करोड़ रूपए से अधिक 'टी' मूल्य का 1.5 प्रतिशत	1 लाख रूपए प्रति भांडागार
'टी' 250 करोड़ रूपए से अधिक और 2,500 करोड़ रूपए तक है	4.125 करोड़ रूपए	250 करोड़ रूपए से अधिक 'टी' मूल्य का 1 प्रतिशत	1 लाख रूपए प्रति भांडागार
'टी' 2,500 करोड़ रूपए से अधिक है	26.625 करोड़ रूपए	2,500 करोड़ रूपए से अधिक 'टी' मूल्य का 0.5 प्रतिशत	1 लाख रूपए प्रति भांडागार

(ख) जहां आवेदक/भांडागारपाल कोई किसान उत्पादक संगठन या सहकारिता है, तो कुल प्रतिभूति जमा 50,000 रूपए (निर्धारित) प्रति भांडागार होगी।

(ग) प्रतिभूति जमा बैंक की सावधि जमा या डब्लू.डी.आर.ए. के पक्ष में बैंक गारंटी के रूप में प्रस्तुत की जा सकती है।

(घ) संसद के किसी अधिनियम या किसी राज्य विधान सभा के अंतर्गत बनाए गए निकाय प्रतिभूति जमा के रूप में क्षतिपूर्ति बंधपत्र उपलब्ध कर सकते है।

(ड़) भांडागारपाल द्वारा जारी कुल एन डब्ल्यू आर के उच्चतम मूल्य के आधार पर प्रत्येक तिमाही के आधार पर प्रतिभूति जमा उद्यतन करनी होगी।

3.1.7 प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों/किसान उत्पादक संगठनों के स्वामित्व वाले भांडागारों के लिए विशेष छूट

प्राधिकरण को ग्रामीण क्षेत्रों में कम क्षमता वाले भांडागार चलाने वाली तथा किसानों के काफी निकट काम करने वाली राज्य स्तर की सहकारी समितियों, विशेषकर किसान उत्पादक संगठनों (एफ.पी.ओ) से आवेदन प्राप्त हुए हैं। किसानों के निकाय होने के नाते ये किसानों की भंडारण आवश्यकताएँ पूरी करती है तथा उनके द्वारा जमा उत्पादों के विरूद्ध वित्त भी मुहैया कराती हैं । इन भांडागारों के पास कम क्षमता तथा अपर्याप्त संसाधन सहित वैज्ञानिक भांडागार चलाने के लिए व्यावसायिक योग्यता का अभाव है। अतः इन संस्थाओं की बाधाओं को ध्यान में रखते हुए उन्हें पंजीकरण की अपेक्षाओं में वित्तीय तथा अवसंरचना के क्षेत्र में काफी छूट प्रदान की गई हैं।

(क) प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों/किसान उत्पादक संगठनों के भांडागारों को निम्नलिखित वित्तीय छूट उपलब्ध है :–

i. अन्य भांडागारों के लिए जाने वाले 20,000/–रू से 30,000/–रू पंजीकरण शुल्क की तुलना में इनके लिए पंजीकरण शुल्क केवल 5000/–रू है।

ii. भंडारण क्षमता चाहे कुछ भी हो, केवल नेटवर्थ सकारात्मक होनी चाहिए जबकि दूसरों के लिए भांडागार की क्षमता के अनुसार नेटवर्थ विनिर्दिष्ट की गई।

iii. प्रतिभूति जमा बैंक गारंटी अथवा बैंक सावधि जमा के रूपए में प्रति भांडागार 50,000/— रू है (भांडागार द्वारा जारी परक्राम्य भांडागार का मूल्य चाहे जो हो) जबकि अन्य के लिए एक लाख रूपए तथा जारी परक्राम्य भांडागार रसीदों के मूल्य का प्रतिशत है।

(ख) प्राधिकरण द्वारा प्राथमिक सहकारी समितियों के भांडागारों का अवसंरचना संबंधी निम्नलिखित छूट प्रदान की गई हैं :—

i. यदि भांडागार ऐसे निकासी वाले स्थान पर स्थित है जहाँ बाढ़/पानी भरने की घटना नहीं हो सकती तथा नमी आने की संभावना नहीं है तो, प्लिंथ की ऊँचाइ कम से कम 30 सै. मी. स्वीकार्य है।

ii. पंजीकृत किए जानेवाले प्राथमिक सहकारी समितियों के भांडागारों के मामले में क्षमता की न्यूनतम सीमा 100 मी.टन होगी।

iii. प्राथमिक सहकारी समितियों के भांडागारों के मामले में वाहनों की पार्किंग तथा उनके घूमने की स्थान की उपलब्धता पर बल नहीं दिया जाएगा चूँकि कम क्षमता वाली यूनिटें सदस्य किसानों के लिए चलाई जाती हैं।

iv. भांडागार में चट्टा—योजना इस प्रकार होनी चाहिए कि गलियारों के लिए सही स्थान छोड़ा गया हो।

v. भांडागार में सामान के भंडारण तथा परिरक्षण के लिए सोसाइटी के सचिव के अलावा एक और सदस्य (पूरे समय के लिए अथवा पार्ट टाइम आधार पर) लगाया गया होना चाहिए। सुरक्षा गार्डों की उपलब्धता वांछनीय है लेकिन भांडागार के पंजीकरण के लिए इसे आवश्यक नहीं माना जाता।

vi. पक्की चार दिवारी/कंटीले तारों की बाड़ पर बल नहीं दिया जाएगा। तथापि भांडागार में स्टॉक की सुरक्षा/संरक्षा के लिए ताले लगाने की पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए।

vii. 500 मी. तक की क्षमता वाले प्राथमिक सहकारी समितियों के भांडागारो में कम से कम एक अग्नि शमन उपकरण आवश्यक प्रकार का तथा छह अग्नि शमन बाल्टियॉ होनी चाहिए। जिन भांडागारों की क्षमता 500 मी. टन से अधिक लेकिन 1500 मी. टन क्षमता तक है वहाँ तीन अग्नि शमन उपकरण तथा पन्द्रह अग्निशमन बाल्टियाँ होनी चाहिए।

3.2 भांडागारों के पंजीकरण के लिए ऑनलाइन आवेदन का क्रियान्वयन

आरम्भ में भांडागारण (विकास एवं विनियमन) भांडागार पंजीकरण नियम, 2017 की दूसरी अनुसूची के अन्तर्गत निर्धारित प्रोफार्मा में भौतिक रूप में प्रस्तुत किए जा रहे थे। तथापि कागज आधारित आवेदन तथा इसके साथ संलग्नकों के प्रस्तुतिकरण को बोझिल तथा समय लेने वाला पाया गया। अतः पंजीकरण प्रक्रिया में तेजी लाने तथा एक सरल व पारदर्शी एवं इसकी ट्रैकिंग के लिए प्राधिकरण ने भांडागारों के पंजीकरण के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया विकसित की है। यह प्रणाली आवेदकों की विभिन्न श्रेणियों के लिए है।

नई प्रणाली में संबंधित गतिविधियों जैसे आवेदन शुल्क का भुगतान, आवेदन प्रोसेसिंग वर्क फ्लो, संबंधित निरीक्षण एजेंसियों/ निरीक्षण अधिकारियों द्वारा भौतिक रिपोर्ट का प्रस्तुतिकरण प्रतिभूति जमा का प्रस्तुतिकरण तथा ऑनलाइन प्रमाण पत्र जारी करने के लिए प्रावधान किया गया है।

ऑनलाइन पंजीकरण प्रणाली 1 नवम्बर, 2017 से लागू की गई । नई ऑनलाइन प्रणाली के अनुसार भांडागारों के पंजीकरण के लिए आवेदन प्राधिकरण को उसके नए पोर्टल, https:/wdra.gov.in पर लॉगइन कर प्रस्तुत किए जा सकते हैं। आवेदन के ऑनलाइन प्रस्तुतिकरण के लिए विस्तृत अनुदेश प्राधिकरण के होमपेज पर उपलब्ध हैं। नई प्रणाली के अनुसार आवेदकों को भांडागारों के पंजीकरण के लिए सर्वप्रथम प्राधिकरण के पोर्टल पर रजिस्टर करना होगा। लॉगइन के बाद वहाँ सृजित क्रेडेनशियल प्राप्त होने के बाद आगे बढ़ने के लिए पोर्टल के माध्यम से साइन इन करना होता है।

गैर व्यक्ति भांडागार सेवा प्रदाता (डब्लू.एस.पी) से संबंधित आवेदन की सरल तथा सुगम प्रोसेसिंग के लिए पंजीकरण को दो–स्तर–प्रकिया बनाया गया है। पहले स्तर पर भांडागारपाल आवेदन प्रस्तुत किया जाता है। भांडागारपाल अनुमोदित होने के पश्चात्, अगले स्तर पर संस्था के अधीन सभी भांडागारों के पंजीकरण के लिए आवेदन पत्र प्रस्तुत करना होता है। प्राधिकरण द्वारा पैनल में रखी गई एजेंसियों को भी प्राधिकरण के नए पोर्टल पर पंजीकरण ऑनबोर्ड होने के लिए क्रेडेनशियल का प्रयोग कर पोर्टल पर साइन इन करने के बाद निरीक्षण के लिए ऑनलाइन आबंटन प्राप्त होगा तथा इसी प्रकार निरीक्षण रिपोर्ट ऑनलाइन प्रस्तुत की जाऐगी।

3.2.1 आवेदन के साथ प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेज

भांडागार पंजीकरण के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करते समय अपलोड किये जाने वाले दस्तावेज करने होंगे :–

i) व्यक्ति / प्राधिकरण प्रतिनिधि (गैर व्यक्ति संस्था के मामले में) का फोटोग्राफ

ii) भांडागार (विकास एवं विनियमन), भांडागार पंजीकरण नियम, 2017 की पाँचवी अनुसूची में यथा अपेक्षित आवेदक की पहचान का प्रमाण पत्र

iii) मानक प्रचालन प्रक्रिया

iv) भांडागार (विकास एवं विनियमन), भांडागार पंजीकरण नियम, 2017 के नियम 18 (5) के अधीन नेटवर्थ के समर्थन में दस्तावेज

v) भांडागार (विकास एवं विनियमन), भांडागार पंजीकरण नियम, 2017 के अधीन तथा निर्धारित बीमा पॉलिसियों की प्रति

vi) भांडागार का ले–आउट प्लान

vii) भांडागार (कोल्ड स्टोरेज) की दशा में बेसिक डाटा शीट

viii) तकनीकी मानक जिसके अधीन भांडागार (कोल्ड स्टोरेज) निर्मित किया गया, के बारे में प्रमाण

ix) माल परखने के लिए भांडागार में उपलब्ध उपकरणों की सूची

x) माल तोलने के लिए भांडागार में उपलब्ध उपकरणों की सूची

xi) अग्नि सुरक्षा के लिए उपकरणों का विवरण जैसे अग्निशमन उपकरण / बाल्टियाँ आदि

xii) भांडागारण (विकास और विनियमन) भांडागार पंजीकरण नियम, 2017 की पहली / छठी अनुसूची के अनुसार उस भूमि के संबंध में जिस पर भांडागार स्थित है, के अधिकारों के अभिलेख अथवा रजिस्ट्रीकृत हक विलेख

3.2.2 2018–19 के दौरान भांडागार पंजीकरण के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रणाली में सुधार

भांडागार पंजीकरण पोर्टल के आंतरिक तथा बाहरी उपयोगकर्ताओं से प्राप्त फीडबैक को देखते हुए वित्तीय वर्ष 2018–19 के दौरान विभिन्न उपयोगकर्ताओं के लिए इसे सरल बनाने तथा विभिन्न प्रक्रियाओं के लिए रिअल टाइम मॉनीटरिंग के लिए और सुधार किए गए हैं। कुछ प्रमुख सुधार इस प्रकार हैं:–

i) पंजीकरण का ऑनलाइन नवीकरण तथा भांडागार/भांडागारपालों का परिशोधन/अद्यतन
ii) पंजीकरण का ऑनलाइन सरेंडर
iii) प्रतिभूति की मान्यता के अनुसार पंजीकरण अवधि (पाँच वर्ष अथवा कम) प्रदान करना
iv) निरीक्षण रिपोर्टों को ऑनलाइन प्रस्तुतिकरण
v) निरीक्षण अधिकारियों का अपनी निरीक्षण रिपोर्टों की पीडीएफ प्रतियाँ प्रिंट करने की सुविधा
vi) निरिक्षण एजेंसियों को डैशबोर्ड की सुविधा
vii) एसोसिएट प्राधिकृत प्रतिनिधियों के ऑनलाइन अपडेशन का प्रावधान
viii) प्रतिभूति जमा गोदाम पट्टे की मान्यता स्थिति की ऑनलाइन मॉनीटरिंग
ix) पंजीकरण प्रक्रिया तथा विनियामक अनुपालन से संबंधित ऑनलाइन एम.आई.एस. रिपोर्ट का प्रावधान
x) सिंग्ल भांडागार की एक से अधिक बीमा पॉलिसियों को अपलोड करने की सुविधा
xi) विभिन्न स्तरों पर पंजीकरण आवेदन के लंबित होने को दिखाने के लिए डैशबोर्ड तथा प्रभावी मॉनीटरिंग के लिए रिअल टाइम की सुविधा
xii) भांडागारों का ऑनलाइन स्टॉक निरीक्षण

3.3 इलेक्ट्रोनिक परक्राम्य भांडागार रसीदों के संबंध में अधिसूचना

यह अनुभव किया गया था कि पेपर आधारित परक्राम्य भांडागार रसीदों के प्रयोग के साथ खोने, क्षत–विक्षत होने, क्षति, लिखे गए पर लिखने एवं हेर–फेर करने जैसी जोखिम जुड़ी हुई हैं तथा उनकी परक्राम्यता/हस्तान्तरण की भी सीमाएँ हैं। अतः इन जोखिमों/बाधाओं को दूर करने तथा परक्राम्य भांडागार रसीदों की विश्वसनीयता/ सत्यनिष्ठा में वृद्धि करने के लिए प्राधिकरण द्वारा अपनी रूपान्तरण योजना के अधीन

रेपोजिटर्स के माध्यम से इलेक्ट्रोनिक परक्राम्य भांडागार रसीद शुरू करने का निर्णय लिया गया ताकि इलेक्ट्रोनिक भांडागार के सृजन तथा प्रबंधन सुविधाजनक हो सके।

केन्द्र सरकार के पूर्व अनुमोदन से प्राधिकरण ने भांडागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण (इर्लक्ट्रोनिक परक्राम्य भांडागार रसीद) विनियम, 2017, 29 जून, 2017 को जारी किए। प्राधिकरण ने ई–एन.डब्लू.आर के सृजन तथा प्रबंधन के लिए निम्नलिखित रेपोजिटर्स पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी किए हैः–

(क) कोमोडिटीज रिपोजिटरी लिमिटेड़ (सी.सी.आर.एल)। इसकी मूल कम्पनी सी.डी.एस.एल है जो एक डिपोजिटरी फैसेलिटी है। नई कम्पनी (सी.सी.आर.एल) का गठन पूरा किया जा चुका है तथा एम.सी.ए. द्वारा अनुमोदित है।

(ख) नेशनल ई रिपोजिटरी लिमिटेड़ (एन.ई.आर.एल) इसकी मूल कम्पनी एन.सी.डी.एक्स. है जो पेशेवर ऑनलाइन कोमोडिटी एक्सचेंज है । एन.सी.डी.एक्स, सार्वजनिक क्षेत्र की कम्पनी है तथा कम्पनी अधिनियम, 1956 के अधीन इसका गठन 23 अप्रैल, 2003 को किया गया था। रेपोजिटरी एन.ई.आर.एल का 10 फरवरी, 2017 को निगमन किया। यह एम.सी.ए. द्वारा अनुमोदित है।

दिनांक 14 जुन, 2018 को केन्द्रीय भांडागारण, वड़लामुडी (आध्र प्रदेश)में इ–एन.डब्लू.आर का शुभारंभ

सैण्ट्रेल वेयरहाउस यशवंतपुर, बेंगलूरू में 12 जुलाई, 2018 को इ–एन.डब्लू.आर जारी करने के अवसर पर अध्यक्ष, डब्लू.डी.आर.ए. डॉ.बी.बी पटनायक हितधारकों को सम्बोधित करते हुए

दिनांक 21 जुलाई, 2018 को केन्द्रीय भांडागारण सूर्यापेट (तेलंगाना) में इ–एन.डब्लू.आर का शुभारंभ

3.4. कागज आधारित भांडागार रसीद/स्टॉक रसीद की तुलना में ई–परक्राम्य भांडागार रसीद के लाभ

इ–एन.डब्लू.आर एक अधिक सुरक्षित दस्तावेज है। इस द्वारा, कागज आधारित भांडागार रसीदों/स्टॉक रसीदों की तुलना में, संबंधित भांडागार की विश्वसनीयता बढ़ती है। इलेक्ट्रोनिक परक्राम्य भांडागार रसीद के प्रमुख लाभ तालिका 3.5 में दिए गए है।

तालिकाः 3.5

कागज आधरित/स्टॉक रसीद	इलेक्ट्रोनिक परक्राम्य भांडागार रसीद
भावी खरीदार के लिए केवल एक ही तरीके से प्रयोग की जा सकती है।	खरीदारों की बड़ी संख्या के साथ यह किसान/जमाकर्ताओं को पूरे देश में बेहतर मोल–तोल की पहुँच के लिए सहायता करती है
इसे विखंडित नहीं किया जा सकता।	इ–एन.डब्ल्यू.आर को वस्तु के एक भाग के हस्तांतरण के लिए विखंडित किया जा सकता है
खोने, कटने–फटने, छेड़–छाड़ तथा हेर–फेर करने तथा झूठा हिसाब करने की संभावना रहती है।	इस प्रकार की किसी संभावना की गुंजाइश नहीं है।
पारदर्शी तरीके से कुशल क्लिअरिंग तथा ट्रेडिग में निहित कठिनाईयाँ आती है।	कृषि उपज की ट्रेडिंग में पारदर्शिता के सााथ कुशल क्लिअरिंग, सैटलमेंट तथा डिलिवरी प्रणाली में सक्षम है।
भांडागार रसीद की महत्वपूर्ण सूचना अधिक हितधारको के साथ बाँटना मुश्किल ।	भांडागार रसीद की महत्वपूर्ण सूचना अधिक हितधारकों जैसे बैंकर्स, कोमोडिटी एक्सचेंज सरकार आदि के साथ बाँटना आसान
रसीद में सूचना की एकरूपता नहीं	अधिनियम तथा विनियमन के अधीन मानक प्रारूप
विनियमित नहीं	संविधिक निकाय डब्लू.डी.आर.ए. द्वारा विनियमित
परखना अनिवार्य नहीं	इ परक्राम्य भांडागार रसीद में गुणवत्ता की सूचना देना अनिवार्य।
सामान प्राप्त किए बिना परक्राम्य भांडागार रसीद जारी करने की जोखिम।	इस प्रकार की संभावना नहीं ।
प्रक्रिया का अनुपालन किए बिना डुप्लीकेट एन.डब्लू.आर जारी करने की जोखिम	संभव नहीं
धोखाधड़ी से सामान का मूल्य अधिक बताना	कृषि बाजार के मूल्यों की पुनः प्राप्ति संभव
कोई निगरानी तथा पर्यवेक्षण नहीं	डब्लू डी आर ए द्वारा नियमित निगरानी
वेअरहाउस रसीदों की कानूनी परक्राम्यता के बिना व्यापार के लिए हस्तांतरण/पृष्ठांकन के मामले में विधिमान्य हस्तांतरण की समस्या	इलेक्ट्रोनिक प्रक्रिया होने आदि से एक से अधिक संख्या में हस्तांतरण संभव है तथा भांडागारण (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 2007 का विधिमान्य बैकअप
गैर विनियमित भांडागारों के मामले में अधिक मुकदमेबाजी	मुकदमेबाजी काफी सीमा तक घट जाएगी।

3.5 पंजीकृत भांडागारों द्वारा अनिवार्य रूप से इ–एन.डब्लू.आर जारी किया जाना

भांडागारण (विकास एवं विनियमन), भांडागार पंजीकरण नियम, 2017 में प्रावधान है कि ''प्राधिकरण द्वारा अधिसूचित की गई तारीख से, कोई भांडागारपाल परक्राम्य भांडागार रसीद भौतिक रूप में जारी नहीं करेगा तथा परक्राम्य भांडागार रसीदों को इलेक्ट्रोनिक रूप में जारी करने के लिए प्राधिकरण के पास पंजीकृत एक या अधिक रेपोजिटर्स के पास रजिस्टर करेगा''।

इन प्रावधानों का अनुपालन करते हुए प्राधिकरण ने 12 मार्च, 2019 के परिपत्र द्वारा अधिसूचित किया कि 1 जून, 2019 से कोई भांडागारपाल परक्राम्य भांडागार रसीद भौतिक रूप से जारी नहीं करेगा तथा प्राधिकरण के पास पंजीकृत एक या अधिक रेपोजिटर्स के साथ ऑनबोर्ड होगा एवं केवल इलेक्ट्रोनिक प्रारूप में परक्राम्य भांडागार रसीद की जाएगी। तथापि काफी संख्या में डब्लू.एस.पी द्वारा किए अनुरोध पर यह तारीख बढ़ा कर 1 अगस्त, 2019 कर दी गई है।

3.6 भांडागारों का पंजीकरण

1 नवम्बर, 2017 से भांडागारों का ऑनलाइन पंजीकरण शुरू होने के बाद पंजीकरण के लिए कागज आधार आवेदन प्राप्त करना बंद कर दिया गया है। आरम्भिक स्तर पर आने वाले मुद्दों का समाधान करने तथा उपयोगकर्ताओं से प्राप्त फीडबैक के अनुसार प्रक्रिया में सुधार लेने के उपरांत पंजीकरण बढ़ा है तथा अब यह काफी लोकप्रिय हो गया हैं।

वर्ष 2018–19 के दौरान, 749 भांडागारपाल को नीचे दिए गए इकाईवार विवरण के अनुसार पंजीकृत किया गया।

तालिका 3.6

क्रम सं.	संस्था का प्रकार	पंजीकृत किए गए भांडागारपाल
1	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम	4
2	कम्पनी	15
3	सहाकारी समितियाँ	538
4	भागीदारी फर्म	59
5	व्यक्ति	133
	कुल	**749**

वर्ष 2018–19 में प्राधिकरण ने विभिन्न राज्यों में 607 भांडागार पंजीकृत किए जो प्राधिकरण की स्थापना से पंजीकृत भाण्डागरों की सबसे अधिक संख्या है। संस्थावार विवरण नीचे दिया गया हैः–

तालिका 3.7 वर्ष 2018–19 में पंजीकृत किए गए भांडागारों का संस्थावार विवरण

क्रम सं.	संस्था का प्रकार	भांडागारों की संख्या	क्षमता (लाख मी. टन में)
1	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम	121	25.01
2	कम्पनी	207	10.35
3	सहकारी समिति	97	0.11
4	भागीदारी फर्म	49	4.15
	कुल	**607**	**47.79**

वर्ष 2018–19 के दौरान माहवार पंजीकृत भांडागार की प्रगति इस प्रकार है

तालिकाः 3.1

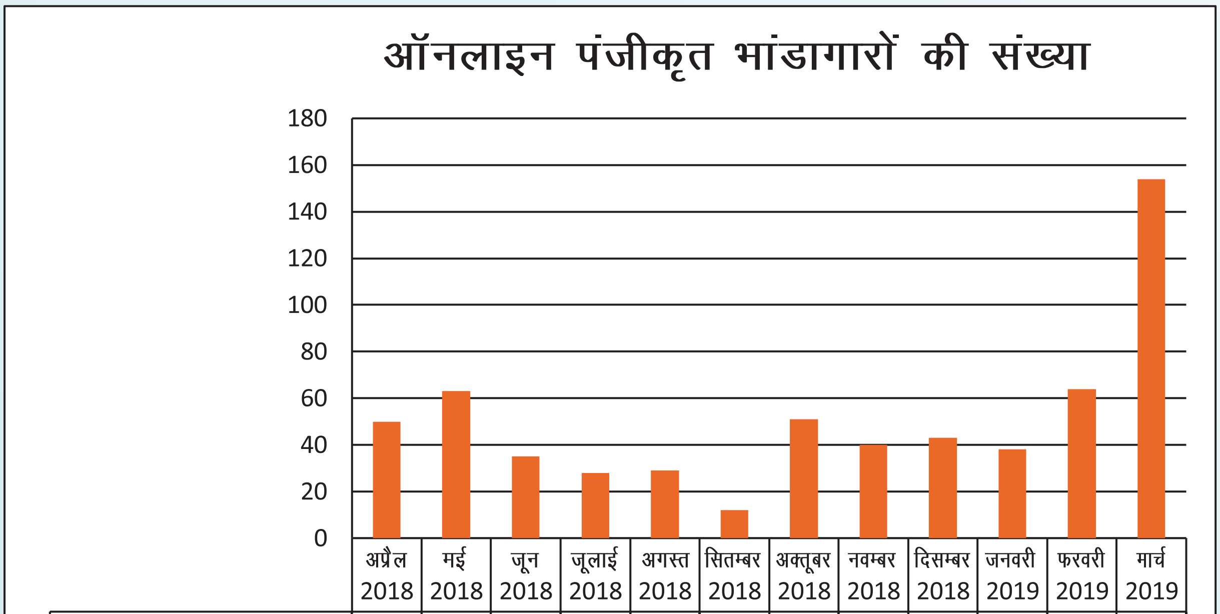

	अप्रैल 2018	मई 2018	जून 2018	जूलाई 2018	अगस्त 2018	सितम्बर 2018	अक्तूबर 2018	नवम्बर 2018	दिसम्बर 2018	जनवरी 2019	फरवरी 2019	मार्च 2019
ऑनलाइन पंजीकृत भांडागारों की संख्या	50	63	35	28	29	12	51	40	43	38	64	154

31.3.2019 की स्थिति के अनुसार प्राधिकरण द्वारा अपनी स्थापना अर्थात् 2011–12 से पंजीकृत किए गए भांडागारों में से कुल 79.09 क्षमता के 1057 भांडागार सक्रिय रहे । 31.03.2019 को सक्रिय पंजीकरण सहित भांडागारों के पंजीकरण का राज्यवार तथा वर्षवार विवरण इस प्रकार है।

तालिका: 3.8

क्रम. सं.	राज्य	पंजीकृत भांडागारों की संख्या								31.03.2019 को कुलसक्रिय
		2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	
1	आंध्रप्रदेश	45	16	15	19	09	00	03	20	26
2	असम	00	03	01	00	00	00	01	01	2
3	बिहार	00	00	02	00	02	01	02	04	6
4	छत्तीसगढ़	00	01	00	00	00	00	00	00	0
5	दिल्ली	00	00	00	00	00	00	00	00	0
6	गुजरात	03	05	02	10	145	22	85	61	154
7	हरियाणा	15	00	00	00	08	00	02	08	9
8	हिमाचल प्रदेश	01	00	00	00	00	00	00	00	0
9	झारखंड	00	00	01	00	00	00	00	01	1
10	कर्नाटक	00	14	01	03	19	13	09	06	30
11	केरल	11	01	08	01	00	01	03	00	9
12	मध्य प्रदेश	17	20	10	53	153	102	41	197	305
13	महाराष्ट्र	22	14	00	08	56	40	35	66	121
14	उड़ीसा	01	00	00	00	00	00	00	02	2
15	पंजाब	04	09	00	01	00	00	00	08	8
16	पदुचेरी	01	00	00	00	00	00	00	00	1
17	राजस्थान	48	04	14	10	116	28	67	59	173
18	तमिलनाडु	52	00	14	128	71	05	03	126	147
19	तेलंगाना	00	00	00	00	02	00	07	18	24
20	उत्तराखंड	00	00	00	00	00	00	00	00	0
21	उत्तर प्रदेश	20	05	00	01	06	01	02	27	35
22	पश्चिम बंगाल	00	00	00	00	01	01	01	02	3
23	त्रिपुरा	00	00	00	00	00	00	00	01	1
	कुल योग	**240**	**92**	**68**	**234**	**588**	**214**	**261**	**607**	**1057**

31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार संस्थावार तथा वर्षवार पंजीकृत भांडागार तथा सक्रिय भांडागारों का विवरण निम्न तालिका सं. 3.8 में दिया गया है।

तालिकाः 3.8

संस्थावार	31.03.19 को कुल सक्रिय								31 मार्च, 2019 को कुलसक्रिय
	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	
के.भ.नि.	135	25	15	3	2	5	14	84	141
रा.भं.निगम	87	28	9	1	16	44	0	37	43
निजी	18	26	14	81	500	163	241	386	767
पी.ए.सी/एफ.पी.ओ	0	13	30	145	70	2	1	97	98
कोल्ड स्टोरेज	0	0	0	4	0	0	5	3	08
कुल	**240**	**92**	**68**	**234**	**588**	**214**	**261**	**607**	**1057**

3.7 तमिलनाडु में प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों के भांडागारों के पंजीकरण की प्रगति

रिपोर्ट वर्ष में रजिस्ट्रार, सहकारी समितियाँ (आर.सी.एस) तमिलनाडु सरकार द्वारा प्रदर्शित रूचि को देखते हुए सकारात्मक नेटवर्थ वाली प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों को पंजीकृत करने के लिए जागरूकता शिविर, पंजीकरण शिविर, मास्टर ट्रेनर कार्यक्रम आदि आयोजित किए गए। इसके परिणाम स्वरूप वर्ष 2018–19 में प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों के कुल 0.11 लाख मी. टन क्षमता के 97 भांडागार पंजीकृत किए गए। रजिस्ट्रार, अपर रजिस्ट्रार तथा संयुक्त रजिस्ट्रार सहकारी समितियाँ, तमिलनाडु सरकार द्वारा दिखाई गई रूचि एवं समर्थन सराहनीय तथा प्रशंसा योग्य है।

3.8 पंजीकरण को बढ़ावा देने के लिए चलाई गई गतिविधियाँ

प्राधिकरण उन सभी संगठनों के सम्पर्क में रहा जो डब्लू डी आर ए के पास अपने भांडागार पंजीकृत करा सकते थे। नई पंजीकरण तथा विनियमन प्रक्रिया के बारे में बताने के लिए डब्लू.डी.आर.ए. के वरिष्ठ अधिकारियों ने वेअरहाउस सेवा प्रदाताओं का दौरा किया तथा आंरभिक उन्मुखीकण से लेकर संबंधित अधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान किया तथा, जो आवेदनों से सीधे जुड़े हुए थे, उन्हें पंजीकरण के लिए प्रोत्साहित किया।

वर्ष 2018–19 में कुछ राज्यों में शुरू की गईं गतिविधियाँ इस प्रकार हैंः–

3.8.1 हरियाणा

हरियाणा राज्य भंडारण निगम के अधिकारियों के लिए 21 फरवरी, 2019 को पंचकूला, हरियाणा में डब्लू.डी.आर.ए. की नई पंजीकरण प्रक्रिया तथा इ–एन.डब्लू.आर इकोसिस्टम पर कार्यशाला का आयोजन किया गया।

3.8.2 हिमाचल प्रदेश

1. शिमला में 11 जून, 2018 को हिमाचल प्रदेश बागबानी उत्पाद विपणन निगम के अधिकारियों के लिए अभिमुखीकरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
2. 12 जून, 2018 को नारकंडा (हिमाचल प्रदेश) में एच.पी.एम.सी के नियंत्रित वातावरण स्टोर (सी.ए.एस) में सेब उत्पादकों के लिए इलेक्ट्रोनिक परक्राम्य भांडागार रसीद के बारे में संवादात्मक सत्र का आयोजन किया गया।

अध्यक्ष एवं सदस्य, डब्लू.डी.आर.ए. द्वारा 12 जून, 2018 को नारकंडा (हिमाचल प्रदेश) में सेब उत्पादकों के साथ बातचीत और इ–एन.डब्लू.आर पर उन्मुखीकरण का कार्यक्रम एच.पी.एम.सी के नियंत्रित वातावरण स्टोर में किया गया।

3.8.3 कर्नाटक

कर्नाटक राज्य भंडारण निगम के अधिकारियों के लिए बेंगलूरू में 26 जून, 2018 को ऑनलाइन भांडागार पंजीकरण तथा इ–एन.डब्लू.आर प्रणाली पर कार्यशाला का आयोजन किया गया।

3.8.4 मध्य प्रदेश

निजी भांडागारपालों के लिए पिपरिया (म.प्र.) में भांडागारों के पंजीकरण तथा इ–एन.डब्लू.आर जारी करने के बारे में 26 मई, 2018 को कार्यशाला का आयोजन किया गया।

3.8.5 महाराष्ट्र

महाराष्ट्र राज्य भंडारण निगम पूणे में 24 मई, 2018 को आयोजित एम.एस.डब्लू.सी गोदामों के ऑनलाइन पंजीकरण पर कार्यशाला का आयोजन किया गया।

3.8.6 ओडिशा

1. ओडिशा राज्य में प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों तथा राज्य भंडारण निगम के भांडागारों के पंजीकरण के संबंध में 4 अक्तूबर, 2018 को भुवनेश्वर में संबंधित अधिकारियों के लिए कार्यशाला का आयोजन किया गया।
2. भुवनेश्वर में ओडिशा सरकार के सहकारिता विभाग से सर्म्पक तथा प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों के लिए 14 नवम्बर, 2018 को पंजीकरण शिविर का आयोजन किया गया।

3.8.7 तमिलनाडु

i) डब्लू.डी.आर.ए. की नई ऑनलाइन भांडागार पंजीकरण प्रणाली पर 4 मई, 2018 को चेन्नई में तमिलनाडु भण्डारण निगम के अधिकारियों के लिए नई ऑनलाइन भांडागार प्रणाली पर अभिमुखी कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

ii) तमिलनाडु में प्राथमिक सहकारी समितियों के लिए कोयम्बटूर में 21 जून, 2018 को भांडागारों के ऑनलाइन पंजीकरण के लिए प्रशिक्षको के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

iii) तमिलनाडु में प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों के अधिकारियों के लिए 22 जून, 2018 को त्रिची में भांडागारों के ऑनलाइन पंजीकरण के लिए प्रशिक्षको के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

iv) प्राथमिक सहकारी समितियों के ऑनलाइन पंजीकरण के लिए कोयम्बटूर तमिलनाडु में 1 फरवरी, 2019 को समीक्षा कार्यशाला का आयोजन किया गया।

v) प्राथमिक सहकारी समितियों के ऑनलाइन पंजीकरण के लिए त्रिची में 2 फरवरी, 2019 को समीक्षा कार्यशाला का आयोजन किया गया।

अध्यक्ष, डब्लू.डी.आर.ए. द्वारा 24 मई, 2018 को एम.एस.डब्लू.सी पूणे कार्यशाला में भांडागारों की ऑनलाईन पंजीकरण प्रक्रिया के बारे में बताते हुए।

दिनांक 22 जून 2018 को डब्लू.डी.आर.ए. द्वारा रजिस्ट्रार, को–आपरेटिव सोसायटी चेन्नई के सहयोग से प्राथमिक कृषि सहकारी समिति, तमिलनाडु के लिए त्रिची में प्रशिक्षकों के लिए ऑनलाइन पंजीकरण पर आयोजित कार्यक्रम।

डब्लू.डी.आर.ए तथा एन.इ.आर.एल द्वारा पिपरिया (मध्य प्रदेश) में आयोजित आउटरीच कार्यक्रम में हितधारकों को सम्बोधित करते हुए डब्लू.डी.आर.ए के अध्यक्ष डॉ. बी.बी.पटनायक

26 मई, 2018 को पिपरिया (मध्य प्रदेश) में डब्लू.डी.आर.ए. एवं एन.इ.आर.एल द्वारा ऑनलाइन पंजीकरण और इ–एन.डब्लू.आर जारी करने के लिए कार्यशाला का आयोजन

3.9 भांडागारों के पंजीकरण का ऑनलाइन नवीकरण

ऑनलाइन पंजीकरण प्रणाली के सफलतापूर्वक क्रियान्वयन के पश्चात् पंजीकरण प्रमाण पत्र में परिशोधन तथा भांडागारपालो/भांडागारों से संबंधित विभिन्न सूचनाएँ अद्यतन करने के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया विकसित की गई है, जो 19 मार्च, 2019 से प्रचालन में है। इस तारीख से पंजीकरण के नवीकरण, पंजीकरण प्रमाण पत्र में परिशोधन तथा भांडागारपालों/भांडागारों से संबंधित विभिन्न सूचनाओं के अद्यतन के संबंध में सभी आवेदन केवल ऑनलाइन प्रस्तुत किए जा रहे है।

वर्ष 2018–19 में 60 भांडागारों के पंजीकरण का नवीकरण किया गया। राज्यवार तथा एजेंसीवार विवरण इस प्रकार है:–

तालिका: 3.10

क्रम सं	राज्य/केन्द्रशासित प्रदेश का नाम	एजेंसी	पंजीकरण के नवीकरण की संख्या
1.	राजस्थान	केन्द्रीय भंडारण निगम	12
2.	तमिलनाडु	प्राथमिक कृषि सहकारी समिति	02
3.	राजस्थान	निजी क्षेत्र	09
4.	गुजरात		09
5.	महाराष्ट्र		13
6.	उत्तर प्रदेश		02
7.	मध्य प्रदेश		11
8.	बिहार		02
		कुल	**60**

3.10 भांडागारों की निगारानी तथा मॉनीटरिंग

भांडागारों की निगरानी तथा मॉनीटरिंग पंजीकृत भांडागारों के विनियामक अनुपालन के लिए एक कुशल मानीटरिंग तथा निगरानी प्रणाली की मूल आवश्यकता है। इसे ध्यान में रखते हुए प्राधिकरण ने पंजीकृत भांडागारों के लिए निम्नलिखित उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए एक निरीक्षण प्रणाली विकसित की है:–

i) भांडागारण (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 2007 के अधीन आधारभूत अवसंरचना प्रचालन प्रक्रियाओं और अन्य प्रावधानों, नियमों और विनियमों और भांडागारों के पंजीकरण के समय प्रत्ययन एजेंसी द्वारा जाँच के रूप में जो बिन्दु निर्धारित किए गऐ हैं, पंजीकृत भांडागारों द्वारा उनका अनुपालन सुनिश्चित करना तथा उन्हें जारी रखना।

ii) परक्राम्य भांडागार रसीद की सत्यनिष्ठा की रक्षा करना।

इसके अतिरिक्त पैनल में रखी गई एजेंसियों के निरीक्षण अधिकारी तथा प्राधिकरण के अधिकारी भी समय–समय पर विशेष परिस्थितियों में कुछ भांडागारों का निरीक्षण करते हैं:–

3.11 निरीक्षण एजेंसियों के पैनल तथा भांडागारों के निरीक्षण के लिए दिशा–निर्देश

प्राधिकरण ने निरीक्षण एजेंसियों का पैनल बनाने तथा भांडागारों के निरीक्षण के लिए व्यापक दिशा निर्देश विकसित किए हैं। इन दिशा–निर्देशों के अनुसाार निरीक्षण एजेंसियों के चयन तथा पैनल में डालने के लिए निम्नलिखित पात्रता मानदण्ड विनिर्दिष्ट किए गए है:–

1. निरीक्षण एजेंसी के रूप पैनल में शामिल करने के लिए विचार करने हेतु आवेदक द्वारा निम्नलिखित शर्तें पूरी करना आवश्यक है:–

क) आवेदक एक योग्य तथा उपयुक्त व्यक्ति हो ।

ख) आवेदक द्वारा कम से कम तीन वर्ष के लिए निरीक्षण किए हुए होने चाहिए।

ग) आवेदक द्वारा गत वित्तीय वर्ष में कम से कम 10 निरीक्षण/ऑडिट किए हुए होने चाहिए।

घ) आवेदक द्वारा गत तीन वर्षो के दौरान भांडागारण, लॉजिस्टिक, वस्तु प्रबंधन, खाद्य भंडारण एवं, खाद्य सुरक्षा में लगे भांडागारों फर्मो तथा संस्थाओं के कम से कम 30 निरीक्षण किए हो।

ड.) आवेदक के पास निम्नलिखित अपेक्षाओं के अनुसार भांडागारों के निरीक्षण के तीन अर्हता प्राप्त निरीक्षण अधिकारी तथा भांडागारपाल होने चाहिए।

i) विज्ञान में कम से कम स्नातक डिग्री (अभियांजिकी तथा तकनीकी स्नातक सहित) कृषि अथवा संबंधित विज्ञान में स्नातक डिग्री।

ii) निम्नलिखित क्षेत्रों अर्थात्– भण्डारण, परख, कृषि वस्तुओं के निरीक्षण एवं परीक्षण, भंडारण, लॉजिस्टिक्स तथा आपूर्ति श्रंखला प्रबंधन में कम से कम पाँच वर्ष का अनुभव।

iii) भाण्डागारण, लॉजिस्टिक, वस्तु प्रबंधन, खाद्य वस्तुओं के भंडारण, प्रसंस्करण तथा खाद्य सुरक्षा में संलग्न भांडागारों, फर्मो तथा संस्थाओं के कम से कम पाँच निरीक्षण/ऑडिट/प्रमाणन किए हों।

iv) अच्छी आई.टी. कुशलताएं हो तथा ई–मेल, इंटरनेट आदि सहित ऑनलाइन रिर्पोट सिस्टम में कार्य करने की पूरी जानकारी हो।

v) अधिमानत प्रशिक्षित एवं लाइसेंसशुदा परख कुशलता हो।

च) आवेदक के निम्नलिखित क्षेत्रों में कम से कम दो कार्यालय होने चाहिए।

- i) उत्तर (चण्डीगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, जम्मू एवं कश्मीर पंजाब, उत्तराखण्ड, उत्तर प्रदेश सहित)
- ii) दक्षिण (अंडमान निकोबार द्वीप समूह, आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, लक्ष्यद्वीप, पुडुचेरी, तमिलनाडु, तेलंगाना)
- iii) पूर्व (अरूणाचल प्रदेश, असम, बिहार, झारखंड, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैण्ड, ओडिशा, सिक्किम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल सहित)
- iv) पश्चिम (दादर एवं नगर हवेली, दमन एवं द्वीव, गोआ, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान)
- v) मध्य (छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश सहित)

2. प्राधिकरण द्वारा निर्धारित योग्य एवं उपयुक्त व्यक्ति की अपेक्षाएँ पूरी करता हो।

3.12 निरीक्षण एजेंसियों का पैनल बनाना।

इस उद्देश्य के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित करने की पारदर्शी प्रक्रिया अपनाते हुए छानबीन के पश्चात् पात्र संगठनों को शॉर्टलिस्ट कर छह निरीक्षण एजेंसियों को प्राधिकरण के निरीक्षण एजेंसी के पैनल में डाला गया। एजेंसियों को पैनल परिभाषित दिशा–निर्देशों के अनुसार भौतिक निरीक्षण (पंजीकरण से पूर्व) सामान्य निरीक्षण तथा अन्य निरीक्षण का कार्य सौपा गया। पैनल में रखी गई निरीक्षण एजंसियों के पास पर्याप्त संख्या में निरीक्षण अधिकारी हैं जो प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट पात्रता मानदंड पूरा करते हैं। निरीक्षण एजेंसी को निरीक्षण तथा निरीक्षण अधिकारी आबंटित करने की पूरी प्रक्रिया को ऑनलाइन किया गया है। निरीक्षण रिर्पोट भी ऑनलाइन फाइल की जा सकती है तथा निरीक्षण स्थल से ही प्रस्तुत की जा सकती है। इससे ऐसे भांडागार, जिन्होंने निरीक्षण के लिए पंजीकरण हेतु डब्लू.डी.आर.ए. में आवेदन किया है, के निरीक्षण में लगने वाला समय काफी घट गया है। पैनल में रखी गई एजेंसियों का विवरण नीचे दिया गया है ।

3.13 पैनल में रखी गई एजेंसियों की सूची

1. **ट्रू क्वालिटी सर्टिफिकेशन प्राइवेट लिमिटेड** 210, साँई राम प्लाजा 63, मंगल नगर, भंवरकुआँ ए.बी. रोड, इन्दौर–452001।
2. **एस.एस.आर.ए. एंड कम्पनी**, एम–13 एल जी एफ, साउथ एक्सटेंशन पार्ट–2 नई दिल्ली–110049।
3. **वन सर्ट इंटरनेशनल प्राइवेट**, एच–08, मानसरोवर इंडस्ट्रियल एरिया, मानसरोवर, जयपुर–302020, राजस्थान।
4. **नाबार्ड कंसलटेंसी सर्विस प्राइवेट लिमिटेड**, 24, राजेन्द्र प्लेस, नाबार्ड टावर, नई दिल्ली–110025।
5. **टी क्यू सर्विसेस लिमिटेड**, एस.बी.यू. क्वालिटी सर्विसिज स्पलेंडिड टावर, छठी मंजिल, एच नं 1–8–364, 437, 438 एवं 455, बेगमपेट, हैदराबाद–500016.
6. **राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद**, उत्पादकता भवन, 5–6 इंडस्ट्रियल एरिया, लोधी रोड, नई दिल्ली–110003।

भांडागारों के निरीक्षणों की बढ़ती संख्या को देखतें हुए प्राधिकरण ने और निरीक्षण एजेंसियों को पैनल में रखने के लिए प्रक्रिया आरम्भ की है।

3.14 निरीक्षण एजेंसियों को किया जाने वाला भुगतान

भंडारण एजेंसियों का शुल्क का भुगतान प्राधिकरण विभिन्न प्रकार के निरीक्षण करने के लिए निम्न प्रकार से शुल्क का भुगतान करता है।

तालिकाः 3.11

निरीक्षण का प्रकार	विभिन्न क्षमता के भांडागारों के लिए प्रति निरीक्षण शुल्क (सभी शामिल)		
	10,000 टन तक	10,000 से 25,000 टन तक	25,000 टन से अधिक
भौतिक निरीक्षण	10,000	12,500	15,000
सामान्य निरीक्षण	12,000	17,000	25,000

टिप्पणी

1. प्राधिकरण उत्तरी पूर्वी राज्यों में भांडागारों के लिए 2500/—रू अतिरिक्त उपलब्ध कराएगा।
2. यदि सामान्य निरीक्षण इनमें किसी एक अर्थात् (क) भौतिक निरीक्षण (ख) एस ओ पी निरीक्षण (ग) स्टॉक निरीक्षण के संबध में होगा तो, उस स्थिति में भुगतान के लिए निरीक्षण दों भौतिक निरीक्षण के लिए उपरोक्त दी गई तालिका के अनुसार लागू होंगी।

3.15 वर्ष 2018—19 में शामिल की किये गये निरीक्षण अधिकारी

निरीक्षणों के बढ़ते भार को देखते हुए प्राधिकरण पैनल में रखी गई एजेंसियों से, विशेष कर उन राज्य/क्षेत्रों में जहाँ पंजीकरण आवेदन की संख्या बढ़ रही है और निरीक्षण अधिकारी शामिल करने के लिए कहता रहा है। तदनुसार प्राधिकरण ने वर्ष 2018—19 में वर्ष में आवश्यक योग्यता तथा अनुभव रखने वाले और निरीक्षण अधिकारी ऑनबोर्ड किए है। विवरण नीचे दिया गया हैः—

तालिकाः 3.12

क्रम संख्या	निरीक्षण एजेंसी का नाम	क्षेत्रवार जोड़े गए निरीक्षण अधिकारी					कुल
		उत्तर	दक्षिण	पूर्व	पश्चिम	मध्य	
1	एस एस आर ए एंड कम्पनी	-	-	-	-	4	4
2	वन सर्ट इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड	-	-	-	-	3	3
3	नाबार्ड कंसलटेंसी सर्विस प्राइवेट लिमिटेड	-	7	-	-	-	7
4	टी क्यू सर्विस लिमिटेड	1	5	1	3	3	13
5	राष्ट्रीय उत्पादक परिषद	-	-	-	1	-	1
	कुल						**28**

3.16 भांडागारों का स्टॉक निरीक्षण

भांडागारों के पूर्व निरीक्षण से पहले प्राधिकरण ऐसे भांडागारों का स्टॉक निरीक्षण भी करता है जो काफी बड़ी संख्या में इलेक्ट्रोनिक परक्राम्य भांडागार रसीद जारी करते हैं। संबंधित एजेंसियों से प्राप्त विवरण के अनुसार भांडागारों में कृषि वस्तुओं के मात्रात्मक तथा गुणात्मक ऑडिट/निरीक्षण की योग्यता तथा अनुभव रखने वाले निरीक्षण अधिकारियों की स्टॉक निरीक्षण के लिए पहचान की गई है। इसके अतिरिक्त प्राधिकरण के अधिकरी भी ऐसे भांडागारों की स्टॉक निरीक्षण के लिये तैनात किए जाते हैं जहाँ अचानक स्टॉक निरीक्षण अल्प सूचना पर किया जाना होता है।

अध्यक्ष तथा सदस्य द्वारा राजकोट में कपास भांडागार का निरीक्षण

वर्ष 2018–19 में 141 भांडागारों स्टॉक निरीक्षण किया गया। रिपोर्ट वर्ष के दौरान किए गए स्टॉक निरीक्षणों की माह वार प्रगति इस प्रकार है:–

2018–19 में भांडागारों के स्टॉक निरीक्षणों की माहवार प्रगति

तालिकाः 3.13

माह	किए गए निरीक्षण की संख्या	निरीक्षण एजेंसी			डब्लू डी आर ए के अपने अधिकारी
		टी क्यू सर्विसेस	ट्रु क्वालिटी सर्टिफिकेशन	एस एस आर ए	
मई 2018	4	-	-	-	4
जून 2018	1	-	-	-	1
सितम्बर 2018	35	32	-	-	3
अक्तूबर 2018	7	7	-	-	-
नवम्बर 2018	9	9	-	-	-
दिसम्बर 2018	17	15	2	-	-
जनवरी 2019	39	26	9	4	-
फरवरी 2019	6	6	-	-	-
मार्च 2019	23	19	4	-	-
कुल	141	114	15	4	8

3.17 डब्लू.डी.आर.ए. के साथ रेपोजिटरीज का पंजीकरण

प्राधिकरण ने इलक्ट्रोनिक परक्राम्य भांडागार रसीदें (इ–एन.डब्लू.आर) के सृजन तथा प्रबंधन के लिए दो रिपोजिटरी अर्थात मैसर्स सेण्ट्रल डिपोजिटरी सर्विस लिमिटेड द्वारा प्रायोजित (सी.सी.आर.एल) तथा नेशनल कोमोडिटी एण्ड ड्राइवेटिज एक्सचेंज द्वारा प्रायोजित नेशनल ई रिपोजिटरी लिमिटेड को लगाया है। इन रिपोजिटरी द्वारा दी जाने वाली प्रमुख सेवाओं का विवरण इस प्रकार है :–

- खाताधारक के वैध प्राधिकार के आधार पर इ–एन.डब्लू.आर / इ–एन.डब्लू.आर के सुरक्षित एवं सही सृजन, रख–रखाव तथा रद्दकरण करना।
- इ–एन.डब्लू.आर की गोपनीयता, सत्यनिष्ठा तथा इससे संबंधित सभी सूचनाएँ सुनिश्चित करना।
- इ–एन.डब्लू.आर के हस्तांतरण, गिरवी अथवा गिरवी से हटाना एवं इ–नीलामी करना।
- इ–एन.डब्लू.आर अथवा भांडागार के माध्यम से ई एन.डब्लू.आर में दिए अनुसार, भाग में अथवा पूरी डिलीवरी देना

रिपोजिटरी प्रणाली 26 सितम्बर, 2017 से लागू हो गई थी। 31 मार्च, 2019 तक 77322 इ–एन. डब्लू.आर. जारी की गई है। विवरण इस प्रकार है:–

तालिका: 3.14

रेपोजिटरी	एक्सचेंज	नॉन एक्सचेंज	कुल
एन.इ.आर.एल	72365	494	72859
सी.सी.आर.एल	4356	117	4473
कुल	**76721**	**661**	**77332**

3.18 भांडागारण क्षेत्र में कौशल विकास कार्यक्रम

भांडागारण क्षेत्र का कौशल तथा क्षमता बढ़ाने के लिए के लिए डब्लू.डी.आर.ए. द्वारा पंजीकृत भांडागारों के भंडागारपालों के लिए विभिन्न प्रशिक्षण भागीदार संस्थानों के माध्यम से नियमित रूप से निरीक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे है। इसके अतिरिक्त भांडागारण (विकास और विनियमन) अधिनियम, 2007 तथा परक्राम्य भांडागार रसीद के संबंध में लाभों की जानकारी देने हेतु किसानों के लिए नियमित रूप से जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। वर्ष 2018–19 में आयोजित किए गए कार्यक्रमों का विवरण इस प्रकार है।

3.18.1 भांडागारण (विकास और विनियमन) अधिनियम 2007 के संबंध में किसानों के लिए प्रशिक्षण एवं जागरूकता कार्यक्रम

वर्ष 2018–19 में प्राधिकारण ने 10 राज्यों में परक्राम्य भांडागार रसीद प्रणाली के लाभों के संबंध में जानकारी देने के लिए किसानों, व्यापारियों, मिल मालिकों के लिए 114 एकदिवसीय कार्यक्रम आयोजित किए गए। ये जागरूकता कार्यक्रम विभिन्न विशेषज्ञ संस्थाओं जैसे केन्द्रीय भंडारण निगम, सी.सी.एस.एन. आइ.एम. जयपुर, आइ.सी.एम, भोपाल, यू.आर.आइ.सी.एम, गाँधीनगर आई.सी.एम, हैदराबाद, ए.टी.ए.आर. आई, जबलपुर, आई.सी.एम जयपुर, आई.सी.एम.मदुरैई, मधुसुदन आई.सी.एम. भुवनेश्वर, आई.जी.आई.सी. एम लखनऊ कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर के माध्यम से आयेजित किए । जिसका विवरण निम्न है:–

तालिकाः 3.15

क्रम संख्या	संगठन	संगठन	भागलेनेवाले किसानों/ व्यापारियों/मिल मालिकों की संख्या
1	केन्द्रीय भंडारण निगम	40	1950
2	सी.सी.एस.एन.आइ.एम. जयपुर	10	500
3	आइ.सी.एम. भोपाल,	11	550
4	आई.सी.एम. हैदराबाद	15	750
5	आई.सी.एम. जयपुर	15	500
6	आई.सी.एम. मदुरैई	1	50
7	आई.सी.एम. भुवनेश्वर	1	50
8	आई.सी.एम. लखनऊ	3	150
9	कृषि विश्वविद्यालय, जोधपुर	4	200
10	यू.आर.आइ.सी.एम. गाँधीनगर	10	500
11	ए.टी.ए.आर.आई. जबलपुर	4	500

प्राधिकरण की स्थापना से इस गतिविधि के अधीन हुई प्रगामी प्रगति का विवरण इस प्रकार है। कुल मिलाकर 727 कार्यक्रम आयोजित किए गए जिनमें 36350 किसानों ने भाग लिया

तालिकाः 3.16

क्रम संख्या	आयोजित किए गए जागरूकता कार्यक्रमों की संख्या	भाग लेने वाले किसानों की संख्या
1	4	200
2	96	4800
3	138	6900
4	85	4250
5	95	4750
6	98	4900
7	97	4850
8	114	5700

कृषि विज्ञान केन्द्र द्वारा जालंधर (पंजाब) में 24 अगस्त, 2018 को किसानों व्यापारियों एवं मिल मालिकों के लिए जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया

कृषि विज्ञान केन्द्र द्वारा जालंधर (पंजाब) में 24 अगस्त, 2018 को किसान जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया

16 अक्तूबर, 2018 को पंकी, कानपुर में किसानों, व्यापारियों एवं मिल मालिकों के लिए किसान जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया

3.18.2 भांडागार प्रबंधको का प्रशिक्षण

भांडागारों को प्रभावकारी एवं कुशलतापूर्वक चलाने के लिए भांडागारपालों की क्षमता बढ़ाने के लिए प्राधिकरण द्वारा पहचान की गई प्रशिक्षण संस्थाओं के माध्यम पंजीकृत भांडागारों के भांडागारपालों के लिए 5 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम करता है। इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों के दौरान भांडागारपालों को भांडागारण (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 2007 का लक्ष्य, उद्देश्य तथा प्रमुख विशिष्टताएँ, भांडागारों की मान्यता का उद्देश्य तथा भांडागारों का पंजीकरण, कृषि वस्तुओं का वैज्ञानिक भंडारण, कीट नियंत्रण पीड़क जन्तु नियंत्रण, भांडागारण प्रबंधन, परक्राम्य भांडागारण रसीदों के माध्यम से वित्त पोषण, भांडागारो एवं वस्तुओं का बीमा आदि के बारे में विस्तार से बताया जाता है।

प्रशिक्षण में भाग लेने वाले कार्मिकों के लिए भांडागारों में भंडारित कृषि वस्तुओं के श्रेणीकरण, नमूनाकरण परिरक्षण की तकनीकों को वास्तविक रूप में जानने हेतु निकट के पंजीकृत भांडागारों का दौरा आयोजित किया गया। प्रशिक्षण के सफलतापूर्वक पूरा होने के बाद प्रशिक्षणार्थियों को भाग लेने के संबंध में प्रमाण पत्र दिए गए।

2018–19 में सी.डब्लू.सी (आई.जी.एम.आर.ई, हापुड़) तथा सी.सी.एस.एन.आई.एम, जयपुर के माध्यम से 09 (नौ) प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए जिनमें पंजीकृत भांडागारों के 265 भांडागारपालों को प्रशिक्षित किया गया हैः–

तालिकाः 3.17

क्रम संख्या	संस्था का नाम	आयोजित किए गए कार्यक्रमों की संख्या	प्रशिक्षित किए गए भांडागार प्रबंधकों की संख्या
1.	सी.सी.एस.एन.आई.ए.एम	05	125
2.	सी.डब्लू.सी.आई.जी.एम.आर.आई	04	140
	कुल	**09**	**265**

गोबीचेट्टीपलायम, इरोड (तमिलनाडु) में प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों के भांडागार प्रबंधको के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम

यहाँ उल्लेख करना भी प्रांसगिक होगा कि प्राधिकरण प्रति प्रशिक्षणर्थी, प्रति कार्यक्रम, भागीदार प्रशिक्षण संस्थाओं को 12,500 / रू जी.एस.टी का भुगतान करता है।

तालिकाः 3.18

क्रम संख्या	वर्ष	संस्था का नाम	आयोजित किए गए कार्यक्रमों की संख्या	प्रशिक्षित किए गए भागिदारों की संख्या
1.	2011-12	एन.आइ.एम. जयपुर	02	65
2.	2012-13	डॉ एम.सी.आर. इंनस्टिट्यूट हैदराबाद एवम एन.आइ.ए.एम. जयपुर	04	131
3.	2013-14	डॉ एम.सी.आर. इंनस्टिट्यूट हैदराबाद, एन.आइ.ए.एम. जयपुर, सी.डब्लू.सी. हापुड़	11	414
4.	2014-15	आइ.जी.एम.आर.आई. हापुड़	10	354
5.	2015-16	सी.सी.एस.एन.आइ.ए.एम. जयपुर (03) सी.डब्लू.सी, आइ.जी.एम.आर.आई. हापुड़ (01)	04	96
6.	2016-17	सी.डब्लू.सी, आइ.जी.एम.आर.आई. हापुड़ (04), सी.सी.एस.एन.आइ.ए.एम. जयपुर (04)	08	211
7.	2017-18	सी.डब्लू.सी, आइ.जी.एम.आर.आई. हापुड़ (03), सी.सी.एस.एन.आइ.ए.एम. जयपुर (02)	05	127
8.	2018-19	सी.डब्लू.सी (04), सी.सी.एस.एन.आइ.ए.एम. (05)	09	265
	कूल		**53**	**1663**

3.19 नई ऑनलाइन पंजीकरण प्रकिया तथा भांडागारों के विनियमन सहित प्राधिकरण द्वारा इ–एन. डब्लू.आर परितंत्र पर आउटरीच कार्यक्रमों का आयोजन।

3.19.1 भांडागार रसीद वित्तपोषण की चुनौतियों तथा प्राधिकरण द्वारा शुरू की गई इ–एन.डब्लू.आर प्रणाली पर 26 अप्रैल, 2018 को बैंकर्स के साथ प्राधिकरण के कार्यालय में गोलमेज कॉंफ्रेंस का आयोजन किया गया जिसमें दोनों रेपोजिटरी सहित 13 प्रमुख सार्वजनिक एवं निजी बैंको के 17 प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

13.19.2 तमिलनाडु भंडारण निगम के अधिकारियों के साथ 4 मई, 2018 को चेन्नई में ऑनलाइन भांडागार पंजीकरण प्रणाली पर अभिन्यास कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

13.9.3 प्राधिकरण ने अपने रेपोजिटरी सी.सी.आर.एल के सहयोग से राजकोट, गुजरात में 18 मई, 2018 हितधारक–कार्यशाला का आयोजन किया जिसमें जैसे भांडागारपाल, बैकर्स, किसान, व्यापारी कोमोडिटी ब्रोकर्स आदि विभिन्न समूहों के 40 भागीदार शामिल हुए।

13.19.4 महाराष्ट्र राज्य भंडारण निगम के अधिकारियों के लिए 24 मई, 2018 को पूणे में कार्यशाला आयोजित की गई जिसमें एम.एस.डब्लू.सी 30 अधिकारियों ने भाग लिया तथा भांडागारों के ऑनलाइन पंजीकरण के बारे में जानकारी दी गई।

3.19.5 प्राधिकरण ने अपनी पंजीकृत रेपोजिटरी एन.इ.आर.एल के सहयोग से 26 मई, 2018 को पिपरिया(म.प्र.) में भांडागार पंजीकरण तथा इ–एन.डब्लू.आर जारी करने की प्रक्रिया पर कार्यशाला का आयोजन किया गया।

3.19.6 प्राधिकरण ने शिमला 11 जून, 2018 को एच.पी. बागवानी उत्पाद विपणन निगम (एच.पी.सम.सी.) के अधिकारियों के लिए जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया जिसमें 13 अधिकारियों ने भाग लिया।

3.9.7 प्राधिकरण ने एच.पी.एम.सी. के सहयोग से सेब उत्पादकों के लिए नारकांडा (हि.प्र) संवादात्मक एवं जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया। जिसमें 15 सेब उत्पादक तथा स्थानीय एच.पी.एम.सी. अधिकारियों ने भाग लिया।

3.19.8 प्राधिकरण ने रजिस्ट्रार, सहकारिता समितियॉं, चेन्नई के सहयोग से 21 जून, 2018 को कोयम्बटूर में पी.ए.सी.एस के अधिकारियों के लिए ऑनलाइन भांडागार पंजीकरण प्रणाली पर प्रशिक्षकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया। जिसमें सहकारिक विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों, 16 जिलों के 47 अधिकारियों ने भाग लिया।

3.19.9 प्राधिकरण ने पंजीकृत रेपोजिटरी, सी.सी.आर.एल के सहयोग से 21 जून, 2018 को कोयम्बटूर में विभिन्न हितधारकों हेतु कार्यशाला का आोजन किया जिसमें भांडागारपालों, बैंकर्स, व्यापारी, कोमोडिटी ब्रोकर्स आदि समूह से 15 लोगों ने भाग लिया। सहकारिता विभाग के वरिष्ठ अधिकारी तथा सी.डब्लू.सी के क्षेत्रीय प्रबंधक भी इसमें शामिल हुए।

3.19.10 रजिस्ट्रार ऑफ कॉ–आपरेटिव सोसाइटीज, चेन्नई के सहयोग से प्राधिकरण ने 22 जून, 2018 को त्रिची में तमिलनाडु राज्य में पी.ए.सी. के लिए प्रशिक्षकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया। जिसमें 15 जिलों के पी.ए.सी के 45 अधिकारियों तथा वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया।

3.9.11 प्राधिकरण ने कर्नाटक राज्य भंडारण निगम के अधिकारियों के लिए 26 जून, 2018 को बंगलुरू में ऑनलाइन भांडागार पंजीकरण तथा इ–एन.डब्लू.आर पर कार्यशाला का आयोजन किया। जिसमें कर्नाटक राज्य भंडारण निगम के प्रबंधनिदेशक सहित 35 अधिकारियों ने भाग लिया।

3.9.12 डब्लू.डी.आर.ए ने सी.डब्लू.सी, हैदराबाद क्षेत्र तथा सी.सी.आर.एल के सहयोग से 20 जुलाइ, 2018 को इ–एन.डब्लू.आर. प्रणाली पर जागरूकता कार्यशाला आयोजित की जिसमें आंध्र प्रदेश तथा तेलंगाना में पंजीकृत 38 भांडागारपालों एवं तेलंगाना एस.डब्लू.सी के कार्मिकों सहित 50 अधिकाररियों ने भाग लिया।

3.19.13 अध्यक्ष डब्लू.डी.आर.ए ने 14 नवम्बर, 2018 को भुवनेश्वर में सहकारिता विभाग, ओड़िशा सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ विस्तृत बात चीत की तथा पी.सी.एस भांडागरों के लिए पंजीकरण शिविर का भी आयोजन किया।

3.19.14 रेपोजिटरी सी.सी.आर.एल के सहयोंग से इ–एन.डब्लूआर के इको सिस्टम के सम्बंध में 30 जनवरी, 2019 मुम्बई में हितधारकों के लिए कार्यक्रम आयोजित किया जिसमें डब्लू.एस.पी, बैंकों, कोमोडिटी एक्सजेंज, क्लियरिंग कॉरपोरेशन, कोमोडिटी भागीदार एवं सी.सी.आर.एल के कारोबार विकास सलाहकार समिति के सदस्यों सहित 28 लोगों ने भाग लिया।

3.19.15 प्राधिकरण ने आर.सी.एस. चेन्नई के सहयोग से तमिलनाडु में पी.सी.एस के लिए 1 फरवरी, 2019, कोयम्बटूर में पी.ए.सी.एस भांडागारों के ऑनलाइन पंजीकरण पर समिक्षा कार्यशाला का आयोजन किया जिसमें 16 जिलों के 28 अधिकारियों तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया।

3.19.16 प्राधिकरण ने आर.सी.एस. चेन्नई के सहयोग से तमिलनाडु में पी.सी.एस के लिए 2 फरवरी, 2019, त्रिची में पी.ए.सी.एस भांडागारों के ऑनलाइन पंजीकरण पर समिक्षा कार्यशाला का आयोजन किया जिसमें 15 जिलों के अधिकारियों तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया।

3.19.17 डब्लू.डी.आर.ए के रेपोजिटरी मैसर्स एन.ई.आर.एल ने 18 फरवरी, 2019 को तेनाली (आंध्र प्रदेश) में किसान/बैंकरों के लिए इ–एन.डब्लू.आर पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया जिसमें तेनाली, गुंटूर, डूगीराला जिलों से किसान, बैंकर्स तथा भांडागार अधिकारियों सहित 250 कुल मिलाकर 250 भागीदार शामिल हुए।

3.19.18 श्री.पी.श्रीनिवास, सदस्य, डब्लू.डी.आर.ए तथा वरिष्ठ सलाहकार (तकनीकी) ने 21 फरवरी, 2019 को पंचकूला, हरियाणा में हरियाणा राज्य भंडारण निगम के अधिकारीयों के लिए डब्लू.डी.आर.ए की नई पंजीकरण प्रक्रिया तथा इ–इन.डब्लू.आर इको प्रणाली पर कार्यशाला का आयोजन किया।

भांडागारण परक्राम्य रसीद पर वित्त पोषण की वर्तमान चुनौतियों पर प्राधिकरण के कार्यालय में 26 अप्रैल, 2018, एक गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया गया।

डब्लू.डी.आर.ए. द्वारा सी.सी.आर.एल. के साथ मिलकर 31 जनवरी, 2019 को मुंबई में हितधारकों से परामर्श, डब्लू.एस.पी बैंकों के लिए इ–इन.डब्लू.आर ईको सिस्टम के बारे में, कमोडिटी एक्सचेंज, क्लीयरिंग कॉर्पोरेशन, कमोडिटी प्रतिभागियों और व्यवसाय विकास टीम के सदस्यों के लिए बैठक आयोजित की गई।

अध्यक्ष डब्लू.डी.आर.ए, अध्यक्ष एन.इ.आर.एल एवं प्रबंध निदेशक, एन.इ.आर.एल द्वारा सैण्ट्रल वेयरहाउस, तेनाली (आन्ध्र प्रदेश) में किया गया दौरा

अध्याय – IV

भांडागारण विकास एवं विनियामक प्राधिकरण के वित्तीय कार्य–निष्पादन सहित संगठनात्मक मामले

4.1 भांडागारण विकास एवं विनियामक प्राधिकरण के संगठनात्मक मामले :

31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार भांडागारण विकास एवं विनियामक प्राधिकरण में स्वीकृत तथा भरे गए पद निम्नानुसार है:

तालिका: 4.1

क्रम संख्या	पदनाम	स्वीकृत पदों की संख्या	31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार भरे हुए पदों की संख्या
1	संयुक्त सचिव/अपर सचिव	1	(व्यैक्तिक आधार पर अपर सचिव के रूप में अपग्रेडिड 1)
2	निदेशक	2	1
3	अवर सचिव	2	1
4	उप निदेशक	2	2
5	अनुभाग अधिकारी	2	1
6	सहायक/लेखाकार	2	2
7	प्रधान निजी सचिव	1	1
8	निजी सचिव	2	1
9	स्टाफ फील्ड अधिकरी	1	-
10	आशुलिपिक ग्रेड 'डी'	2	2
11	ड्राइवर	1	1
	कुल	**18**	**13**

4.2 प्राधिकरण में सतर्कता संबंधी कार्य

निदेशक (प्रशासन और वित्त), भांडागारण विकास एवं विनियामक प्राधिकरण के मुख्य सतर्कता अधिकारी के रूप में कार्य कर रहे हैं। 31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार वर्ष के दौरान प्राधिकरण में सतर्कता संबंधी कोई मामला विचाराधीन अथवा लंबित नहीं था।

4.3 प्राधिकरण में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 का क्रियान्वयन

श्री गणेश ए. बाकड़े, निदेशक, (प्रशासन एवं वित्त) ने केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी के रूप में कार्य करना जारी रखा। श्री दीपक आर्य, उप निदेशक (विधि) तथा अवर सचिव (प्रभारी) (प्रशासन एवं वित्त) को केन्द्रीय सहायक जन सूचना अधिकारी नियुक्त किया गया। श्री टी.के. मनोज कुमार, अपर सचिव, डब्लू.डी.आर.ए. ने वर्ष 2018–19 के दौरान अपीली अधिकारी के रूप में कार्य किया। यह सूचना आम जनता की जानकारी के लिए प्राधिकरण की वैबसाइट पर दर्शायी गई। वर्ष 2018–19 में आर.टी.आई अधिनियम के अन्तगर्त 07 संदर्भ प्राप्त हुए जिनकी समय पर सूचना प्रदान की गई।

4.4 राजभाषा क्रियान्वयन

प्राधिकरण में राजभाषा के क्रियान्वयन की समीक्षा के लिए अपर सचिव, डब्लू.डी.आर.ए. की अध्यक्षता में राजभाषा कार्यान्वयन समिति की तिमाही बैठक क्रमशः 12 जून, 2018, 28 सितम्बर, 2018, 31 दिसम्बर, 2018 तथा 28 मार्च, 2019 को आयोजित की गई।

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति के सदस्य के रूप में प्राधिकरण के अधिकारियों ने समिति की दिनांक 28 अगस्त, 2018 तथा 27 फरवरी, 2019 को आयोजित बैठकों में भाग लिया। ये बैठकें महानिदेशक ई.पी.एफ.ओ की अध्यक्षता में कर्मचारी भविष्य निधि (ई.पी.एफ.ओ) के कार्यालय में दक्षिण नराकास द्वारा आयोजित की गई।

राजभाषा अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों की जानकारी देने तथा कार्यालय में राजभाषा हिन्दी का प्रगामी प्रयोग बढ़ाने हेतु 26 मार्च, 2019 को हिंदी कार्यशाला आयोजित की गई। जिसमें प्राधिकरण के सभी अधिकारियों तथा कर्मचारियो ने भाग लिया। खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग द्वारा ट्रांसलेशन टूल (कंठस्थ) पर 27 मार्च, 2019 को आयोजित कार्यशाला में प्राधिकरण के चार कार्मिकों ने भाग लिया।

प्राधिकरण में 14 से 28 सितम्बर, 2018 तक हिंदी पखवाड़ा आयोजित किया गया। पखवाड़े के दौरान विभिन्न प्रतियोगिताएँ जैसे हिंदी लेखन, कहानी लेखन, डिक्टेशन आदि आयोजित की गई। प्राधिकरण के कर्मचारियों के लिए स्थल पर उसी समय स्वयंरचित कविता प्रतियोगिता भी आयोजित की गई तथा पुरस्कार वितरित किए गए। हिंदी में कार्य करने लिए प्रोत्साहित करने के लिए हिन्दी टिप्पण एवं आलेखन प्रतियोगिता आयोजित की गई।

प्राधिकरण के अधिकारियो एवम् कर्मचारियों ने खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग, भारत सरकार द्वारा प्रकाशित पत्रिका **''खाद्य भारती''** तथा केन्द्रीय भंडारण निगम की पत्रिका **''भंडारण भरती''** में प्रकाशन हेतु, नियमित रूप से कविताएँ, लघु कहानियाँ तथा लेख भेजे।

26 मार्च, 2019 को प्राधिकरण के कर्मचारियों के लिए राजभाषा हिंदी के प्रयोग पर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया।

4.5 स्वचछता पखवाड़े का आयोजन।

प्रधिकरण में 15 सितम्बर, 2018 से 02 अक्तूबर, 2018 तक स्वच्छता पखवाड़ा आयोजित किया गया। यह आयोजन परिसर में प्रथम दिन स्वच्छता शपथ एवम् वृक्षारोपण से आरम्भ हुआ। इस अवधि के दौरान प्राधिकरण के कर्मचारियों ने कार्यालय परिसर सहित डी.डी.ए पार्क, शाहपुर जट तथा गुलमोहर पार्क, हौज खास में स्वच्छता अभियान चलाया गया। स्वच्छता के लिए जागरूकता उत्पन्न करने तथा आसपास सफाई रखने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु पैम्फलेट भी वितरित किए गए। स्वछता अभियान के दौरान प्राधिकरण के कर्मचारियों ने दक्षिण दिल्ली नगर निगम के प्रतिभा विद्यालय, हौज खास का दौरा किया तथा परिसर में साफ सफाई की। इसके अलावा विद्यार्थियों को दिन–प्रतिदिन के जीवन में स्वच्छता के महत्व के बारे में बताया तथा आस पास की सफाई व्यक्तिगत स्वच्छता पर प्रश्नोत्तरी भी आयोजित की गई। विजेताओं सहित भाग लेने वाले सभी विद्यार्थियो को पुरस्कार प्रदान किए।

15.9.2018 को स्वच्छता की शपथ लेते हुए प्राधिकरण के अधिकारी एवम् कर्मचारी

डब्लू.डी.आर.ए की टीम द्वारा स्वच्छता पखवाड़ा का आयोजन

प्राधिकरण के कर्मचारी द्वारा स्वच्छता पखवाड़े के दौरान ड़ी डी. ए. पार्क, शाहपुर जट में स्वच्छता अभियान चलाया गया

स्वच्छता पखवाड़े के दौरान प्राधिकरण के कर्मचारी द्वारा दक्षिण दिल्ली नगर निगम के प्रतिभा विद्यालय, परिसर, हौज खास, नई दिल्ली में साफ सफाई करते हुए।

दक्षिण दिल्ली नगर निगम के प्रतिभा विद्यालय, हौज खास, नई दिल्ली, में स्वच्छता पखवाड़े के दौरान विद्यार्थियो को पुरस्कार प्रदान करते कर्मचारी।

दक्षिण दिल्ली नगर निगम के प्रतिभा विद्यालय, हौज खास, नई दिल्ली, में स्वच्छता पखवाड़े के दौरान विद्यार्थियो को सफाई के महत्व को बताते हुए

स्वच्छता पखवाड़े के दौरान अध्यक्ष एवं सदस्य द्वारा पौधारोपण

4.6 मुख्य मंत्री केरल के आपदा राहत कोष में योगदान

जैसा कि विदित है अगस्त, 2018 में केरल में आई बाढ़ से जीवन तथा सम्पति को हुई भारी हानि हुई थी। पीड़ितों को राहत पहुँचाने सहित उनके पुनर्वास के लिए अध्यक्ष की अपील पर प्राधिकरण के 15 अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने आपदा के उस पल में केरलवासियों को राहत पहुँचाने के लिए सहायता के रूप में मुख्य मंत्री के केरल के आपदा राहत कोष में 52,500/–रू (बावन हजार पाँच सौ रूपए केवल) योगदान दिया। आयुक्त को 31 अगस्त, 2018 को डब्लू.डी.आर.ए. के अध्यक्ष तथा अपर सचिव द्वारा इस राशि का चैक केरल सरकार के प्रिंसिपल रेजीडेंट आयुक्त को सौंपा गया।

4.7 प्राधिकरण के कार्मिको के लिए प्रशिक्षण

प्राधिकरण के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए ''इ–कार्यालय'' सोफ्टवेअर के प्रयोग पर प्रशिक्षण प्रदान किया गया। समय–समय पर भांडागारों के पंजीकरण के लिए नए ऑनलाइन पोर्टल के प्रयोग के लिए अधिकारियों तथा कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया गया।

4.8 वर्ष 2018–19 के लिए प्राधिकरण के लेखा परीक्षित लेखे

वर्ष 2018–19 के लिए प्राधिकरण के स्वीकृत बजट 1046.24 लाख रूपए था जिसमें 2017–18 से आगे लाए गए 285.08 लाख रू भी शामिल है। वर्ष में, वास्तविक व्यय 994.12 लाख रूपए रहा। 31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार अनुपयोग में ओरिएंटल बैक कामर्स (ओ.बी.सी) से अनुदान पर प्राप्त ब्याज (7.25 लाख) रू सहित 52.15 लाख रू था जिसे अगले वित्त वर्ष अर्थात् 2019–20 में अग्रेनीत किया गया है। वर्ष 2018–19 के लिए लेखापरीक्षा महानिदेशक (केन्द्रीय व्यय) के माध्यम से प्राप्त भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट सहित प्राधिकरण के वार्षिक वित्तीय लेख अनुलग्नक–I एवं II पर संलग्न है।

31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष को लिए नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा कोई प्रमुख टिप्पणी नहीं की गई है। तथापि सी.ए.जी अलग आडिट रिपोर्ट पर प्राधिकरण के उत्तर/टिप्पणियाँ अनुलग्नक–III पर दी गई है।

अध्यक्ष, डब्लू.डी.आर.ए. किसान कनेक्ट में सभा को सम्बोधित करते हुए। यह जागरूकता कार्यक्रम इ–एन.डब्लू.आर.ए के इको सिस्टम के बारे में किसानों, बैंकों, भांडागार कार्मिकों के लिए 18 फरवरी 2019 को तेनाली (आध्र प्रदेश) में आयोजित की गई।

किसानों, बैंकों, भांडागार कार्मिकों के लिए 18 फरवरी 2019 का तेनाली (आध्र प्रदेश) में इ–एन.डब्लू.आर के इको सिस्टम के बारे एन.इ.आर.एल द्वारा आयोजित किसान कनेक्ट कार्यक्रम ।

अनुलग्नक–I

सत्यमेव जयते

WDRA
Warehousing Development & Regulatory Authority

Annual Statement of Accounts
2018-19

Warehousing Development & Regulatory Authority
4th Floor, NCUI Building 3, Siri Institutional Area,
August Kranti Marg, Hauz Khas, New Delhi-110016

WDRA

Warehousing Development & Regulatory Authority

FORM B
(See Rule 3)
INCOME AND EXPENDITURE ACCOUNT FOR THE PERIOD ENDED ON 31/03/2019

Amount (in Rs.)

Name	Schedule	Current Year	Previous Year
(A) INCOME		77,092,204	60,675,635
Income from sales/services	12	0	0
Grants/Subsidies	13	76,116,000	58,095,000
Fees/Subscriptions	14	0	0
Income from Investment (Income on Investment from Earmarked/Endowment fund transferred to funds)	15	0	0
Income from Royalty,Publications etc.	16	0	0
Interest Earned	17	724,980	2,367,305
Other Income	18	251,224	213,330
Increase/(Decrease) in stock of finished goods and work in progress	19	0	0
(B) EXPENDITURE		113,964,180	110,897,066
Establishment Expenses	20	27,863,453	27,891,474
Other Administrative Expenses etc.	21	66,598,808	68,966,854
Expenditure on Grants Subsidies etc.	22	0	0
Interest	23	0	0
Depreciation (Net total at the year end corresponding to schedule 8)	8	19,501,919	14,038,738
Balance being excess/(deficit) of income over expenditure (A-B)		-36,871,976	-50,221,431
Transfer to Special Reserve		0	0
Transfer to/from General Reserve		0	0
Balance being surplus/(deficit) carried to Corpus/Capital Fund		-36,871,976	-50,221,431
Significant accounting policies	24	0	0
Contingent liabilities and Notes to Accounts	25	0	0

For Manoj Mohan & Associates
Chartered Accountants
FRN 009195C

CA Ravi Kumar Gupta
Partner
M.No. 057046

Place: New Delhi
Date : 27.05.2019

दीपक आर्य / DEEPAK ARYA
अवर सचिव (प्रभारी) / Under Secretary (I/C)
भांडागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण
Warehousing Development and Regulatory Authority
उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution
भारत सरकार / Government of India
हौज खास, नई दिल्ली–16 / Hauz Khas, New Delhi-16

पी. श्रीनिवास
P. SRINIVAS
सदस्य/Member
भांडागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण
Warehousing Development and Regulatory Authority
भारत सरकार/Government of India
हौज खास, नई दिल्ली-110016
Hauz Khas, New Delhi-110016

डॉ. बी.बी. पट्टनायक
Dr. B.B. PATTANAIK
अध्यक्ष (प्रभारी) / Chairman (I/C)
भांडागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण
Warehousing Development and Regulatory Authority
भारत सरकार / Government of India
हौज खास, नई दिल्ली–110016
Hauz Khas, New Delhi-110016

WDRA

Warehousing Development & Regulatory Authority

SCHEDULE 1 - CORPUS/CAPITAL FUND AS ON 31/03/2019

Amount (in Rs.)

Name	Current Year	Previous Year
Corpus/Capital Fund	0	0
20000.01 Corpus/Capital Fund (Opening Balance)	213,785,613	264,007,044
Add. Contribution towards Corpus/Capital Fund	0	0
Add/Deduct. Bal of net income/expenditure transfer from income and expenditure account	-36,871,976	-50,221,431
Balance at the Year End	176,913,637	213,785,613

MANOJ MOHAN & ASSOCIATES Chartered Accountants

दीपक आर्य / DEEPAK ARYA
अवर सचिव (प्रभारी) / Under Secretary (I/C)
भांडागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण
Warehousing Development and Regulatory Authority
उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution
भारत सरकार / Government of India
हौज खास, नई दिल्ली-16 / Hauz Khas, New Delhi-16

पी. श्रीनिवास
P. SRINIVAS
सदस्य/Member
भांडागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण
Warehousing Development and Regulatory Authority
भारत सरकार/Government of India
हौज खास, नई दिल्ली-110016
Hauz Khas, New Delhi-110016

डॉ. बी.बी. पट्टनायक
Dr. B.B. PATTANAIK
अध्यक्ष (प्रभारी) / Chairman (I/C)
भांडागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण
Warehousing Development and Regulatory Authority
भारत सरकार / Government of India
हौज खास, नई दिल्ली-110016
Hauz Khas, New Delhi-110016

WDRA

Warehousing Development & Regulatory Authority

SCHEDULE-2 RESERVE AND SURPLUS AS ON 31/03/2019

Amount (in Rs.)

Name	Current Year	Previous Year
21000.01 Capital Reserve	**0**	**0**
As Per Last Account	0	0
Addition during the Year	0	0
Less: Deductions during the year	0	0
21000.02 Revenue Reserve	**0**	**0**
As per Last Account	0	0
Addition During the year	0	0
Less: Deductions during the year	0	0
21000.03 Special Reserve	**0**	**0**
As per Last Account	0	0
Addition during the year	0	0
Less: Deductions during the year	0	0
21000.04 General Reserve	**0**	**0**
As per Last Account	0	0
Addition During the year	0	0
Less: Deductions during the year	0	0
TOTAL	**0**	**0**

दीपक आर्य / DEEPAK ARYA (A&F)
अवर सचिव (प्रभारी) / Under Secretary (I/C)
भांडागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण
Warehousing Development and Regulatory Authority
उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution
भारत सरकार / Government of India
हौज खास, नई दिल्ली-16 / Hauz Khas, New Delhi-16

पी. श्रीनिवास
P. SRINIVAS
सदस्य/Member
भांडागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण
Warehousing Development and Regulatory Authority
भारत सरकार/Government of India
हौज खास, नई दिल्ली-110016
Hauz Khas, New Delhi-110016

डॉ. बी.बी. पट्टनायक
Dr. B.B. PATTANAIK
अध्यक्ष (प्रभारी) / Chairman (I/C)
भांडागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण
Warehousing Development and Regulatory Authority
भारत सरकार / Government of India
हौज खास, नई दिल्ली-110016
Hauz Khas, New Delhi-110016

WDRA

Warehousing Development & Regulatory Authority

SCHEDULE-3 EARMARKED/ENDOWMENT FUND AS ON 31/03/2019

Amount (in Rs.)

Name	Current Year	Previous Year
(a) Opening Balance of the Funds	**0**	**0**
(b) Addition to the Fund	**0**	**0**
i. Donations/Grants	0	0
ii. Income from Investment made on account of funds	0	0
iii. Other Addition	0	0
Total c (a+b)	**0**	**0**
(d) Utilization/Expenditure towards objective of funds	**0**	**0**
(i) Capital Expenditure	**0**	**0**
Fixed	0	0
Others	0	0
(ii) Revenue Expenditure	**0**	**0**
Salaries, Wages and Allowances etc	0	0
Rent	0	0
Other Administrative expenses	0	0
Utilization/Expenditure Total (d)	**0**	**0**
22000.01 Balance at the Year End (c-d)	**0**	**0**

दीपक आर्य / DEEPAK ARYA
(A&F)
अवर सचिव (प्रभारी) / Under Secretary (I/C)
भांडागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण
Warehousing Development and Regulatory Authority
उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution
भारत सरकार / Government of India
हौज खास, नई दिल्ली–16 / Hauz Khas, New Delhi-16

पी. श्रीनिवास
P. SRINIVAS
सदस्य/Member
भांडागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण
Warehousing Development and Regulatory Authority
भारत सरकार/Government of India
हौज खास, नई दिल्ली-110016
Hauz Khas, New Delhi-110016

डॉ. बी.बी. पट्टनायक
Dr. B.B. PATTANAIK
अध्यक्ष (प्रभारी) / Chairman (I/C)
भांडागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण
Warehousing Development and Regulatory Authority
भारत सरकार / Government of India
हौज खास, नई दिल्ली–110016
Hauz Khas, New Delhi-110016

WDRA

Warehousing Development & Regulatory Authority

SCHEDULE-4 SECURED LOANS AND BORROWINGS AS ON 31/03/2019

Amount (in Rs.)

Name	Current Year	Previous Year
23000.01 Central Government (Secured Loan)	0	0
23000.02 State Government (Secured Loan)	0	0
23000.03 Financial Institution (Secured Loan)	0	0
23000.03A Term Loans	0	0
23000.03B Interest accrued and due on term loan	0	0
23000.04 Secured Loan from Banks	0	0
23000.04A Secured Term Loans	0	0
23000.04B Interest accrued and due on term loan (Bank)	0	0
23000.04C Other Loans (Bank)	0	0
23000.04D Interest accrued and Due (Others)	0	0
23000.05 Other Institutions and Agencies	0	0
23000.06 Debentures and Bonds	0	0
23000.07 Others	0	0
TOTAL	0	0

NANDU MOHAN & ASSOCIATES
FRN
Noida
Chartered Accountants

दीपक आर्य / DEEPAK ARYA
अवर सचिव (प्रभारी) / Under Secretary (I/C)
भांडागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण
Warehousing Development and Regulatory Authority
उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution
भारत सरकार / Government of India
हौज खास, नई दिल्ली–16 / Hauz Khas, New Delhi-16

पी. श्रीनिवास
P. SRINIVAS
सदस्य/Member
भांडागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण
Warehousing Development and Regulatory Authority
भारत सरकार/Government of India
हौज खास, नई दिल्ली-110016
Hauz Khas, New Delhi-110016

डॉ. बी.बी. पट्टनायक
Dr. B.B. PATTANAIK
अध्यक्ष (प्रभारी) / Chairman (I/C)
भांडागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण
Warehousing Development and Regulatory Authority
भारत सरकार / Government of India
हौज खास, नई दिल्ली–110016
Hauz Khas, New Delhi-110016

WDRA

Warehousing Development & Regulatory Authority

SCHEDULE-5 UNSECURED LOANS AND BORROWINGS AS ON 31/03/2019

Amount (in Rs.)

Name	Current Year	Previous Year
24000.01 Central Government (Unsecured Loan)	**0**	**0**
24000.02 State Government (Unsecured Loan)	**0**	**0**
24000.03 Financial Institution (Unsecured Loan)	**0**	**0**
24000.04 Banks (Unsecured Loan)	**0**	**0**
24000.04A Term Loans (Unsecured)	0	0
24000.04B Other Loans (Unsecured)	0	0
24000.05 Other Institutions and Agencies	**0**	**0**
24000.06 Debentures and Bonds	**0**	**0**
24000.07 Fixed Deposits	**0**	**0**
24000.08 Others	**0**	**0**
TOTAL	**0**	**0**

MANOJ MOHAN & ASSOCIATES
FRN 009195C
Noida
Chartered Accountants

दीपक आर्य / DEEPAK ARYA
अवर सचिव (प्रभारी) / Under Secretary (I/C)
भांडागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण
Warehousing Development and Regulatory Authority
उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution
भारत सरकार / Government of India
हौज खास, नई दिल्ली–16 / Hauz Khas, New Delhi-16

पी. श्रीनिवास
P. SRINIVAS
सदस्य/Member
भांडागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण
Warehousing Development and Regulatory Authority
भारत सरकार/Government of India
हौज खास, नई दिल्ली-110016
Hauz Khas, New Delhi-110016

डॉ. बी.बी. पट्टनायक
Dr. B.B. PATTANAIK
अध्यक्ष (प्रभारी) / Chairman (I/C)
भांडागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण
Warehousing Development and Regulatory Authority
भारत सरकार / Government of India
हौज खास, नई दिल्ली–110016
Hauz Khas, New Delhi-110016

WDRA

Warehousing Development & Regulatory Authority

SCHEDULE-6 DEFERRED CREDIT LIABILITIES AS ON 31/03/2019

Amount (in Rs.)

Name	Current Year	Previous Year
25000.01 Acceptance Secured by Hypothecation of Capital Equipment and Assets	0	0
25000.02 Others	0	0
TOTAL	0	0
Note: Amount due within one year	0	0

दीपक आर्य / DEEPAK ARYA
अवर सचिव (प्रभारी) / Under Secretary (I/C)
भांडागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण
Warehousing Development and Regulatory Authority
उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution
भारत सरकार / Government of India
हौज खास, नई दिल्ली–16 / Hauz Khas, New Delhi-16

पी. श्रीनिवास
P. SRINIVAS
सदस्य/Member
भांडागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण
Warehousing Development and Regulatory Authority
भारत सरकार/Government of India
हौज खास, नई दिल्ली-110016
Hauz Khas, New Delhi-110016

डॉ. बी.बी. पट्टनायक
Dr. B.B. PATTANAIK
अध्यक्ष (प्रभारी) / Chairman (I/C)
भांडागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण
Warehousing Development and Regulatory Authority
भारत सरकार / Government of India
हौज खास, नई दिल्ली–110016
Hauz Khas, New Delhi-110016

WDRA

Warehousing Development & Regulatory Authority

SCHEDULE-7 CURRENT LIABILITIES AND PROVISIONS AS ON 31/03/2019

Amount (in Rs.)

Name	Current Year	Previous Year
26000.01 Current Liabilities	**84,280,280**	**55,914,234**
26000.01A Acceptance	0	0
26000.01B Sundry Creditors	**62,644,639**	**36,745,518**
26000.01BA Sundry Creditors for Goods	0	0
26000.01BB Sundry Creditors Others	62,644,639	36,745,518
26000.01BB1 Sundry Creditors Others (BECIL)	1,436,064	1,436,064
26000.01BB2 Sundry Creditors Others (Post Master)	0	-179
26000.01BB3 Sundry Creditors Others (Others)	4,724,299	0
26000.01BB4 Sundry Payble	56,484,276	35,309,275
26000.01FG Other Liabilities	0	0
26000.01FGA PM/CM Relief Fund	0	0
26000.01C Advances Received	**0**	**0**
26000.01D Interest Accrued but not due on	**0**	**0**
26000.01DA Secured Loans/Borrowings	0	0
26000.01DB Unsecured Loans/Borrowings	0	0
26000.01E Statutory Liabilities	**1,532,919**	**2,058,222**
26000.01EA Statutory Liability-Overdue	0	0
26000.01EB TDS	1,532,919	2,058,222
26000.01EBA TDS-Salary	399,152	371,933
26000.01EBB TDS-Others	1,032,184	1,686,289
26000.01EBC GST-TDS	101,583	0
26000.01F Other Current Liabilities	**20,102,722**	**17,110,494**
26000.01FA Security Deposit	13,259,784	13,322,581
26000.01FB Earnest Money Deposit (EMD)	10,000	10,000
26000.01FC Stale Cheque Pending for Re-issue	20,738	20,858
26000.01FD Salary Payable	2,416,814	1,646,677
26000.01FE Withheld from Party's Bills	1,961,021	1,693,032
26000.01FF Leave Salary Contribution Payable	2,434,365	417,346
26000.02 Provision for Expenses	**1,775,075**	**3,903,949**
26000.02A Provision for Taxation	0	0
26000.02B Provision for Gratuity	292,254	178,272
26000.02C Provision for Superannuation/Pension	0	0
26000.02D Provision for Accumulated Leave Encashment	249,980	277,870
26000.02E Provision for Trade Warranties/Claims	0	0
26000.02F Provisions for Unpaid Expenses	**1,232,841**	**3,447,807**

(contd...)

WDRA

Warehousing Development & Regulatory Authority

Name	Current Year	Previous Year
26000.02FA Provisions for Telephone Expenses	18,648	22,948
26000.02FB Provisions for Audit Fee	160,620	300,000
26000.02FC Provisions for Rent, Rates and Taxes	0	6,250
26000.02FD Provisions for Inspection system in Warehouses	0	597,500
26000.02FE Provisions for Newspapers & Periodicals	2,021	2,452
26000.02FF Provisions for Training & Awareness	434,659	269,250
26000.02FG Provisions for Miscellaneous Expenses	143,812	162,566
26000.02FH Provision for Professional Charges	451,866	1,200,489
26000.02FI Provision for Outsourced Manpower (DEO)	0	379,008
26000.02FJ Provision for Repair & Maintenance Exp.	21,215	507,344
TOTAL	**86,055,355**	**59,818,183**

Chartered Accountants

दीपक आर्य / DEEPAK ARYA
अवर सचिव (प्रभारी) / Under Secretary (I/C)
भांडागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण
Warehousing Development and Regulatory Authority
Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution
भारत सरकार / Government of India
हौज खास, नई दिल्ली–16 / Hauz Khas, New Delhi-16

पी. श्रीनिवास
P. SRINIVAS
सदस्य/Member
भांडागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण
Warehousing Development and Regulatory Authority
भारत सरकार/Government of India
हौज खास, नई दिल्ली-110016
Hauz Khas, New Delhi-110016

डॉ. बी.बी. पट्टनायक
Dr. B.B. PATTANAIK
अध्यक्ष (प्रभारी) / Chairman (I/C)
भांडागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण
Warehousing Development and Regulatory Authority
भारत सरकार / Government of India
हौज खास, नई दिल्ली-110016
Hauz Khas, New Delhi-110016

WDRA

WAREHOUSING DEVELOPMENT AND REGULATORY AUTHORITY

FORMING PART OF BALANCE SHEET AS ON 31ST MARCH 2019

SCHEDULE 8 -FIXED ASSETS

S. No.	Description	Factor	Cost/ valuation as at beginning of the year	Addition (more than 180 days)	Addition (less than 180 days)	Deduction during the year	Cost/ valuation at the year end	Depreciation as at beginning of the year	Depreciation during the year	Depreciation on deduction during the year	Total depreciation upto the year end	NET as at the current year end (WDV)	NET as at the previous year end (WDV)
1	A. Fixed Asset:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	1. LAND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	a) Freehold	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	b) Leasehold	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	2. Buildings	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	a). Freehold Land	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	b) Leasehold Land	56 Years	174200000	-	-	-	174200000	6221430	3110714	-	9332144	164867856	167978570
8	c) Ownership Flats/Premises	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	d) Superstructures on land not belonging to the entity	40%	19357676	-	-	-	19357676	7743070	7743070	-	15486140	3871536	11614606
10	3. Plant, Machinery & Equipments	15%	4943553	97500	60600	7500	5094153	1465916	771493	3938	2233471	2860682	3477637
11	4. Vehicles	15%	703433	-	-	-	703433	703432	-	-	703432	1	1
12	5. Furniture & Fixtures	10%	5319067	18180	-	199022	5138225	953210	543941	110595	1386556	3751669	4365857
13	6. Office Equipment	15%	744703	30433	1900	93362	683674	301389	102972	59812	344549	339125	443314
14	7. Computer & Peripheral	40%	2439940	267650	319258	-	3026848	1969839	432728	-	2402567	624281	470101
15	8. Electric Installation	15%	122321	-	-	-	122321	105075	2935	-	108010	14311	17246
16	9. Library Books	40%	87129	2558	1845	-	91532	81851	9453	-	91304	228	5278
17	10. Tubewells & W.Supply	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	11. Software	40%	8368366	6362870	4460588	-	19191824	1673673	6784613	-	8458286	10733538	6694693
19	Total of A	-	216286188	6779191	4844191	299884	227609686	21218885	19501919	174345	40546459	187063227	195067303
20	B. Capital Work in Progress	-	-	5352790	3446089	8798879	-	-	-	-	-	-	-
	Total (A + B)	-	**216286188**	**12131981**	**8290280**	**9098763**	**227609686**	**21218885**	**19501919**	**174345**	**40546459**	**187063227**	**195067303**

MANMOHAN & ASSOCIATES Chartered Accountants

दीपक आर्य / DEEPAK ARYA
अवर सचिव (प्रभारी) / Under Secretary (I/C)
भांडागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण
Warehousing Development and Regulatory Authority
उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution
भारत सरकार / Government of India
हौज खास, नई दिल्ली–16 / Hauz Khas, New Delhi-16

पी. श्रीनिवास
P. SRINIVAS
सदस्य/Member
भांडागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण
Warehousing Development and Regulatory Authority
भारत सरकार/Government of India
हौज खास, नई दिल्ली-110016
Hauz Khas, New Delhi-110016

डॉ. बी.बी. पट्टनायक
Dr. B.B. PATTANAIK
अध्यक्ष (प्रभारी) / Chairman (I/C)
भांडागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण
Warehousing Development and Regulatory Authority
भारत सरकार / Government of India
हौज खास, नई दिल्ली-110016
Hauz Khas, New Delhi-110016

WDRA

Warehousing Development & Regulatory Authority

SCHEDULE-9 INVESTMENT FROM EARMARKED/ENDOWMENT FUND AS ON 31/03/2019

Amount (in Rs.)

Name	Current Year	Previous Year
11000.01 In Government Securities	0	0
11000.02 Other Approved Securities	0	0
11000.03 Share	0	0
11000.04 Debentures and Bonds	0	0
11000.05 Subsidiaries and Joint Venture	0	0
11000.05 Other (Fixed Deposit)	0	0
TOTAL	0	0

दीपक आर्य / DEEPAK ARYA
अवर सचिव (प्रभारी) / Under Secretary (I/C)
भांडागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण
Warehousing Development and Regulatory Authority
उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution
भारत सरकार / Government of India
हौज खास, नई दिल्ली–16 / Hauz Khas, New Delhi-16

पी. श्रीनिवास
P. SRINIVAS
सदस्य/Member
भांडागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण
Warehousing Development and Regulatory Authority
भारत सरकार/Government of India
हौज खास, नई दिल्ली-110016
Hauz Khas, New Delhi-110016

डॉ. बी.बी. पट्टनायक
Dr. B.B. PATTANAIK
अध्यक्ष (प्रभारी) / Chairman (I/C)
भांडागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण
Warehousing Development and Regulatory Authority
भारत सरकार / Government of India
हौज खास, नई दिल्ली–110016
Hauz Khas, New Delhi-110016

WDRA

Warehousing Development & Regulatory Authority

SCHEDULE-10 INVESTMENT - OTHERS AS ON 31/03/2019

Amount (in Rs.)

Name	Current Year	Previous Year
12000.01 In Government Securities	0	0
12000.02 Other Approved Securities	0	0
12000.03 Shares	0	0
12000.04 Debentures and Bonds	0	0
12000.05 Subsidiaries and Joint Ventures	0	0
12000.06 Others	0	0
TOTAL	0	0

दीपक आर्य / DEEPAK ARYA
अवर सचिव (प्रभारी) / Under Secretary (I/C)
भांडागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण
Warehousing Development and Regulatory Authority
उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution
भारत सरकार / Government of India
हौज खास, नई दिल्ली–16 / Hauz Khas, New Delhi-16

पी. श्रीनिवास
P. SRINIVAS
सदस्य/Member
भांडागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण
Warehousing Development and Regulatory Authority
भारत सरकार/Government of India
हौज खास, नई दिल्ली-110016
Hauz Khas, New Delhi-110016

डॉ. बी.बी. प्रधानायक
Dr. B.B. PATTANAIK
अध्यक्ष (प्रभारी) / Chairman (I/C)
भांडागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण
Warehousing Development and Regulatory Authority
भारत सरकार / Government of India
हौज खास, नई दिल्ली–110016
Hauz Khas, New Delhi-110016

WDRA

Warehousing Development & Regulatory Authority

SCHEDULE-11 CURRENT ASSETS, LOANS & ADVANCES ETC. AS ON 31/03/2019

Amount (in Rs.)

Name	Current Year	Previous Year
(A) 13000.01 Current Assets	**75,053,652**	**77,572,432**
13000.01A Inventories	**659,642**	**677,085**
13000.01AA Stores and Spares	659,642	677,085
13000.01AA1 NWR in Stock	0	613,444
13000.01AA2 Printing & Stationery in Stock	659,642	63,641
13000.01AB Loose Tools	0	0
13000.01AC Stock in Trade	0	0
13000.01AD Finished Goods	0	0
13000.01AE Work in Progress	0	0
13000.01AF Raw Materials	0	0
13000.01B Sundry Debtors	**0**	**0**
13000.01C Cash Balance in Hand (Including Cheque/Draft and Imprest)	**0**	**0**
13000.01CA Imprest Cash	0	0
13000.01CB Temporary Advance	0	0
13000.01CC Cheque/Draft in Hand	0	0
13000.01D Bank Balance	**74,394,010**	**76,895,347**
13000.01DA With Schedule Banks	74,394,010	76,895,347
13000.01DAA On Current Account (Oriental Bank of Commerce)	5,212,135	28,508,134
13000.01DAB On Deposit Account (Includes Margin Money)	0	0
13000.01DAC On Saving Account (Canara Bank)	69,181,875	48,387,213
13000.01DB With Non- Schedule Banks	0	0
13000.01DBA On Current Account	0	0
13000.01DBB On Deposit Account	0	0
13000.01DBC On Saving Account	0	0
13000.01E Post Office Saving Account	**0**	**0**
(B) 13000.02 Loan,Advances and Other Assets	**852,113**	**964,061**
13000.02A Loans	**0**	**15,000**
13000.02AA Loan to staff	0	15,000
13000.02AA1 TA Advance	0	15,000
13000.02AB Other Entities Engaged in Activities/Objective Similar to That Entity	0	0
13000.02AC Other	0	0
13000.02B Adv & Other Recoverable in Cash/ Kind or for Value to be Received	**324,928**	**717,059**
13000.02BA On Capital Account	0	0
13000.02BB Prepayments (Prepaid Expenses)	307,676	128,996
13000.02BC Security Deposit Made by WDRA	0	0

(contd....)

MANOJ MOHAN & ASSOCIATES Chartered Accountants Noida

WDRA

Warehousing Development & Regulatory Authority

Name	Current Year	Previous Year
13000.02BD EMD made by WDRA	0	0
13000.02BE Advance to Others (Suppliers)	17,252	588,063
13000.02C Income Accrued	**527,185**	**232,002**
13000.02CA On Investment from Earmarked/Endowment Fund	0	0
13000.02CB Accrued on Investment - Others	0	0
13000.02CC Accrued on Loan and Advances	0	0
13000.02CD Others (Includes Income due unrealized)	0	0
13000.02CE Accrued Interest	527,185	232,002
13000.02D Claim Receivable	**0**	**0**
TOTAL (A+B)	**75,905,765**	**78,536,493**

HANDIJ MOHAN & ASSOCIATES, Chartered Accountants

दीपक आर्य / DEEPAK ARYA
अवर सचिव (प्रभारी) / Under Secretary (I/C)
भांडागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण
Warehousing Development and Regulatory Authority
उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution
भारत सरकार / Government of India
हौज खास, नई दिल्ली-16 / Hauz Khas, New Delhi-16

पी. श्रीनिवास
P. SRINIVAS
सदस्य/Member
भांडागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण
Warehousing Development and Regulatory Authority
भारत सरकार/Government of India
हौज खास, नई दिल्ली-110016
Hauz Khas, New Delhi-110016

डॉ. बी.बी. पट्टनायक
Dr. B.B. PATTANAIK
अध्यक्ष (प्रभारी) / Chairman (I/C)
भांडागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण
Warehousing Development and Regulatory Authority
भारत सरकार / Government of India
हौज खास, नई दिल्ली-110016
Hauz Khas, New Delhi-110016

WDRA

Warehousing Development & Regulatory Authority

SCHEDULE-12 INCOME FROM SALES/SERVICES FOR THE PERIOD ENDED ON 31/03/2019

Amount (in Rs.)

Name	Current Year	Previous Year
30000.01 Income from Sales	**0**	**0**
30000.01A Sales of Finished Goods	0	0
30000.01B Sale of Raw Material	0	0
30000.01C Sale of Scraps	0	0
30000.02 Income from Services	**0**	**0**
30000.02A Labour and Processing Charges	0	0
30000.02B Professional/Consultancy Charges	0	0
30000.02C Agency Commission and Brokerage	0	0
30000.02D Maintenance Services (Equipment/Property)	0	0
30000.02E Others	0	0
TOTAL	**0**	**0**

MANOJ MOHAN & ASSOCIATES
FRN 009195C
Noida
Chartered Accountants

दीपक आर्य / DEEPAK ARYA
अवर सचिव (प्रभारी) / Under Secretary (A&F) (I/C)
भांडागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण
Warehousing Development and Regulatory Authority
उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution
भारत सरकार / Government of India
हौज खास, नई दिल्ली–16 / Hauz Khas, New Delhi-16

पी. श्रीनिवास
P. SRINIVAS
सदस्य/Member
भांडागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण
Warehousing Development and Regulatory Authority
भारत सरकार/Government of India
हौज खास, नई दिल्ली-110016
Hauz Khas, New Delhi-110016

डॉ. बी.बी. पट्टनायक
Dr. B.B. PATTANAIK
अध्यक्ष (प्रभारी) / Chairman (I/C)
भांडागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण
Warehousing Development and Regulatory Authority
भारत सरकार / Government of India
हौज खास, नई दिल्ली–110016
Hauz Khas, New Delhi-110016

WDRA

Warehousing Development & Regulatory Authority

SCHEDULE-13 GRANT/SUBSIDIES FOR THE PERIOD ENDED ON 31/03/2019

Amount (in Rs.)

Name	Current Year	Previous Year
31000.01 Central Government (Min. of CAF & PD)	76,116,000	58,095,000
31000.01A Grant In Aid for Salary Head	29,116,000	15,365,000
31000.01B Grant In Aid for General Head	47,000,000	42,730,000
31000.02 State Government	0	0
31000.03 Government Agencies	0	0
31000.04 Organisation	0	0
31000.05 International Organisation	0	0
TOTAL	**76,116,000**	**58,095,000**

दीपक आर्य / DEEPAK ARYA
अवर सचिव (प्रभारी) / Under Secretary (I/C)
भांडागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण
Warehousing Development and Regulatory Authority
उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution
भारत सरकार / Government of India
हौज खास, नई दिल्ली-16 / Hauz Khas, New Delhi-16

पी. श्रीनिवास
P. SRINIVAS
सदस्य/Member
भांडागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण
Warehousing Development and Regulatory Authority
भारत सरकार/Government of India
हौज खास, नई दिल्ली-110016
Hauz Khas, New Delhi-110016

डॉ. बी.बी. पट्टनायक
Dr. B.B. PATTANAIK
अध्यक्ष (प्रभारी) / Chairman (I/C)
भांडागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण
Warehousing Development and Regulatory Authority
भारत सरकार / Government of India
हौज खास, नई दिल्ली-110016
Hauz Khas, New Delhi-110016

WDRA

Warehousing Development & Regulatory Authority

SCHEDULE-14 FEES/SUBSCRIPTIONS FOR THE PERIOD ENDED ON 31/03/2019

Amount (in Rs.)

Name	Current Year	Previous Year
32000.01 Entrance Fee	0	0
32000.02 Fees/Subscriptions	0	0
32000.03 Seminar/program Fees	0	0
32000.04 Consultancy Fees	0	0
32000.05 Inspection Agency Empanelment Fees	0	0
32000.06 Other Fees	0	0
TOTAL	0	0

दीपक आर्य / DEEPAK ARYA
अवर सचिव (प्रभारी) / Under Secretary (I/C)
भांडागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण
Warehousing Development and Regulatory Authority
उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution
भारत सरकार / Government of India
हौज खास, नई दिल्ली–16 / Hauz Khas, New Delhi-16

पी. श्रीनिवास
P. SRINIVAS
सदस्य/Member
भांडागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण
Warehousing Development and Regulatory Authority
भारत सरकार/Government of India
हौज खास, नई दिल्ली-110016
Hauz Khas, New Delhi-110016

डॉ. बी.बी. पट्टनायक
Dr. B.B. PATTANAIK
अध्यक्ष (प्रभारी) / Chairman (I/C)
भांडागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण
Warehousing Development and Regulatory Authority
भारत सरकार / Government of India
हौज खास, नई दिल्ली–110016
Hauz Khas, New Delhi-110016

WDRA

Warehousing Development & Regulatory Authority

SCHEDULE-15 INCOME FROM INVESTMENT FOR THE PERIOD ENDED ON 31/03/2019

Amount (in Rs.)

Name	Current Year	Previous Year
33000.01 INTEREST FROM INVESTMENT (Earmarked/Endowment Fund)	**0**	**0**
33000.01A On Government Securities	0	0
33000.01B Other Bonds/Debentures	0	0
33000.02 Dividends	**0**	**0**
33000.02A On Shares	0	0
33000.02B On Mutual Fund and Securities	0	0
33000.03 Rents	**0**	**0**
33000.04 Others (FD etc.)	**0**	**0**
TOTAL (Transferred to Earmarked/Endowment Fund)	**0**	**0**
33001.01 INTEREST FROM OTHER INVESTMENT	**0**	**0**
33001.01A Interest on Government Securities	0	0
33001.01B Interest on other Bonds/Debentures	0	0
33001.02 Dividends from Investment	**0**	**0**
33001.02A Dividend on Shares	0	0
33001.02B Dividend on Mutual Fund and Securities	0	0
33001.03 Rent Received	**0**	**0**
33001.04 Others (FD etc.)	**0**	**0**
TOTAL	**0**	**0**
GRAND TOTAL	**0**	**0**

MANOJ MOHAN & ASSOCIATES, Chartered Accountants, FRN. 009195C, Noida

दीपक आर्य / DEEPAK ARYA
अवर सचिव (प्रभारी) / Under Secretary (I/C)
भांडागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण
Warehousing Development and Regulatory Authority
उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution
भारत सरकार / Government of India
हौज खास, नई दिल्ली–16 / Hauz Khas, New Delhi-16

पी. श्रीनिवास
P. SRINIVAS
सदस्य/Member
भांडागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण
Warehousing Development and Regulatory Authority
भारत सरकार/Government of India
हौज खास, नई दिल्ली-110016
Hauz Khas, New Delhi-110016

डॉ. बी.बी. पट्टनायक
Dr. B.B. PATTANAIK
अध्यक्ष (प्रभारी) / Chairman (I/C)
भांडागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण
Warehousing Development and Regulatory Authority
भारत सरकार / Government of India
हौज खास, नई दिल्ली–110016
Hauz Khas, New Delhi-110016

WDRA

Warehousing Development & Regulatory Authority

SCHEDULE-16 INCOME FROM ROYALTY, PUBLICATION ETC. FOR THE PERIOD ENDED ON 31/03/2019

Amount (in Rs.)

Name	Current Year	Previous Year
34000.01 Income from Royalty	0	0
34000.02 Income from Publications	0	0
34000.03 Others	0	0
TOTAL	0	0

MANOJ MOHAN & ASSOCIATES
Chartered Accountants
FRN
Noida

दीपक आर्य / DEEPAK ARYA
अवर सचिव (प्रभारी) / Under Secretary (I/C)
भांडागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण
Warehousing Development and Regulatory Authority
उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution
भारत सरकार / Government of India
हौज खास, नई दिल्ली–16 / Hauz Khas, New Delhi-16

पी. श्रीनिवास
P. SRINIVAS
सदस्य/Member
भांडागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण
Warehousing Development and Regulatory Authority
भारत सरकार/Government of India
हौज खास, नई दिल्ली-110016
Hauz Khas, New Delhi-110016

डॉ. बी.बी. पट्टनायक
Dr. B.B. PATTANAIK
अध्यक्ष (प्रभारी) / Chairman (I/C)
भांडागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण
Warehousing Development and Regulatory Authority
भारत सरकार / Government of India
हौज खास, नई दिल्ली–110016
Hauz Khas, New Delhi-110016

WDRA

Warehousing Development & Regulatory Authority

SCHEDULE-17 INTEREST EARNED FOR THE PERIOD ENDED ON 31/03/2019

Amount (in Rs.)

Name	Current Year	Previous Year
35000.01 Interest on Term Deposits	**0**	**0**
35000.01A From Schedule Bank	0	0
35000.01B From Non- Schedule Bank	0	0
35000.01C From Institutions	0	0
35000.01D From Others	0	0
35000.02 Interest on Saving Accounts	**724,980**	**2,367,305**
35000.02A From Schedule Bank	724,980	2,367,305
35000.02A1 Interest from OBC (Savings)	724,980	2,367,305
35000.02A2 Interest from Canara Bank (Savings)	0	0
35000.02B From Non-Schedule Bank	0	0
35000.02C Interest from Post Office Saving Accounts	0	0
35000.02D Interest Others	0	0
35000.03 Interest from Loans	**0**	**0**
35000.03A Int. on loan from Employee/Staff	0	0
35000.03B Int. on loan (Others)	0	0
35000.04 Interest on Others (OBC Current A/c)	**0**	**0**
TOTAL	**724,980**	**2,367,305**

MANOJ MOHAN & ASSOCIATES, Chartered Accountants, FRN 009195C, Noida

दीपक आर्य / DEEPAK ARYA
अवर सचिव (प्रभारी) / Under Secretary (I/C)
भांडागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण
Warehousing Development and Regulatory Authority
उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution
भारत सरकार / Government of India
हौज खास, नई दिल्ली–16 / Hauz Khas, New Delhi-16

पी. श्रीनिवास
P. SRINIVAS
सदस्य/Member
भांडागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण
Warehousing Development and Regulatory Authority
भारत सरकार/Government of India
हौज खास, नई दिल्ली-110016
Hauz Khas, New Delhi-110016

डॉ. बी.बी. पट्टनायक
Dr. B.B. PATTANAIK
अध्यक्ष (प्रभारी) / Chairman (I/C)
भांडागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण
Warehousing Development and Regulatory Authority
भारत सरकार / Government of India
हौज खास, नई दिल्ली–110016
Hauz Khas, New Delhi-110016

WDRA

Warehousing Development & Regulatory Authority

SCHEDULE-18 OTHER INCOME FOR THE PERIOD ENDED ON 31/03/2019

Amount (in Rs.)

Name	Current Year	Previous Year
36000.01 Profit on Sale/Disposal of Assets	**0**	**0**
36000.01A Profit on Sale/Disposal of Owned Assets	0	0
36000.01B Profit on Sale/Disposal of assets acquired out of Grants or received free of cost	0	0
36000.02 Income from Export Incentives Realized	**0**	**0**
36000.03 Fee for Miscellaneous Services	**0**	**0**
36000.04 Prior Period Income	**-27,359**	**0**
36000.05 Excess Provision Written Back	**278,463**	**210,175**
36000.06 Miscellaneous Income	**120**	**3,155**
TOTAL	**251,224**	**213,330**

MANOJ MOHAN & ASSOCIATES
FRN
Chartered Accountants

दीपक आर्य / DEEPAK ARYA
अवर सचिव (प्रभारी) / Under Secretary (I/C) (A&F)
भांडागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण
Warehousing Development and Regulatory Authority
उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution
भारत सरकार / Government of India
हौज खास, नई दिल्ली–16 / Hauz Khas, New Delhi-16

पी. श्रीनिवास
P. SRINIVAS
सदस्य/Member
भांडागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण
Warehousing Development and Regulatory Authority
भारत सरकार/Government of India
हौज खास, नई दिल्ली-110016
Hauz Khas, New Delhi-110016

डॉ. बी.बी. पट्टनायक
Dr. B.B. PATTANAIK
अध्यक्ष (प्रभारी) / Chairman (I/C)
भांडागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण
Warehousing Development and Regulatory Authority
भारत सरकार / Government of India
हौज खास, नई दिल्ली–110016
Hauz Khas, New Delhi-110016

WDRA

Warehousing Development & Regulatory Authority

SCHEDULE-19 INCREASE/(DECREASE) IN STOCK OF FINISHED GOODS & WORK IN PROGRESS FOR THE PERIOD ENDED ON 31/03/2019

Amount (in Rs.)

Name	Current Year	Previous Year
(a) Closing Stock	0	0
37000.01 Finished Goods	0	0
37000.02 Work in Progress	0	0
(b) Less Opening Stock	0	0
37000.01 Finished Goods	0	0
37000.02 Work in Progress	0	0
NET INCREASE/(DECREASE) (a-b)	0	0

(Stamp: Manoj Mohan & Associates, Chartered Accountants, FRN ...)

दीपक आर्य / DEEPAK ARYA
अवर सचिव (प्रभारी) / Under Secretary (I/C) (A&F)
भांडागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण
Warehousing Development and Regulatory Authority
उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution
भारत सरकार / Government of India
हौज खास, नई दिल्ली–16 / Hauz Khas, New Delhi-16

पी. श्रीनिवास
P. SRINIVAS
सदस्य/Member
भांडागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण
Warehousing Development and Regulatory Authority
भारत सरकार/Government of India
हौज खास, नई दिल्ली-110016
Hauz Khas, New Delhi-110016

डॉ. बी.बी. पट्टनायक
Dr. B.B. PATTANAIK
अध्यक्ष (प्रभारी) / Chairman (I/C)
भांडागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण
Warehousing Development and Regulatory Authority
भारत सरकार / Government of India
हौज खास, नई दिल्ली–110016
Hauz Khas, New Delhi-110016

WDRA

Warehousing Development & Regulatory Authority

SCHEDULE-20 ESTABLISHMENT EXPENSES FOR THE PERIOD ENDED ON 31/03/2019

Amount (in Rs.)

Name	Current Year	Previous Year
40000.01 Salary and Wages	23,433,365	24,001,956
40000.01A Basic Pay	19,967,675	21,734,428
40000.01B Dearness Allowance (DA)	977,747	377,676
40000.01C Transport Allowance	619,005	498,552
40000.01D HRA	1,744,194	1,281,608
40000.01E Deputation Expenses	124,744	109,692
40000.02 Allowances and Bonus	166,098	56,611
40000.03 Employer Contribution to Provide Fund	92,907	105,680
40000.04 Contribution to Other Fund	0	0
40000.05 Medical Facility	194,851	204,963
40000.06 Expenses on Employment Retirement and Terminal Benefits	86,092	456,142
40000.06A Retirement Benefit-Gratuity (WDRA)	113,982	178,272
40000.06B Retirement Benefit-Leave Encasement (WDRA)	-27,890	277,870
40000.07 Other Employee Expenses	3,006,310	1,398,717
40000.07A Leave Encashment	219,708	256,667
40000.07B Leave Salary Contribution	2,315,301	1,133,200
40000.07C Leave Travel Concession	471,301	8,850
40000.08 Other Expenses	19,000	0
40000.09 Employer Contribution to NPS/Pension	793,386	1,616,900
40000.10 Gratuity Contribution (On Deputation)	71,444	50,505
TOTAL	**27,863,453**	**27,891,474**

MANOJ MOHAN & ASSOCIATES
CHARTERED ACCOUNTANTS

दीपक आर्य / DEEPAK ARYA
अवर सचिव (प्रभारी) / Under Secretary (I/C)
(A&F)
भांडागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण
Warehousing Development and Regulatory Authority
उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution
भारत सरकार / Government of India
हौज खास, नई दिल्ली–16 / Hauz Khas, New Delhi-16

पी. श्रीनिवास
P. SRINIVAS
सदस्य/Member
भांडागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण
Warehousing Development and Regulatory Authority
भारत सरकार/Government of India
हौज खास, नई दिल्ली-110016
Hauz Khas, New Delhi-110016

डॉ. बी.बी. पट्टनायक
Dr. B.B. PATTANAIK
अध्यक्ष (प्रभारी) / Chairman (I/C)
भांडागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण
Warehousing Development and Regulatory Authority
भारत सरकार / Government of India
हौज खास, नई दिल्ली–110016
Hauz Khas, New Delhi-110016

WDRA

Warehousing Development & Regulatory Authority

SCHEDULE-21 OTHER ADMINISTRATIVE EXPENSES ETC. FOR THE PERIOD ENDED ON 31/03/2019

Amount (in Rs.)

Name	Current Year	Previous Year
41000.01 Purchase	12,314	0
41000.02 Labour and Processing Expenses	0	0
41000.03 Cartage and Carriage Inward	0	0
41000.04 Electricity and Water Charges	1,107,257	1,262,134
41000.05 Insurance	13,601	14,746
41000.06 Repairs and Maintenance	8,762,526	5,359,353
41000.07 Office Expenses	284,913	791,169
41000.08 Rent, Rates, Taxes	236,956	609,565
41000.09 Vehicles, Running and Maintenance	100,172	174,209
41000.10 Postage, Telephone and Communication Charges	658,277	907,050
41000.11 Printing and Stationery	525,782	707,606
41000.12 Travelling and Conveyance Expenses	3,084,297	1,830,459
41000.12A TA/DA Expenses	2,198,700	904,259
41000.12B Local Conveyance Expenses	26,431	30,349
41000.12C Foreign Travelling Expenses	0	149,061
41000.12D Taxi Hiring Charges	859,166	746,790
41000.13 Expenses on Training and Awareness Programme / Seminar	9,432,923	6,571,424
41000.13A Training of Warehousemen	3,187,500	6,571,424
41000.13B Awareness Programme of Farmers	6,180,061	0
41000.13C Seminar Conference and Workshop	65,362	0
41000.14 Subscription Expenses	0	0
41000.15 Sponsorship Fees	0	0
41000.16 Auditors Remuneration	185,170	150,000
41000.17 Expenses on System Inspection of Warehouse	9,850,500	4,388,124
41000.18 Professional Charges	10,128,962	11,474,831
41000.19 Provision for Bad and Doubtful Debts/Advances	0	0
41000.20 Irrevocable Balance Written-Off	0	0
41000.21 Studies	12,784,660	26,774,991
41000.21A Technical Study	1,000,000	0
41000.21B Transformation plan for WDRA	11,784,660	26,774,991
41000.22 Foundation Day Celebration Expenses	16,418	0
41000.23 Outsource Manpower (DEO) Expenses	4,910,683	4,484,258
41000.24 Advertisement and Publicity	2,340,903	3,403,488
41000.25 Legal Expenses	0	0
41000.26 Bank Charges	0	0

(contd.....)

WDRA

Warehousing Development & Regulatory Authority

Name	Current Year	Previous Year
41000.27 Other Expenses	299,835	63,447
41000.27A Misc Exp	299,835	63,447
41000.28 Newspaper & Periodicals	61,984	0
41000.29 Paise Rounded off	0	0
41000.30 Prior Period Expenses	1,800,675	0
TOTAL	**66,598,808**	**68,966,854**

दीपक आर्य / DEEPAK ARYA
अवर सचिव (प्रभारी) / Under Secretary (I/C)
भांडागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण
Warehousing Development and Regulatory Authority
उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution
भारत सरकार / Government of India
हौज खास, नई दिल्ली-16 / Hauz Khas, New Delhi-16

पी. श्रीनिवास
P. SRINIVAS
सदस्य/Member
भांडागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण
Warehousing Development and Regulatory Authority
भारत सरकार/Government of India
हौज खास, नई दिल्ली-110016
Hauz Khas, New Delhi-110016

डॉ. बी.बी. पट्टनायक
Dr. B.B. PATTANAIK
अध्यक्ष (प्रभारी) / Chairman (I/C)
भांडागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण
Warehousing Development and Regulatory Authority
भारत सरकार / Government of India
हौज खास, नई दिल्ली-110016
Hauz Khas, New Delhi-110016

WDRA

Warehousing Development & Regulatory Authority

SCHEDULE-22 EXPENDITURE ON GRANTS SUBSIDIES ETC. FOR THE PERIOD ENDED ON 31/03/2019

Amount (in Rs.)

Name	Current Year	Previous Year
(a) 42000.01 Grant given to Institution/Organisations	0	0
(b) 42000.02 Subsidies given to Institution/Organisation	0	0
TOTAL	0	0

MOHAN & ASSOCIATES
FRN
Noida
Chartered Accountants

दीपक आर्य / DEEPAK ARYA
अवर सचिव (प्रभारी) / Under Secretary (I/C)
(A&F)
भांडागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण
Warehousing Development and Regulatory Authority
उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution
भारत सरकार / Government of India
हौज खास, नई दिल्ली–16 / Hauz Khas, New Delhi-16

पी. श्रीनिवास
P. SRINIVAS
सदस्य/Member
भांडागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण
Warehousing Development and Regulatory Authority
भारत सरकार/Government of India
हौज खास, नई दिल्ली-110016
Hauz Khas, New Delhi-110016

डॉ. बी.बी. पट्टनायक
Dr. B.B. PATTANAIK
अध्यक्ष (प्रभारी) / Chairman (I/C)
भांडागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण
Warehousing Development and Regulatory Authority
भारत सरकार / Government of India
हौज खास, नई दिल्ली–110016
Hauz Khas, New Delhi-110016

WDRA

Warehousing Development & Regulatory Authority

SCHEDULE-23 INTEREST PAID FOR THE PERIOD ENDED ON 31/03/2019

Amount (in Rs.)

Name	Current Year	Previous Year
(a) 43000.01 Interest Paid on Fixed Loans	0	0
(b) 43000.02 Interest Paid On other Loans	0	0
(c) 43000.03 Interest Paid - Others	0	0
TOTAL	0	0

दीपक आर्य / DEEPAK ARYA
अवर सचिव (प्रभारी) / Under Secretary (I/C)
भांडागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण
Warehousing Development and Regulatory Authority
उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution
भारत सरकार / Government of India
हौज खास, नई दिल्ली-16 / Hauz Khas, New Delhi-16

पी. श्रीनिवास
P. SRINIVAS
सदस्य/Member
भांडागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण
Warehousing Development and Regulatory Authority
भारत सरकार/Government of India
हौज खास, नई दिल्ली-110016
Hauz Khas, New Delhi-110016

डॉ. बी.बी. पट्टनायक
Dr. B.B. PATTANAIK
अध्यक्ष (प्रभारी) / Chairman (I/C)
भांडागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण
Warehousing Development and Regulatory Authority
भारत सरकार / Government of India
हौज खास, नई दिल्ली-110016
Hauz Khas, New Delhi-110016

WDRA

Warehousing Development & Regulatory Authority

SCHEDULE 24 - SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

1. ACCOUNTING CONVENTION

i. The financial statements have been prepared in the prescribed form of Accounts as per the Warehousing (Development and Regulatory) Authority Annual Statement of Accounts and Records Rules, 2010.

ii. Accounts have been prepared on accrual basis for the current year i.e. 2018-19.

2. INVENTORY VALUATION

Stores and spares (including machinery spares) are valued at cost.

3. FIXED ASSETS

Fixed assets are stated at cost of acquisition inclusive of inward freight, duties and taxes and incidental and direct expenses related to acquisition.

4. DEPRECIATION

i. Depreciation is provided on straight line method as per rates specified in the Income Tax Act, 1961 except depreciation on cost adjustments arising on account of conversion of foreign currency liabilities for acquisition of fixed assets, which is amortized over the residual life of the respective assets.

ii. Assets costing Rs. 5,000 or less each are fully provided.

5. GOVERNMENT GRANTS/SUBSIDIES

Government grants/subsidies are accounted on realization basis

दीपक आर्य / DEEPAK ARYA
अवर सचिव (प्रभारी) / Under Secretary (I/C)
भांडागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण
Warehousing Development and Regulatory Authority
उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution
भारत सरकार / Government of India
हौज खास, नई दिल्ली-16 / Hauz Khas, New Delhi-16

Manoj Mohan & Associates, Chartered Accountants

पी. श्रीनिवास
P. SRINIVAS
सदस्य/Member
भांडागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण
Warehousing Development and Regulatory Authority
भारत सरकार/Government of India
हौज खास, नई दिल्ली-110016
Hauz Khas, New Delhi-110016

डॉ. बी.बी. पट्टनायक
Dr. B.B. PATTANAIK
अध्यक्ष (प्रभारी) / Chairman (I/C)
भांडागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण
Warehousing Development and Regulatory Authority
भारत सरकार / Government of India
हौज खास, नई दिल्ली-110016
Hauz Khas, New Delhi-110016

Warehousing Development & Regulatory Authority

SCHEDULE 25 - NOTES TO ACCOUNTS

SCHEDULE FORMING PART OF THE ACCOUNTS FOR THE PERIOD ENDED ON 31ST MARCH 2019.

1. As per Section 49 of Warehousing (Development and Regulation) Act, 2007,the Warehousing Development and Regulatory Authority (WDRA) is not liable to pay wealth-tax, income tax or any other tax in respect of their wealth, income, profits or gains derived

2. Section 37 of the Warehousing (Regulatory and Development) Act, 2007 provides that there shall be constituted a fund to be called the Warehousing Development and Regulatory Authority Fund and all Central Government grants, fees, charges received by the Authority, all sums received by the Authority from such other sources as may be decided by the Central Government, and all sums realized by way of penalties under this Act shall be credited thereto. However as per accounting procedure advised by Office of Controller General of Accounts (CGA) and concurred by the Office of the Comptroller and Auditor General of India (CAG), all receipts of Authority will be credited to the minor head "105-Warehousing Development and Regulation receipts" below the Major Head "0408-Food Storage and Warehousing". The above accounting procedure is not in tune with the provisions of the Act. The amount received by the Authority against all receipts including Fee and Security Deposit from the warehouses and accreditation agencies/inspection agencies and interest earned thereon from Canara Bank etc. are being deposited in Canara Bank account and has been recorded under the Head 'Current Liabilities'.

3. The amount received on account of warehouse registration fee, security deposit, accreditation/inspection agency registration money/security deposit, interest thereon from Canara Bank, receipts from issue of NWR books, renewal fee etc. have been shown under the headings "Interest received", "Fees & Subscription" and "Other Income" in the Receipts and Payments Account.

4. The Authority had written to the Department of Food and Public Distribution (DF&PD) to enquire from the Ministry of Finance and the Ministry of Corporate Affairs about the deposit of receipts of the SEBI, IRDA, PFRDA and CCI in the funds created at the Authority level. It was also requested that rather than insisting WDRA to deposit all the receipts in the Government Accounts (Consolidated Fund of India), the DF&PD may take up with CGA/CAG for creation of WDRA Fund and deposit of all receipts in it as per the provision of the Act. The DF&PD had not concurred to it comparing WDRA with constitutional bodies such as Office of CAG, Supreme Court, UPSC etc. WDRA again requested the DF&PD to reconsider the matter and take up with the Department of Economic Affairs since the constitutional bodies with which the WDRA has been compared enjoy specific provisions under Article 112 and 315 of the Constitution of India of having their expenditure charged to the consolidated Fund of India. As such, their autonomy is different and protected under these articles of the Constitution of India.

   The DF&PD had taken up the issue with the Department of Economic Affairs (DoEA), GOI. The DoEA informed the accounting procedure in this regard vide letter dated 16.7.2018 which suggests that all other receipts in the form of fees, income, charges etc. would be deposited after meeting operational requirements monthly in the WDRA Fund in Public Account of India. The grants from Government would also be deposited in this Fund and WDRA, for meeting its requirements has to withdraw from the fund after making requisition to CA/CCA of DF&PD.

   WDRA has agreed to deposit its receipts to Public Account till WDRA becomes self-sufficient and after acquiring self sufficiency, WDRA will meet its expenses from the receipts and deposit (except refundable Security Deposits/EMD) the balance to Public Account every month. Further, WDRA, however has not agreed to deposit of Govt. Grants to Public Accounts but to deposit in its separate bank accounts maintained by WDRA for deposit of Govt. Grants and for receipts. It is also agreed by WDRA to deposit penalties and fines to consolidated fund of India CFI) and amendment to WD&R) Act, 2007 for which proposal is already submitted to DF&PD.

   The reply of the DF&PD is awaited.

5. Stores and spares in inventories of Current Assets in Schedule 11 –Current Assets, Loan, advances etc., represent the cost of stationery in stock as on 31.3.2019.

6. Capital Expenditure on purchase of the fixed assets made in connection with the discharge of the functions of the Authority has been shown as utilization of fund in Utilization Certificate whereas it is kept as fixed assets in the Books of Account and depreciation is charged to Income & Expenditure Account.

WDRA

Warehousing Development & Regulatory Authority

7. Amount received as Grants-in-Aid from Ministry of Consumer Affairs, Food & Public Distribution, Department of Food & Public Distribution, Government of India, is accounted under the head Grant/Subsidies. Surplus/Deficit of income over revenue expenditure is transferred to Corpus/Capital Fund.

8. The Accounts are maintained on accrual basis of Accounting whereas Receipts & Payments account is prepared as per Cash Basis. The difference in Establishment & Administrative Expense of Income & Expenditure Account and Receipts & Payment Account is due to payment yet to be made.

Establishment Expenses (Amount in Rs.)

Particular	For the Year 2018-19	For the Year 2017-18
Establishment Expenses (As Per Schedule 20)	2,78,63,453	2,78,91,474
Less:- Closing Establishment Liabilities	49,90,571	28,95,098
Less:-Opening Establishment Assets	NIL	NIL
Net Payment	2,28,72,882	2,49,96,376

Administrative Expenses (Amount in Rs.)

Particular	For the Year 2018-19	For the Year 2017-18
Administrative Expenses (As Per Schedule 21)	6,65,98,808	6,89,66,854
Less:- Closing Administrative Liabilities	1,25,99,523	59,42,611
Less:-Opening Administrative Assets	1,09,204	1,83,949
Net Payment	5,38,90,081	6,28,40,294

9. The WDRA has entered into Memorandum of Understanding (MOU) on 30th March, 2016 with National Cooperative Union of India (NCUI) for taking office premises on lease of 56 years (from the date of occupation) on the 4th Floor of NCUI building at 3, Siri Institutional Area, August Kranti Marg, New Delhi-110016. WDRA has paid a sum of Rs.17.42 Crore. Out of Rs 17.42 Crore, Rs. 11.32 Crore has been contributed to Corpus fund for Agricultural Development through Cooperatives and Rs.6.10 crore is paid as lease premium.

10. As per MOU dated 30th March, 2016, it has been agreed between the parties that if the period of tenancy is reduced/ shortened (from the agreed period of 56 years) on account of inability or refusal to obtain permission of Income Tax Authorities, Delhi Development Authority or failure/ refusal of Registration of the Lease Deed by NCUI or for any other reason whatsoever, then in the said eventuality, the NCUI shall pay to the WDRA by way of refund of total amount paid, the sum equivalent to the unexpired lease period in the worksheet, as per the sheet attached with the MOU. Necessary lease deed between NCUI and WDRA has been registered on 1st February, 2019.

FRN: 009765C Noida Chartered Accountants

WDRA

Warehousing Development & Regulatory Authority

11. Provisions for Gratuity and Leave Encashment in respect of regular employees have been made on the basis of actuarial valuation certificate/ report of LIC. Assumption considered in the valuation are as under:-

1.	**Membership Data**	
	Number of Members	2
	Average age	49
	Average Monthly Salary	71568
	Average Past Service	2.5
2.	**Valuation Method**	Projected Unit Credit Method
3.	**Actuarial Assumption**	
	Mortality Rate	LIC(2006-08) Ultimate
	Withdrawal Rate	1% to 3% depending on age
	Discount Rate	8% p.a.
	Salary Escalation	7%
	Benefit Value (Gratuity ceiling)	Rs. 20,00,000

12. The fully depreciated assets have been kept with written down value (WDV) of Rs. 1/- to recognise in the books of accounts.

13. Interest earned as shown in Schedule 17 is interest received in the bank account maintained with the Oriental Bank of Commerce Bank.

14. Security Deposit received from the warehousemen in the form of FDRs/Bank Guarantees as on 31.3.2019 is Rs. 21.63 crore.

15. Opening balances/ Corresponding Figures for previous year have been regrouped/ rearranged/re- cast wherever necessary.

दीपक आर्य / DEEPAK ARYA
(A&FI)
अवर सचिव (प्रभारी) / Under Secretary (I/C)
भांडागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण
Warehousing Development and Regulatory Authority
उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution
भारत सरकार / Government of India
हौज खास, नई दिल्ली–16 / Hauz Khas, New Delhi-16

पी. श्रीनिवास
P. SRINIVAS
सदस्य/Member
भांडागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण
Warehousing Development and Regulatory Authority
भारत सरकार/Government of India
हौज खास, नई दिल्ली-110016
Hauz Khas, New Delhi-110016

डॉ. बी.बी. पट्टनायक
Dr. B.B. PATTANAIK
अध्यक्ष (प्रभारी) / Chairman (I/C)
भांडागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण
Warehousing Development and Regulatory Authority
भारत सरकार / Government of India
हौज खास, नई दिल्ली–110016
Hauz Khas, New Delhi-110016

FORM C

See rule 3

WAREHOUSING DEVELOPMENT AND REGULATORY AUTHORITY

4th Floor, NCUI Building, August kranti Mrg, Hauz Khas, New Delhi

WDRA

RECEIPTS AND PAYMENTS FOR THE PERIOD/YEAR ENDED ON 31ST MARCH, 2019

RECEIPTS	Current Year	Previous Year	PAYMENTS	Current Year	Previous Year
I. OPENING BALANCES			I. EXPENSES		
a) Cash in hand			a) Establishment Expenses*	22,872,682	24,996,176
b)Bank Balance		-	(Corresponding to Schedule 20)		
i) In Current Account (OBC)	28,508,134	75,255,620	b) Administrative Expenses**	53,890,081	62,840,294
ii)In Deposit Account			(Corresponding to Schedule 21)		
iii) Saving Account (Canara Bank)	48,387,213	34,046,317	II. Payments made against funds for various projects		
II. GRANT RECEIVED		-	III. Investments and deposits made		
a) From Govt. of India		-	a) Out of Earmarked/Endowment Funds		
i) In Salary Fund	29,116,000	15,365,000	b) Out of Own Funds (Investments-Others)		
ii)In General Fund	47,000,000	42,730,000	IV. Expenditure on Fixed Assets and Capital Work-in-Progress		
b)From State Govts.			a) Purchase of Fixed Assets	10,627,173	10,959,764
c) From Other Sources (details)			b) Expenditure on Capital Work-in-Progress		
(Grants for capital and revenue exp. To be			V. Refunds of Surplus Money/Loans		
shown separate amt.)			a) To the Govt. Of India		
III. INCOME FROM SALES & SERVICE			b) To the State Govt.		
a) Income from Sales			c) To other Providers of Funds		
b) Income from Service			VI. Interest Paid		
IV. INCOME FROM INVESTMENT			VII. Other Payments		
a) Earmarked/Endowment Funds			- Advance to Others (Suppliers)	6,200	732,059
b) Own Funds (Other Investment)			- Prepayments	207,884	
V. INCOME FROM ROYALTY ETC.			-TA Advance	-	
a) Royalty			-LTC Advance	-	-
b)Publication			-Other Advance		
c)Others			-Temporary Advance	-	
VI. INTEREST RECEIVED			-Temporary Advance-refundable	3,014	
a) On Term Deposit			-Refund of EMD		
b) On Bank Deposits (Savings)			-Refund of Security Deposit	62,797	153,625
i) OBC	724,980	2,367,305	-Paise Rounded off	-	
ii) Canara Bank	3,494,384	1,749,792	-Refund of Warehouse/Inspection Agency Reg/ Renewal Fees(Sundry Payable)	440,000	160,599
iii)Other Banks					
c) On Loans and Advances			-Stock in trade (NWR & Stationery)	659,642	677,085
d) On Others			-Payment to Other Opening Current Liability	11,812,745	7,338,597
VII. FEE & SUBSCRIPTIONS					
i)Entrance Fee	-	11,735,000	VIII. Closing Balances		
ii)Annual Fee/Subscription	4,000,000	1,335,000	a) Cash in Hand	-	
iii)Warehouse/Inspection Agency Reg/Renewal Fees	17,500		b) i) In current Accounts (OBC)	5,212,135	28,508,134
iv)Seminar Prog. Fee			ii) In Deposits Accounts(Fixed Deposit)		
v)Consultancy Fee			iii) Saving Accounts (Canara Bank)	69,181,875	48,387,213
vi)Inspection Agency Empanelment Fee	-				
vii)Other Fee	13,615,001	511,521			
VIII. OTHER INCOME					
i) Misc Receipts	125,264	213,330			
ii)EMD					
iii) Security Deposit					
iv)Stale cheque	8,000	3,000			
v) Refund of Advance	-				
TA Advance	15,000				
LTC Advance					
Other Advance	3,628				
Temporary Advance	3,014				
Total	175,056,428	184,811,846	Total	175,056,428	184,811,846

*refer Note No. 8 of Schedule 25

**refer Note No. 8 of Schedule 25

दीपक आर्य / DEEPAK ARYA (A&F)
अवर सचिव (प्रभारी) / Under Secretary (I/C)
भांडागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण
Warehousing Development and Regulatory Authority
उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution
भारत सरकार / Government of India
हौज खास, नई दिल्ली-16 / Hauz Khas, New Delhi-16

पी. श्रीनिवास
P. SRINIVAS
सदस्य/Member
भांडागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण
Warehousing Development and Regulatory Authority
भारत सरकार/Government of India
हौज खास, नई दिल्ली-110016
Hauz Khas, New Delhi-110016

डॉ. बी.बी. पट्टनायक
Dr. B.B. PATTANAIK
अध्यक्ष (प्रभारी) / Chairman (I/C)
भांडागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण
Warehousing Development and Regulatory Authority
भारत सरकार / Government of India
हौज खास, नई दिल्ली-110016
Hauz Khas, New Delhi-110016

MANOJ MOHAN & ASSOCIATES • Chartered Accountants

WDRA

Warehousing Development & Regulatory Authority

FORM A
(See Rule 3)
BALANCE SHEET AS ON 31/03/2019

Amount (in Rs.)

Name	Schedule	Current Year	Previous Year
CORPUS/CAPITAL FUND AND LIABILITIES		**262,968,992**	**273,603,796**
Corpus/Capital Fund	1	**176,913,637**	**213,785,613**
Corpus/Capital Fund(Opening)		213,785,613	264,007,044
EXCESS/DEFICIT OF INCOME & EXPENDITURE		-36,871,976	-50,221,431
Reserve and Surplus	2	**0**	**0**
Earmarked /Endowment Funds	3	**0**	**0**
Secured Loans and Borrowings	4	**0**	**0**
Unsecured Loans and Borrowings	5	**0**	**0**
Deferred Credit Liabilities	6	**0**	**0**
Current Liabilities and Provisions	7	**86,055,355**	**59,818,183**
ASSETS		**262,968,992**	**273,603,796**
Fixed Asset	8	**187,063,227**	**195,067,303**
Fixed Asset		187,063,227	195,067,303
Capital Work in Progress		0	0
Investment- From earmarked/endowment funds	9	**0**	**0**
Investment-Others	10	**0**	**0**
Current Assets, Loans & Advances etc.	11	**75,905,765**	**78,536,493**
Miscellaneous Expenditure (to the extent not written off or adjusted)		**0**	**0**
Significant Accounting Policies	24	0	0
Contingent Liabilities & Notes on Accounts	25	0	0

For Manoj Mohan & Associates
Chartered Accountants
FRN 009195C

CA Ravi Kumar Gupta
Partner
M.No. 057046

Place: New Delhi
Date : 27.05.2019

दीपक आर्य / DEEPAK ARYA
अवर सचिव (प्रभारी) / Under Secretary (I/C)
भांडागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण
Warehousing Development and Regulatory Authority
उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution
भारत सरकार / Government of India
हौज खास, नई दिल्ली-16 / Hauz Khas, New Delhi-16

पी. श्रीनिवास
P. SRINIVAS
सदस्य/Member
भांडागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण
Warehousing Development and Regulatory Authority
भारत सरकार/Government of India
हौज खास, नई दिल्ली-110016
Hauz Khas, New Delhi-110016

डॉ. बी.बी. पट्टनायक
Dr. B.B. PATTANAIK
अध्यक्ष (प्रभारी) / Chairman (I/C)
भांडागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण
Warehousing Development and Regulatory Authority
भारत सरकार / Government of India
हौज खास, नई दिल्ली-110016
Hauz Khas, New Delhi-110016

अनुलग्नक–II

31 मार्च, 2019 को भांडागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण के लेखों पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की अलग लेखा परीक्षा रिपोर्ट

1. हमने 31 मार्च, 2019 को भांडागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण के संलग्न तुलन पत्र तथा भांडागारण (विकास और विनियामक) अधिनियम, 2007 (2007 का 37) की धारा 38 (2) के साथ पठित भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियाँ एवं सेवाशर्ते) अधिनियम, 1971 की धारा 19(2) के अन्तर्गत उस तारीख को समाप्त वर्ष की लिए डब्ल्यू० डी० आर० ए० के आय एवं व्यय लेखा तथा प्राप्तियाँ एवं भुगतान लेखे की लेखा परीक्षा की है। इन वित्तीय विवरणों का दायित्व डब्ल्यू डी आर ए के प्रबन्धन का है। हमारा दायित्व अपनी लेखा परीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर अपना मत प्रकट करना है।

2. इस अलग रिपोर्ट में भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ केवल वर्गीकरण, सर्वोतम लेखाकरण प्रक्रियाओं, लेखाकरण मानकों और प्रकटन मानकों के संदर्भ में शामिल की गई हैं। विधि के अनुपालन, नियम एवं विनियमन (औचित्य एवं नियमितता) तथा कुशलता–सह–निष्पादन पहलू, यदि कोई है, के बारे में वित्तीय लेन–देन पर लेखापरीक्षा आपत्तियाँ अलग से निरीक्षण रिपोर्टो /सी.ए.जी. की लेखा परीक्षा रिपोर्टो के माध्यम से सूचित की जाती हैं।

3. हमने अपनी लेखा परीक्षा सामान्यत: भारत में स्वीकृत लेखा परीक्षा मानकों के अनुरूप की है। इन मानकों के अंतर्गत यह आवश्यक है कि हम इस संबंध में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए लेखापरीक्षा की योजना बनाएं ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वित्तीय विवरण किसी तरह की गड़बड़ी से मुक्त हैं। लेखा परीक्षा में वित्तीय विवरणों में दिए गए प्रकटन और राशियों को प्रमाणित करने वाले साक्ष्यों के परीक्षण के आधार पर जाँच शामिल होती हैं। लेखापरीक्षा में प्रबंधन द्वारा प्रयोग किए गए लेखाकरण सिद्धांतों के आकलन सहित वित्तीय विवरणों का समग्र मूल्यांकन भी शामिल होता है। हमारा मानना है की हमारी लेखा परीक्षा हमारे मत के लिए उचित आधार प्रदान करती है।

4. अपनी लेखा परीक्षा के आधार पर हम रिपोर्ट करते हैं कि:

   i हमने वे सभी सूचनाएँ तथा स्पष्टीकरण प्राप्त किए हैं जो हमारी जानकारी तथा विश्वास क अनुसार लेखापरीक्षा के लिए आवश्यक थे।

   ii तुलन पत्र, आय एवं व्यय/प्राप्तियाँ एवं भुगतान लेखा, जो इस रिपोर्ट में शामिल किए गए हैं, वे भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा निर्धारित प्रारूप के अनुसार तैयार किए गए हैं।

iii हमारे मतानुसार लेखा बहियों के हमारे परीक्षण से प्रतीत होता है कि डब्ल्यू० डी० आर० ए० द्वारा समुचित लेखा बहियाँ तथा अन्य संबंधित रिकार्ड भांडागारण (विकास और विनियामक) अधिनियम, 2007 की धारा 38(1) के अंतर्गत रखे गए हैं।

iv हम यह भी रिपोर्ट करते हैं कि:–

क. तुलन पत्र

क.1 देयताएँ

क.1.1 चालू देयताएँ प्रावधान (अनूसूची–7): 8.61 करोड़ रू

क.1.1.1 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए अनुदान की व्यय न हुई 0.52 करोड़ रूपए की राशि मंत्रालय को बतौर रिफंडएबल के रूप में प्रदर्शित नहीं की गई। इसके फलस्वरूप इतनी ही राशि के लिए चालू देयताएँ कम तथा पूंजी निधि अधिक दिखाई गई है।

ख.1 आय एवं व्यय लेखा

आय–अनुदान एवं सब्सिडि 7.61 करोड़ रू (अनुसूची–13)

ख.1.1 डब्लू० डी० आर० ए० ने वर्ष 2018–2019 के दौरान 1.16 करोड़ रूपए (अनुसूची–8) की अचल परिसम्पत्ति खरीदी। अधिप्राप्ति के लिए 1.16 करोड़ रुपय का पूंजी व्यय, आय एवं व्यय लेखे में प्रदर्शित अनुदानों से नहीं घटाया गया। इसके फलस्वरूप समान राशि के लिए आय एवं पूंजी/ संग्रह राशि अधिक दिखाई गई।

ग. अनुदान सहायता

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय से प्राप्त अनुदान सहायता तथा वर्ष 2018–19 के लिए इसके उपयोग का विवरण नीचे दिया गया है :–

ग. अनुदान सहायता

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय से प्राप्त अनुदान सहायता तथा वर्ष 2018–19 के लिए इसके उपयोग का विवरण नीचे दिया गया है :–

(करोड़ रू में)

विवरण	कुल
गत वर्ष की व्यय न हुई राशि	7.69
गत वर्ष के दौरान प्राप्त अनुदान सहायता	7.61
वर्ष के दौरान प्राप्त विविध प्राप्तियाँ	2.20
कुल उपलब्ध राशि	17.50
वर्ष के दौरान व्यय	10.07
व्यय न किया गया शेष	7.43

इस प्रकार वित्तीय वर्ष के अंत में डब्लू० डी० आर० ए० के पास 7.43 करोड रु व्यय न हुई राशि थी।

V. पूर्व के पैराग्राफों में अपने पर्यवेक्षण के आधार पर हम रिपोर्ट करते हैं कि तुलन पत्र, आय एवं व्यय लेखा तथा प्राप्ति एवं भुगतान लेखा, जिन्हें रिपोर्ट में शामिल किया गया है वे लेखा बहियों से मेल खाते हैं।

VI. हमारे मत में तथा हमारी पूर्ण जानकारी तथा हमें दिये गए स्पष्टीकरणों के अनुसार वित्तीय विवरणों को लेखाकरण नीतियों तथा लेखा टिप्पणियों के साथ पठित किए जाने पर तथा ऊपर दिये गए मामलों एवं इस रिपोट के अनुलग्नक में उल्लिखित मामलों में भारत में सामान्य रूप में अपनाए जाने वाले लेखाकरण सिद्धान्तों के अनुसार सही तथा स्पष्ट तस्वीर मिलती हैः—

(क) जहाँ तक तुलन पत्र का संबंध है, 31 मार्च, 2019 को भण्डागारण विकास एवं विनियामक प्राधिकरण के मामले मे ; और

(ख) जहाँ तक इसका उस तारीख को समाप्त हुए वर्ष में आय एवं व्यय लेखे के अतिशेष के मामले में।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के लिए एवं उनकी ओर से

28 मार्च 2019

ह0/—

महानिदेशक लेखा परीक्षा केन्द्रीय—व्यय

स्थानः नई दिल्ली

दिनाँकः 28.08.2019

अनुलग्नक

1. आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली की पर्याप्तता

- उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय आंतरिक लेखापरीक्षा खंड द्वारा डब्लू.डी.आर.ए की आंतरिक लेखा परीक्षा 2018–19 तक अप्रैल 2019 कि गई है, तथापि जुलाई, 2019 तक रिपोर्ट प्रतिक्षित थी

2. आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली की पर्याप्तता

- इस प्रकार डब्लू०डी०आर०ए० की आंतरिक प्रणाली को सशक्त बनाने की अवश्यकता है क्योंकि:
- लेखाबद्ध किए गए सामान से 15 यू.पी.एस तथा 33 टेलीफोन अधिक पाए गए।

3. अचल परिसम्पतियों की भौतिक सत्यापन प्रणाली

- 31 मार्च, 2019 तक वस्तु सूची का भौतिक सत्यापन किया गया ।

4. वस्तु सुची के भौतिक सत्यापन की प्रणाली

- 31 मार्च, 2019 तक अचल संम्पति का भौतिक सत्यापन किया गया ।
- मार्च, 2019 में अचल परिसंम्पति के भौतिक सत्यापन के दौरान लेखाबद्ध किए गए सामान से 15 यू.पी.एस तथा 33 टेलीफोन अधिक पाए गए।

5. सांविधिक बकाया के भुगतान में नियमितता

- 31–03–2018 को आयकर, बिक्री कर, सेवा कर, सीमा शुल्क, उपकर, अंशदायी, भविष्य निधि
- (सी.पी.एफ) तथा कर्मचारी राज्य बीमा का 6 महीने से अधिक कोई भुगतान बकाया नहीं था ।

अनुलग्नक–III

भांडागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण

31.03.2019 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की अलग रिपोर्ट पर डब्लू डी आर ए के उत्तर/ टिप्पणियाँ

टिप्पणी सं	ऑडिट टिप्पणी	ऑडिट अवलोकन पर अन्तर
क. तुलन पत्र क.1 देयताएँ क.1.1 चालू देयताएँ तथा प्रावधान (अनूसूची–7): 8.61 करोड़ रू	क. 1.1.1. 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए अनुदान की व्यय न की गई 0.52 करोड़ राशि मंत्रालय को बतौर रिफंडएबल के रूप में प्रदर्शित नहीं की गई। इसके फलस्वरूप इतनी ही राशि के लिए चालू देयताएँ कम तथा पूंजी निधि अधिक दिखाई गई।	व्यय न हुई राशि की सूचना इस कार्यालय के पत्र सं. /जी–28/1/2019–ए.एण्ड.एफ दिनांक 26 मई, 2019 द्वारा मंत्रालय को दी गई थी। व्यय न हुई 0.52 करोड़ रूपए की राशि, रूपान्तरण योजना के अधीन लक्ष्यों के प्राप्त करने के लिए रखी गई थी। अतः इसे प्राधिकरण की चालू देयता नहीं माना गया। रूपान्तरण योजना के अधीन नियोजित गतिविधियों के लिए 0.52 करोड़ रूपए की आवश्यकता थी। ये गतिविधियॉं अभी क्रियान्वित की जा रही हैं। अतः इस राशि को रखना अपेक्षित था। अतः चालू देयताओं में कोई कमी तथा पूंजी निधि में कोई वृद्धि नहीं हुई। यह 0.52 करोड़ रूपए की राशि चालू वित्तीय वर्ष 2019–20 में अप्रैल, 2019 में पहले ही व्यय की जा चुकी हैं।
ख. आय एवं व्यय लेखाः ख.1. आय–अनुदान एवं सब्सिडी 7.61 करोड़ रू (अनुसूची 13)	ख.1. डब्लू०डी०आर०ए० ने वर्ष 2018–2019 के दौरान 1.16 करोड़ रूपए (अनुसूची–8) की अचल परिसम्पत्ति खरीदी। अधिप्राप्ति के लिए 1.16 करोड़ रुपए का पूंजी व्यय, आय एवं व्यय लेखे में प्रदर्शित अनुदानों से नहीं घटाया गया। (अनुसूची 13) इसके फलस्वरूप समान राशि के लिए आय एवं पूंजी/संग्रह राशि अधिक दिखाई गई।	सरकार द्वारा अधिसूचित भांडागारण (विकास एवं विनियमन) प्राधिकरण के वार्षिक लेखों तथा रिकार्ड नियमावली, 2010, अनुसूची–13 अनुदान एवं सब्सिडी के संबंध में है। अपनी लेखाकरण नीति के अनुसार प्राधिकरण इस अनुसूची के अन्तर्गत मंत्रालय से प्राप्त अनुदान की कुल राशि दो लेखा शीषों अर्थात् वेतन सामान्य शीर्ष दिखाता रहा है। यदि हम इस अनुसूची में मंत्रालय से प्राप्त कुल अनुदान में से अचल परिसम्पत्तियों की लागत को घटा देते हैं तो, यह प्राधिकरण द्वारा अब तक अपनाई गई लेखाकरण नीति के

<table>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>विरूद्ध होगा। इसके अतिरिक्त उपर्युक्त नियम के अन्तर्गत अनुमोदित अनुसूची 13 में पूंजी व्यय के विरूद्ध व्यय की गई राशि को घटाने का प्रावधान नहीं है।
लेखाकरण नीति के अनुसार गैर पूंजी व्यय को आय एवं व्यय लेखा में व्यय के रूप में दिखाया गया है तथा अचल परिसम्पति पर हुए व्यय अधिक आय में वृद्धि/कमी का भाग बन जाता है तथा इसे संग्रह राशि/पूंजी निधि में अग्रेनीत किया जाता है।
इस प्रकार संग्रह/पूंजी निधि को देयताएँ तथा अचल सम्पत्ति को परिसम्पति दिखाया गया है।
यह नीति अब तक अपनाई गई है।</td>
</tr>
<tr>
<td>ग. अनुदान सहायता</td>
<td>उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय से प्राप्त अनुदान सहायता तथा वर्ष 2018–19 के लिए इसके उपयोग का विवरण नीचे दिया गया है :–
<table>
<tr><td></td><td>(करोड़ रू में)</td></tr>
<tr><td>विवरण</td><td>कुल</td></tr>
<tr><td>गत वर्ष की व्यय न हुई राशि</td><td>7.69</td></tr>
<tr><td>गत वर्ष के दौरान प्राप्त अनुदान सहायता</td><td>7.61</td></tr>
<tr><td>वर्ष के दौरान प्राप्त विविध प्राप्तियाँ</td><td>2.20</td></tr>
<tr><td>कुल उपलब्ध राशि</td><td>17.50</td></tr>
<tr><td>वर्ष के दौरान व्यय</td><td>10.07</td></tr>
<tr><td>व्यय न किया गया शेष</td><td>7.43</td></tr>
</table>
</td>
<td>प्राधिकरण के पास प्राप्त अनुदान तथा इस पर ब्याज़ गत वर्ष के (2017–18) से व्यय न हुई 2.85 करोड़ रूपए की राशि ओ.बी.सी. बैंक में थी। प्राधिकरण की प्राप्तियों को 2018–19 तक केनरा बैंक में जमा किया गया। अतः 6.92 करोड़ रूपए को व्यय न हुई राशि नहीं मानी जानी चाहिए। यह राशि प्राधिकरण द्वारा पंजीकरण शुल्क इत्यादि के रूप में प्राप्त हुई है।
सी.जी.ए. ने सलाह दी है कि यह राशि सी.एफ.आई. में जमा करवाई जाए। हमने इसके लिए सरकार से अनुरोध किया था कि इसे व्यय के लिए प्राधिकरण के पास रहने दिया जाना चाहिए, जैसा कि भांडागारण (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 2007 में प्रावधान किया गया है।
अंतः निर्णय हो जाने तक इन्हें सरकारी खाते/सी.एफ.आइ. में जमा करने हेतु सरकार को दिए जाने के लिए इन्हें देयता के रूप में दिखाया गया है। अतः गत वर्ष (2017–18) के लिए वास्तविक रूप</td>
</tr>
</table>

		में व्यय न हुई राशि का शेष केवल 2.85 करोड़ रूपए है। (7.69 करोड़ नही जैसा कि टिप्पणी में दिखाया गया है)। यदि डब्लू.डी.आर.ए के प्रस्ताव को नहीं माना जाता है तो, वर्ष 2018–19 के लिए केनरा बैंक में ब्याज सहित संचित प्राप्तियाँ 6.92 करोड़ रूपए है जिसे सरकार/सी.एफ.आई. के खाते में जमा कराने के लिए देयता माना गया है। इस खाते से अब तक कोई व्यय नहीं किया जा रहा है। वर्ष 2018–19 के दौरान अनुदान सहायता के रूप में कुल प्राप्ति 7.61 करोड़ रूपए थी। इसी वर्ष ब्याज़ अन्य प्राप्तियाँ 0.07 करोड़ रूपए थी। 2017–18 से 2.85 करोड अग्रेनीत शेष को जोड़ने पर प्राधिकरण के पास 10.53 करोड़ रूपए बनता है। वर्ष 2018–19 में कुल व्यय 10.01 करोड़ रूपए था। अतः 31.03.2019 को व्यय न हुई राशि 0.52 करोड़ रूपए थी, जो ओ.बी.सी बैंक में रखी गई है। (7.43 करोड़ रूपए नहीं जैसा कि टिप्पणी में दिखाया गया है) जैसा कि पैरा सं. क 1.1.1 में कहा गया है, यह 0.52 करोड़ रूपए की शेष राशि चालू वित्तीय वर्ष के दौरान अप्रैल 2019 में की पहले ही व्यय की जा चुकी है।
अनुलग्नक में दिए गए अवलोकन पर उत्तर/टिप्पणियाँ		
1. आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली की पर्याप्तता	उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय आंतरिक लेखापरीक्षा खंड द्वारा डब्लू.डी.आर.ए की आंतरिक लेखा परीक्षा 2018–19 तक अप्रैल 2019 कि गई है, तथापि जुलाई, 2019 तक रिपोर्ट प्रतिक्षित थी	यह तथ्यात्मक है।

2. आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली की पर्याप्तता	इस प्रकार डब्लू०डी०आर०ए० की आंतरिक प्रणाली को सशक्त बनाने की अवश्यकता है क्योंकिः • लेखाबद्ध किए गए सामान से 15 यू.पी.एस तथा 33 टेलीफोन अधिक पाए गए।	• ये मदें अत्यन्त पुरानी हैं तथा खरीद वर्ष में राजस्व व्यय में प्रभारित कि गई थी। ये वस्तुऐं क्योंकि गणना–योग्य है; अतः पहचान संख्या दी गई है अतः इनको ढूँढने की सुविधा के लिए रिकार्ड किया गया है। • यह तथ्यात्मक है।
3. अचल परिसम्पतियों की भौतिक सत्यापन प्रणाली	31 मार्च, 2019 तक वस्तु सूची का भौतिक सत्यापन किया गया ।	• यह तथ्यात्मक है।
4. वस्तुसुची के भौतिक सत्यापन की प्रणाली	• 31 मार्च, 2019 तक अचल संम्पति का भौतिक सत्यापन किया गया । • मार्च, 2019 में अचल परिसंम्पति के भौतिक सत्यापन के दौरान लेखाबद्ध किए गए सामान से 15 यू.पी.एस तथा 33 टेलीफोन अधिक पाए गए।	• यह तथ्यात्मक है। • ये मदें अत्यन्त पुरानी हैं तथा खरीद वर्ष में राजस्व व्यय में प्रभारित कि गई थी। ये वस्तुऐं क्योंकि गणना–योग्य है; अतः पहचान संख्या दी गई है अतः इनको ढूँढने की सुविधा के लिए रिकार्ड किया गया है।
5. सांविधिक देय राशियों के भुगतान में नियमितता	सांविधिक देय राशियों के भुगतान में नियमितता 31 मार्च, 2019 को आयकर, बिक्री कर, सेवा कर, सीमा शुल्क, उप कर, सी.पी.एफ तथा कर्मचारी बीमा निगम के संबंध में छह महीने सं अधिक कोई भुगतान लंबित नहीं था	• यह तथ्यात्मक है।

पंजीकृत भांडागारों के लाभों को रेखांकित करने के लिए प्राधिकरण द्वारा तैयार किया गया पोस्टर

डब्लू.डी.आर.ए

भांडागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण

चौथी मंजिल, एनसीयूआई भवन, 3, सीरी इंस्टीट्युश्नल एरिया,

अगस्त क्रान्ति मार्ग, हौज खास, नई दिल्ली –110016

फोन नं०. : 011– 49536496, फैक्स नं०. : 011– 26515503 **वेबसाइट : www.wdra.gov.in**

Designed & Promted by **RAINBOW ADVERTISING**